(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 25 वां दिवस [संख्या 18

वृहस्पतिवार

दिनांक 22 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : नाथूराम।

ट्राइबल सब प्लान में आदिवासियों को समुचित लाभ

455. श्री नाथूराम (बागीदोरा): क्या जन जाति कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ट्राइबल सब प्लान में 5वी पंचवर्षीय योजना में कुल कितना धन केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय किया गया व किस-किस मद में ? विभाग वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस उपयोजना से आदिवासियों को अधिक लाभ नहीं मिला है ? यदि हां, तो इस योजना की उपादेयता क्या है ? यदि नहीं, तो उप योजना तथा आदिवासी विकास निगम में 31.12.78 को किस-किस संवर्ग में कितने कितने पद सृजित हुए व अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे उनमें से कितने आदिवासी थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि सब प्लान का अधिकांश धन उन मदों पर व्यय होता है जिनसे आदिवासियों को लाभ नहीं होता है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, यात्रा व्यय, फर्नीचर, कार्यालय व्यवस्था आदि पर कितना-कितना धन पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में व्यय किया गया तथा वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के बजट प्रस्ताव क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, जन जाति कल्याण (श्री नंदलाल) : (1) पांचवी पंचवर्षीय योजना

(श्री नन्द लाल)
अवधि (वर्ष 1974-75-1977-78) में जन जाति उप योजना क्षेत्र में कुल 7047.43 लाख रुपये व्यय किये गये जिनमें से 5481.38 लाख रुपये राज्य योजना के अन्तर्गत, 739.70 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत व 826.35 लाख रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये। विभागानुसार/मदानुसार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (सूची सं. 1)

(2) यह सही नहीं है कि इस उप योजना से आदिवासियों को अधिक लाभ नहीं मिला है। सब प्लान एरिया में दिनांक 31-3-78 को कुल 2601 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 573 जनजाति के थे। आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय में दिनांक 31-12-78 को सृजित पद 87 थे जिनमें से 60 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे। उपरोक्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से 8 जनजाति के थे। संवर्गानुसार सृजित एवं कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची सं. 2)

जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम में दिनांक 31.2.78 को सृजित पद 170 थे, जिनमें 119 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 18 जनजाति के थे। श्रेणी अनुसार सृजित एवं कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची स. 3)

(3) यह सही नहीं है कि सब प्लान का अधिकांश धन उन मदों में व्यय हुआ है जिनसे आदिवासियों को लाभ नहीं होता है। पांचवी पचवर्षीय योजना अवधि (वर्ष 1974-75-1977-78) में जन जाति उपयोजना क्षेत्र में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते, यात्रा व्यय, फर्नीचर, कार्यालय व्यवस्था आदि पर 310.74 लाख रुपये (सूची संख्या 4) व्यय हुए जब तक कुल व्यय 7047.43 लाख था। उप योजना से सम्बन्धित वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के बजट प्रस्ताव की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची सं. 5)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मूलचन्द डागा : 7 लाख या 7 करोड़।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : सात करोड़।

श्री नाथूराम : प्रश्न संख्या '1' के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि अधिकतर पैसा प्रशासन आदि पर खर्च हुआ है। आदिवासियों को ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। आपके द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि क्या सरकार इस ट्राइबल सब प्लान को रिवाइज करने की कोशिश करेगी? जैसा कि संविधान में प्रावधान है शिड्यूल्ड एरिया में राज्य के किसी कानून से जनता का अहित होता हो तो संशोधन किया जा सकता है। तो ट्राइबल सब प्लान तो पिछली गवर्नमेंट ने 74 में बनाया था। करोड़ों रुपये का खर्चा हो रहा है और आदिवासियों का भला नहीं

(श्री नाथू राम)

हो रहा है तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राइबल सब प्लान को रिवाइज करने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : लगभग 70 करोड़ और कुछ लाख रुपये आपने व्यय किये इससे पहले ट्राइब की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और इतना खर्चा करने के पश्चात आय क्या हो गई ? क्या बढोत्तरी हुई ? दूसरे, क्या यह सत्य है कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा ट्राइबल तक कम पहुंचता है और बड़े शहरों व बड़े गांवों के विकास में पैसा खर्च हो जाता है ट्राइबल के नाम से ? दूसरे विभागों का फर्नीचर, वेतन आदि पर खर्च का प्रतिशत आपके टोटल खर्चे का कितना है ? क्या 20-22 प्रतिशत व्यवस्था पर खर्च होता है ? क्या इस प्रकार का खर्चा उचित है ?

(व्यवधान)

श्री **मूलचन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब भी नहीं आया । सारे सप्लीमेंट्री एक साथ नहीं हो सकते । एक प्रश्न का जवाब आना चाहिये । यह कैसा तरीका है, साहब........

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : आपने तो आदिवासियों का खून चूसा है ।

(व्यवधान)

श्री **नाथूराम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपा करके पहले प्रश्न का जवाब दिलावें ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अगर आप स्थान ग्रहण कर लें तो माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे दें । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सरकार का उत्तर सुन कर फिर सप्लीमेंट्री करें ।

श्री **मूलचन्द डागा** : That is all-right.

श्री **अध्यक्ष** : और प्रश्न का उत्तर आते ही खड़े होकर सारे चिल्लाने लगें तो सब निरर्थक है । सदन का समय फिजूल में बर्बाद होता है ।

एक माननीय सदस्य : डागाजी खड़े होकर ऊधम मचवा देते हैं ।

श्री **नन्दलाल** : बागीदोरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूराम जी ने जो प्रश्न उठाया है कि ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत जो बजट का प्रावधान है क्या राज्य सरकार इसमें कोई बदल करने जा रही है । माननीय अध्यक्ष, सम्पूर्ण भारतवर्ष में जहां पर ट्राइबल क्षेत्र हैं वहां के आदिवासियों को समाज के और तबके के मुकाबले में लाकर खड़ा करने का उद्देश्य है । उनके सर्वांगीण विकास की योजना भारत सरकार की स्वयं की है । केन्द्रीय सरकार

(4)

(श्री नन्दलाल)

की सहायता से एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा के सारे जिले, उदयपुर जिले की 7 तहसीलें, सिरोही का आबू रोड और चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील सम्मिलित है जहां की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासियों की है। जो कि सरकार द्वारा पहले इस सब-प्लान पर पैसा खर्च किया जाता था वह पैसा आदिवासी क्षेत्रों के नाम से, आदिवासियों की भलाई के नाम से, आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के नाम से इन क्षेत्रों के लिए आता था, परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है....

श्री मूलचन्द डागा : Is it an answer or lecture ?

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद उस समाज से आता हूं इसलिये मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन में इस क्षेत्र के नाम से जो पैसा आया उससे आदिवासियों को सीधा फायदा नहीं हुआ। फायदा उनको हुआ जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले सम्पन्न वर्ग के और राजनैतिक प्रभाव वाले लोग थे।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री नन्दलाल : इसका ज्वलन्त उदाहरण, अध्यक्ष महोदय मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र के नाम से आयुर्वेद विभाग के माध्यम से 3 औषधालय आदिवासी क्षेत्र में खोले गये और सारा पैसा इसी मद से लगा, परन्तु एक जयपुर में और दो कोटा में चलाये जा रहे थे। इस प्रकार औषधालयों की तब्दीली की गई थी और उस क्षेत्र के साथ पक्षपात किया गया था। वापस उस स्थान पर अब ले गये।

जैसा कि नाथूराम जी ने कहा कि बजट जो भी राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने जन-जाति क्षेत्र के लिये दिया है उसका उनको फायदा नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है, जैसा कि पूर्व में निवेदन किया था, उस क्षेत्र के नाम से खर्च होता था, लेकिन आदिवासी लोग 30 वर्ष से जिस हालत में रह रहे थे, जैसी हालत उनकी पहले थी वैसी आज भी है। जनता सरकार के आने के बाद उसने इस बात का फैसला किया कि आदिवासियों को सीधा फायदा हो। आदिवासियों में जो गरीब हैं उनको अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत तक चयनित किया गया है। इसके साथ ही इस योजना के आते ही सबसे पहले आदिवासियों को सीधा फायदा देने, राजस्थान में नये तरीके से उनका आर्थिक विकास करने और उनको आर्थिक क्षेत्र में सबके बराबर लाने के लिए जो अनुदान की व्यवस्था है 50 प्रतिशत तक व्यवस्था इस क्षेत्र में की गई है। उस मद से इस क्षेत्र में विद्यालय खोले गये हैं, चिकित्सालय बनाए गए हैं। जो विकास के कार्य हैं, जो पहले इस क्षेत्र में हुए थे वह राजनैतिक आधार पर किये गये थे और आदिवासियों की आबादी के आधार पर नहीं किये गए थे।

(श्री नन्दलाल)

जनता सरकार ने यह निर्णय किया है कि 50 प्रतिशत से अधिक जन संख्या आदिवासियों की जिस गांव में है वहां सारे विद्यालय होंगे, वहां पर और भी सुविधाएं होंगी।

इसके साथ ही साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा इससे जुड़ी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : It is not answer. यह भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

यह जवाब दे रहे है ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप एक ओर तो आदिवासियों के विकास की बात करते हैं और दूसरी ओर आदिवासी निगम जो बनाया गया है उसमें आपने 170 कर्मचारी बताये हैं, उनमें से 119 कर्मचारी काम करते हैं उनमें से केवल 18 आदिवासी कर्मचारी हैं। क्या आपको सारे कर्मचारी आदिवासियों में उदयपुर डिवीजन में ही नहीं मिले ? 170 कर्मचारियों में से 119 जो नियुक्त किये हुए हैं....

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। इधर की तरफ भी आप गौर फर्मावें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि 70 लाख या 70 करोड़ रुपया खर्च करने से पहले ट्राइब्स के लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और यह पैसा खर्च करने के बाद उनकी आय में बढ़ोतरी हुई या नहीं ? अगर आपके पास इसके आंकड़े न हों तो आप चाहे इसका सर्वे करा लें या वैसे ही पता लगा लें कि यह पैसा उन तक पहुंचा है कि नहीं। आपने लिखा है कि केवल आठ आदमियों को काम पर लगाया है। किस पोस्ट पर लगाया है ? अगर इसको आप देखें तो ज्ञात होगा कि एक को ड्राइवर की पोस्ट पर लगाया है, दो को केवल एल. डी. सी. की पोस्ट पर लगाया है. दो को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगाया गया है और दो को लगाया है कम्पाउन्डर्स के पद पर। क्या उस क्षेत्र में आदिवासी पढ़े-लिखे नहीं हैं ? क्या वहां के नियोजन कार्यालय से आपको ऐसी सूची उपलब्ध नहीं हुई है जिसमें एम. ए., पोस्ट ग्रेजुएट या अन्य प्रकार की क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों के नाम हों ? अगर हैं तो कितने हैं ? कोई सूची मंगाकर उन क्वालिफिकेशन रखने वालों को बुलाया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री लालूदास।

श्री लालूदास : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि क्या आदिवासी क्षेत्र के अन्दर आदिवासी पढ़े-लिखे नहीं मिले ? ट्राइबल सब-प्लान में आपने केवल 8 आदमियों को लगाया। इनसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं मिले ? योग्यता वाले लोगों के लिए क्या कार्यवाही की ? आदिवासियों के लिए कांग्रेस सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया वह बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े आफिसरों पर खर्च किया है। उससे आदिवासियों को कुछ

(श्री लालूदास)

फायदा नहीं मिला। वर्तमान सरकार आदिवासियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या राहत दे रही है? आपने अनुसूचित जनजाति निगम बना दिया, वनवासी क्षेत्र के लोगों और आदिवासियों के नाम पर यह बड़े बड़े अधिकारी लोग हजारों रुपयों का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी लोगों को एक पैसा भी नहीं दिलाते हैं। आज उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अनाज नहीं और रहने के लिए मकान नहीं है। आप जरा बता दें कि यह वर्तमान जनता सरकार उनके लिए क्या कर रही है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल।

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय मन्त्री महोदय क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि....

श्री अध्यक्ष : श्री समरथलाल, श्रवणलाल नहीं। मुझे क्षमा करेंगे।

श्री समरथलाल : मन्त्री महोदय, यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितना भी धन खर्च किया गया था, उसमें से जो प्रशासनिक खर्चा हुआ है क्या आप उसको उपयुक्त मानते हैं? यदि आप उपयुक्त नहीं मानते हैं तो प्रशासनिक खर्च को कम करने का क्या आपका इरादा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जिथिग।

श्री जिथिग (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण देकर आदिवासियों का शुभचिंतक बनने का दावा किया है। उन्होंने योजना का प्रारूप बताया है। उनके भाषण से मैं प्रभावित हुआ, लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जन जाति विकास के नाम से कितना कितना पैसा किस किस योजना में खर्च किया गया, और आदिवासियों के समग्र विकास के नाम से छोटी छोटी योजनाओं में कहां कहां पर कितनी कितनी धनराशि रखी गई है? यह आंकड़े आप स्पष्ट बतायें। आपने आंकड़े लम्पसम में बता दिये हैं कि इतने करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आदिवासी इलाकों पर खर्च किया गया है। मैं उदाहरण देकर बताता हूं। माही प्रोजेक्ट पर ढाई करोड़ रुपया इस फण्ड से खर्च किया गया है जब कि गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ने साथ में मिल कर माही प्रोजेक्ट बनाया है। आदिवासी विकास निगम के नाम से अलग से फण्ड दिया गया है। इतनी धनराशि खर्च कर दी गई है, इसका क्या कारण है।

श्री मूलचन्द डागा : जब से जनता सरकार आई है....

श्री बालकृष्ण यानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री नाथूराम : यह उनके क्षेत्र से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी हैं....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा नाम पुकारा गया है।

श्री राम किशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे........

श्री मूलचन्द डागा : यह बिना परमिशन के बोलने लगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डागा जी, कहां छोरों के बीच में आ गये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, नियमों में यह प्रावधान है कि जिस सदस्य का नाम पुकारा जाये. वही बोल सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल पूछ लीजिए फिर मन्त्री महोदय से उत्तर दिलाता हूं।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्लान इसलिए बनाया गया था कि सीधा आदिवासियों को फायदा दिया जा सके। जनता सरकार ने क्या कार्य किये हैं ? आपने आदिवासियों का धन दूसरे मदों पर खर्च किया है। जनता सरकार कितना खर्च कर रही है जिससे कि आदिवासियों को सीधा लाभ मिले ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार यह फर्मा दे कि आदिवासियों और अन्य लोगों का जो अन्तर है, वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ? हर आदिवासी को आप रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा कब दे सकेंगे, कितनी अवधि में दे सकेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े बांध बांध दिए गए हैं और बांधे जा रहे हैं। कई लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार का इस ओर ध्यान दिला रहा हूं कि उदयपुर के पहाड़ों में लोग बसते हैं, वहां के लिए छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं हैं। सिंचाई करने के लिए क्या अधिक से अधिक धनराशि की योजना बना रहे हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए समस्त आदिवासी क्षेत्र के लिए कितनी राशि की योजना बनाई है ? उनका कितना उत्थान कर सकेंगे ? कितना पैसा लगेगा ? यह सदन की मेज पर रखने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

(व्यवधान)

इतना समय हो गया है।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) अध्यक्ष महोदय, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह सब प्लान चालू किया है इसके क्या कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, इस योजना से आदिवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। 4 वर्षों में सब प्लान के तहत जो कार्यक्रम हुए हैं उनका क्या कोई मूल्यांकन किया गया है ? 4 साल में जो कुछ किया गया मंत्रीजी की यह मान्यता है कि पूरा लाभ आदिवासियों को नहीं मिला और यह बात मूल प्रश्नकर्ता ने कही है तो क्या राज्य सरकार इस ट्राइबल सब प्लान को रिवाइज करने का विचार रखती है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टे की चर्चा के लिए यह प्रश्न स्थगित किया जावे तो अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 78-79 तक जो खर्चा हुआ है....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, निश्चित तौर से इसका जवाब दिलवाता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : प्रशासन पर कितना खर्चा हुआ ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्य जिलों में यह योजना लागू की गई है ? क्या झालावाड़ में यह योजना लागू की गई है ? आपने इसके लिये राशि स्वीकार की है ?

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री जी।

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि भत्ते के मद में जो पैसा, भत्ता वृत्ति आदि में जो पैसा उठाया गया है, वह अधिक है। कांग्रेस के समय कमिश्नर कार्यालय जयपुर में था। यहां से अधिकारी उदयपुर सम्भाग से सिरोही तक और गुजरात से लगे क्षेत्र तक यात्रा करते थे। परिणाम स्वरूप यात्रा भत्ता बढ़ा है। जनता सरकार बनने के बाद अब वह कार्या-

(श्री नन्दलाल)
लय जयपुर से उदयपुर स्थापित किया गया है। अब खर्च कम हो जाएगा।

इसके साथ ही आय के बारे में जो कहा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उसका सर्वे नहीं हुआ है।

श्री रघुनन्दन व्यास : कोई सर्वे नहीं हुआ है।

श्री नन्दलाल : उसका सर्वे करा लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका शासन 30 साल रहा है। इनको तीन साल तो होने दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह समझ में नहीं आया है।

श्री नन्दलाल : नियुक्तियों के बारे में जो प्रश्न किया है उसके बारे में निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, अपने विभाग में 18 पद बताये हैं। उनमें से अधिकांश को जनता सरकार के आने के बाद नियुक्तियां दी गई है। इसके साथ ही मुख्य मन्त्री महोदय ने नियुक्ति एवं आरक्षण के लिए हाई पावर कमेटी नियुक्त की है जिससे कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग अभी तक स्थान प्राप्त नहीं कर सके हैं वह प्राप्त करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न-कर्त्ता।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी 18 पद बताये हैं, लेकिन उनको छोटे-छोटे पदों पर लगाया गया है। बी. ए. और एम. ए. बांसवाड़ा जिले में और डूंगरपुर जिले में सैंकड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं उनमें से कितनों को लगाया है? नम्बर एक, नम्बर दो यह कि पिछले दो सालों में कितने आदिवासियों का भला हुआ? नम्बर तीन यह कि मैंने सात पेज का एक नोट बना कर माननीय मुख्य-मंत्रीजी को पेश किया था। उन्होंने राज्य मंत्रीजी को भेजा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की? क्या अब उस सूची को रिवाइज करके आदिवासियों को फायदा पहुंचाया जायगा?

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो खर्चा किया जाता है उसमें आदिवासी विधायकों की राय क्यों नहीं ली जाती है? इसी वजह यह असंतोष है।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की तो प्रसन्नता है कि ट्राइबल सब प्लान के संबंध में माननीय सदस्यों को बहुत रुचि है। इस सम्बन्ध में दो-तीन प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक उनकी नियुक्तियों का प्रश्न है अधिकांश नियुक्तियां मार्च, 76 में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की गई थीं। उसके बाद में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें पर्सेन्टेज की कमी की पूर्ति करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं। आप यह विश्वास रखिये कि जितनी भी वेकेन्सीज हैं जैसा कि राज्य मन्त्रीजी ने कहा उनसे उस बैकलाग को पूरा किया जायगा।

एक चिन्ता यह व्यक्त की गई कि व्यय का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। इसका सर्वे कराया गया या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है इस बारे में सर्वे नहीं हुआ है। अब राज्य सरकार सर्वे कराने की व्यवस्था करेगी। इस सारे व्यय का लाभ आदिवासियों को किस प्रकार से मिले, इस सम्बन्ध में प्रयास किया जाएगा।

माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे कि व्यय करने में आदिवासी विधायकों की सलाह नहीं ली जाती। मैं उनकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि उनको यह जानकारी नहीं है, नहीं तो वे ऐसा प्रश्न नहीं करते। ट्राइबल वेलफेयर बोर्ड के वे भी सदस्य हैं। उनकी सलाह भी ली जाती है। इसके अलावा भी इसमें सुधार की आवश्यकता हुई तो निश्चित रूप से किया जायगा।

श्री नाथूलाल : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया : केबिनेट रेन्क का कोई मिनिस्टर नहीं है उसकी भी कमी पूरी कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें आपका नाम भी विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम : उत्तर के लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला कमेटियों में जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी राय से काम नहीं किया जाता है। जैसे ट्राइबल सब-प्लान में स्कूल खोलने का या और कोई विकास का काम है तो अधिकारी लोग जो राय देते हैं उसी के अनुसार काम होता है। क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी आश्वासन देंगे कि जन प्रतिनिधि, जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, की राय के अनुसार सरकार द्वारा कार्य किया जायगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: जन प्रतिनिधियों की राय शिरोधार्य है। माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि ट्राइबल सब-प्लान में तीन प्लान हैं, एक प्लान तो सेण्ट्रल गवर्नमेन्ट से आता है और दूसरा स्टेट प्लान, तीसरा सेण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत। इसके साथ ही प्रश्न यह रह जाता है कि मेम्बर की इच्छा है कि स्कूल, दवाखाना या सड़क अमुक स्थान पर खोला जाय और अधिकारी लोग किन्हीं कारणों से वहां नहीं खोल पाते हैं, उसका कारण यह है कि अगर वह स्टेट प्लान के अन्तर्गत उस वर्ष में नहीं आता है तो दूसरे स्थान, जो प्लान के अन्तर्गत आता है, उस में खोलने का आग्रह करते हैं, इसी प्रकार से स्कूल और दवाखाने की बात है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसे अहमियत दी जाय और अस्पताल और दवाखाने खोले जायें।

प्रश्न संख्या 456

श्री अध्यक्ष : श्री रावत राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन। माननीय श्री जिथिंग।

कुशलगढ़ में रेफरल अस्पताल

457. **श्री जिथिंग** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या कुशलगढ़ (जिला बांसवाड़ा) में रेफरल अस्पताल कायम करने का इरादा राज्य सरकार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों नहीं?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): जी हां। छठी योजना काल में वित्तीय प्रावधान होने पर।

श्री जिथिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके विभाग की डिमाण्ड के ऊपर कल आपने सदन में घोषणा की थी और आज अखबारों में भी हमने आपकी घोषणा को पढ़ा है उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि छठी पंच वर्षीय योजना पांच साल तक चलती रहेगी। यह मुझे बताने की कृपा करें कि कुशलगढ़ हास्पिटल को इसी साल रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जायगा, या आगामी वर्ष किया जायेगा या तीसरे साल किया जायगा, कब किया जायगा? यह बताने की कृपा करें।

श्री करतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि प्रत्येक जिले में एक पी.एच सी. को रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट किया जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार से कन्वर्ट करने के लिये आपका क्या क्राइटेरिया है, इसका आधार क्या है, किस आधार पर आप कन्वर्ट करेंगे?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और हमारी रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट करने की 25% की योजना है। अब तक हमने 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया है और 13 जिलों को कवर किया है। जिसमें बांसवाड़ा भी है। अब कुशलगढ़ में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसको करना है। इन 13 जिलों में पूरा हो जाने के बाद सैकिण्ड राउण्ड में इसका नम्बर आयेगा। आगामी वर्ष इसको तीस बैड्स का बनाने की योजना विचाराधीन है।

श्री जिथिंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ का डेपूटेशन भी माननीय मन्त्री महोदय से मिला था। माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस वर्ष इस हास्पिटल का नम्बर नहीं आया है, आगामी वर्ष कर दिया जायेगा, यह आश्वासन दिया गया था। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ नगरपालिका क्षेत्र है, जिला कमेटी ने भी रेफरल अस्पताल के लिये एग्री किया है और इसकी सैन्क्शन भी थी लेकिन

(श्री विधिग)

अधिकारियों ने बीच में रोड़े डाल कर यह प्रतापगढ़ को दे दिया और कुशलगढ़ को वंचित कर दिया। इस प्रकार इसको आप आगे बढ़ाते जायेंगे। तीस सालों से इसका विकास नहीं हुआ है —

श्री बालचन्द आर्य (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में कचनार ग्राम है वहां हास्पिटल में तीन महीने तक ताला पड़ा रहा, इसका क्या कारण है? आपके आदेश के बावजूद भी वहां पर कम्पाउण्डर नहीं पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं भी इस बारे में आपको सूचना देना चाहूंगा। कुशलगढ़ क्षेत्र सारे बांसवाड़ा जिले में जनसंख्या के अनुपात से आदिवासी मेजोरिटी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र ने तीस वर्ष से विरोध की सेवा की है। उस क्षेत्र को बहुत क्षति पहुंची है इस विरोध से। अगर जनता सरकार द्वारा भी उसको प्राथमिकता नहीं दी जायेगी, तो फिर कब दी जायेगी? बांसवाड़ा, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के क्षेत्र को आप प्राथमिकता दें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो इच्छा जाहिर की है, उसके अनुरूप इसी वर्ष वहां एक रेफरल हास्पिटल खोल दिया जायेगा।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : किसी प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को रेफरल हास्पिटल में कन्वर्ट करने के लिये क्या क्राइटेरिया है, क्या आधार है? अगले वित्तीय वर्ष में कितने और रेफरल हास्पिटल खोले जायेंगे? क्या इसमें मुख्य मन्त्री कोष से भी कोई सहायता दी जायेगी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्यमन्त्री सहायता कोष के लिये नियम बने हुए हैं। यदि मेजर साहब अपने क्षेत्र में कोई हास्पिटल खुलवाना चाहते हैं और उसके लिये पैसा इकट्ठा कर लें, तो निश्चित रूप से उतना पैसा आपकी सेवा में पेश कर दिया जायेगा।

मेजर श्री फतहसिंह : I am grateful to you.

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : दांतारामगढ़ में दो साल तक हम खुद चला लेंगे, आप खोल दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा नहीं होगी।

श्री मदनसिंह दांता : दो साल का खर्चा हम देंगे, हमारे यहां सैन्क्शन कर दीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Sanctioned.

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मुख्यमन्त्री से जानना चाहूंगा कि यह केवल माननीय मदनसिंह दांता और मेजर फतहसिंह और मुख्य मन्त्री के बीच का ही मामला है क्या? क्या केवल इनके बीच में ही एग्रीमेंट है या और भी कोई....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मण्डावा के लिए भी हो सकता है।

मेजर श्री फतहसिंह : जब जनता से सहयोग लेना पड़ा तो मैं आपके पास आऊंगा।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे....

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : क्या क्राइटेरिया यही है कि जिस इलाके की पब्लिक जितना पैसा देगी, उतना ही पैसा सरकार भी देगी और हास्पिटल खोला जायेगा ?

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : अगर मुख्य मंत्री कोष से पैसा नहीं मिले और ग्राम सहयोग से दो वर्ष का खर्चा मिल जाये तो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस वक्त वित्तीय स्थिति के आधार पर काम किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

प्रश्न संख्या 458

श्री रामदेव सिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री ओम प्रकाश शर्मा।

बून्दी जिले में किये गये भू-सुधार कार्य

459. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में भू-सुधार का पिछले वर्षों में कुछ गांवों में कार्य हुआ ? यदि हां, तो ग्रामों के क्या नाम हैं और वहां क्या क्या कार्य हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भू-सुधार प्रारम्भ करने से पूर्व काश्तकारों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भू-सुधार (केचमेन्ट) में प्रारम्भिक जानकारी में प्रत्येक बीघा पर राज्य सरकार ने जो काश्तकारों को खर्चा बताया उससे अधिक अब लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो प्रारम्भ में कितना खर्चा बताया था और अब कितना लिया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि भू-सुधार योजना से कृषकों में असंतोष बढ़ा है ? यदि हां, तो किस कारण ?

कृषि मंत्री (श्री कल्याणसिंह कालवी) : (1) यह सही है कि बून्दी जिले में भू-सुधार के पिछले वर्षों में कार्य हुए हैं। ऐसे गांवों की संख्या 22 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इन गांवों में मुख्य रूप से खेत सुधार के कार्य हुये। खेत सुधार के लिये जो कार्य हुये उनका विवरण निम्न प्रकार है :

(कल्याण सिंह कालवी)

(क) खेतों की सीमाओं (मेड़ों) का पुनः निर्धारण जिस से कि सिंचाई, ड्रेनेज तथा सड़कों के निर्माण के लिये अधिक भली प्रकार ले आउट किया जा सके।

(ख) प्रत्येक खेत को सिंचाई के लिये पानी मिल सके, इसके लिये धोरों का निर्माण तथा रिसाव को रोकने हेतु गहरी नालियों का निर्माण।

(ग) प्रत्येक खेत का बैल गाड़ियों/ट्रैक्टर आदि के पहुंचने हेतु रास्तों का निर्माण।

(घ) खेतों की भूमि को समतल करना जिससे कि खेतों में बोई जाने वाली फसलों को सिंचाई के लिये भली प्रकार पानी मिल सके।

(2) जी नहीं। प्रत्येक काश्तकार को किये जाने वाले कार्यों की पूर्व में ही पूर्ण जानकारी दी गई थी।

(3) जी नहीं। प्रारम्भ में खर्चा अनुमानतः रु. 250/- से 300/- रुपये प्रति बीघा अर्थात 1550/- रुपये से 1850/- प्रति हैक्टेयर बताया गया था और अब तक जिन केचमेन्ट के कार्य हो चुके हैं वहां का औसतन खर्चा 1800/- रुपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ही लिया जा रहा है।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो सूची मुझे दी गई है, उसको अगर कोई भी माननीय सदस्य पढ़ लें, तो महरबानी होगी। कुछ समझ में नहीं आता।

श्री नूरा (मसूदा) : यह सूची ऐसी ही देते हैं जो पढ़ी नहीं जाती।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि काश्तकारों को पूर्व में जानकारी दी गई थी। क्या यह सही है उस समय काश्तकारों को 200 या 300 रुपये का खर्चा बताया गया था और आज जो पैसा लिया जा रहा है वह कई गुना अधिक है? क्या यह सही है कि सरकार को भू-सुधार के लिये केवल 25 प्रतिशत खर्चा लेना है और बाकी का खर्चा सरकार को खुद देना है?

श्री **कौशल किशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने जो रुपये बताये हैं पर हैक्टेयर, उसमें क्या अनुदान की राशि भी सम्मिलित है? अगर हां, तो वह कितनी है और किसान से कितना लिया जायेगा?

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि प्रति बीघा खर्चा 200 और 300 रुपये के बीच में बताया गया था। इसका अगर आप प्रति हैक्टेयर हिसाब लगायेंगे तो 1850 रुपये प्रति हैक्टेयर आता है, जब कि हम केवल 1800 रुपये ही ले रहे हैं जो कि 50 रुपये कम है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि किसानों को बीज का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : इसमें कोई अनुदान है क्या सरकार की तरफ से ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि काश्तकारों में असंतोष नहीं है । अभी कुछ दिन पहले ही जब अधिकारी लोग गांव में गये वसूली के लिए तो आंदोलन हुआ है । भूमि सुधार करने के लिए पहले काश्तकारों से क्यों नहीं पूछा गया. इसका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न है, यह जो कार्य होता है यह आम तौर से उस समय होता है जब खेत में फसल नहीं होती । इसलिए फसल का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जहां तक किसानों की रजामंदी से काम करने का प्रश्न है, तो जिन किसानों के खेतों पर यह काम किया जाता है, उनके साथ बैठ कर विचार किया जाता है और उनकी सहमति लेकर बैंक का ऋणपत्र भराया जाता है। इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है । इस ऋण की अदायगी की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है । बहुत से किसानों ने रुपया वापस देना भी शुरू कर दिया है । कुछ प्रतिशत में गड़बड़ रह जाती है, उन गड़बड़ियों और गलतियों को विभाग सुधार रहा है । किसानों में असन्तोष है ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री एच. एन. शर्मा ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 3.1979)

ग्राम पंचायत, रावत भाटा में नये बाजार की योजना

240. श्री एच.एन. शर्मा (बेगू) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या ग्राम पंचायत रावत भाटा, तहसील बेगू में नया बाजार बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार, उक्त बाजार हेतु कोई धनराशि इस वर्ष सड़कें नालियां एवं अन्य विकास हेतु रखने का विचार रखती है ? अगर हां। तो कितना ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां । यह योजना 3 जनवरी, 1975 को राजस्थान राज पत्र में घोषित की गई थी।

(2) जी नहीं । बाजार में प्लाटों के आवंटन से प्राप्त धनराशि विकास हेतु लगाने की योजना है ।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातों के बारे में जानकारी चाहता हूं। इस बाजार के लिये क्या टाउन प्लानिंग ने कोई नक्शा पास कर दिया है ?

दूसरा, क्या 29 नवम्बर, 1971 को राज्य सरकार ने कोई कमेटी की इन प्लाटस के आवंटन हेतु राज-पत्र में घोषणा की थी ? उस को रीकान्स्टीट्यूट करने के बारे में सरकार के सामने कोई मामला विचाराधीन है ?

तीसरे, क्या इस बाजार के लिए 28-3-78 के राजस्थान सरकार के आदेशानुसार खसरा नम्बर 11 की 5 एकड़ और खसरा नम्बर 8 की 12 एकड़ कुल मिलाकर 17 एकड़ भूमि अधिक काट ली गई ? इतनी कार्यवाही होने के बाद भी सन् 1971 से लेकर आज 1979 चल रहा है किन कारणों से यह योजना खटाई में पड़ी हुई है ? कृपया कारण स्पष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जो बेगू से पधारे हैं, को जानकारी है। उन्होंने सलाह दी थी कि इस कमेटी का री-कान्सीटीट्यूशन किया जाये। उस आधार पर री-कान्स्टीट्यूशन के लिए उस प्रकार की प्रक्रिया चालू की गयी। उसमें कारण यह था कि पंचायत समितियों के चुनाव और जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए थे इसलिए विचार आया था कि इसमें जो दो नाम हैं उनकी जगह माननीय विधायक जो उस क्षेत्र से आये हैं, और जो संसद सदस्य है, श्री सोमानीजी, उनका नाम इनका पोरेट किया जाये। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक को कमेटी में लेने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो गयी है जो मिल गयी है। संसद सदस्य के लिए अलग सवाल है। वहां के स्पीकर साहब से आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। उसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाये। मैंने आज ही कहा है और आशा है महीने भर में उसकी भी आज्ञा मिल जायेगी फिर कमेटी री-कान्स्टीट्यूट हो जायेगी और एक महीने के अन्दर ही आवंटन हो जायेगा और बाजार ठीक प्रकार से बनाया जा सकेगा। इसलिए माननीय सदस्य को अब चिंता नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री उमराव सिंह गूजर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10-3-79)

स्थायी तहसीलदारों की पदोन्नतियां

119. श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ स्थायी तहसीलदारों को वरिष्ठ होते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एडहाक पदोन्नति से इसलिये वंचित कर दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध गम्भीर किस्म की विभागीय जांच विचाराधीन थी ? और हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन तहसीलदारों के विरुद्ध उपरोक्त जांच किस किस वर्ष की घटना से सम्बन्धित है ? कब से, किस वर्ष से विचाराधीन है ? क्या क्या चार्जेज हैं व अब किस स्टेज पर है ?

(श्री उमराव सिंह गूजर)

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि विभागीय जांच बहुत शीघ्र निपटाई जाये ? यदि हां, तो फिर इतने लम्बे समय से इन जांचों के विचाराधीन रहने का क्या कारण है तथा कौन कौन से अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है ?

(4) क्या राज्य सरकार इन जांचों को शीघ्र निपटाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राजस्व मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) :

(1) जी हां, कुछ तहसीलदार वरिष्ठ होते हुए भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एडहाक पदोन्नति से वंचित रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे निर्धारित मापदण्ड में नहीं आते हैं, या तो उनका विगत पांच वर्षों का अभिलेख सन्तोषप्रद नहीं है अथवा उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच इतनी गम्भीर है कि राजस्व मण्डल द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि उनमें से किसी को मेजर पेनल्टी दिये जाने की संभावना नहीं है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) विभागीय जांच शीघ्र निपटाने के आदेश हैं परन्तु दोषी अधिकारियों तथा जांच अधिकारियों के स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रशासनिक कठिनाइयां होने हेतु देरी हो जाती है। फिर यथासम्भव जांचकरने में शीघ्रता की जाती है। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4) जी हां, विभागीय जांच निपटाने हेतु निश्चित अवधि बतलाना सम्भव नहीं है। परन्तु शीघ्र निपटाने हेतु समय-समय पर आदेश दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में राजस्व मन्त्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपसे बातचीत भी हुई थी। राजस्व मन्त्री जी, प्रतापगढ के अन्दर एक तहसीलदार श्री अजीतसिंह हुआ करते थे। राजस्थान टिनेंसी एक्ट बनने से पहले सैटलमेंट के बारे में उन्होंने कोई इन्द्राजात दर्ज किये। उसके ऊपर उनके खिलाफ जांच हुई। 5 साल की उनकी सर्विस हो गई थी, डी. पी. सी. बैठने वाली थी और वह आर. ए. एस होने वाले थे लेकिन शायद मन्त्री महोदय की कोप दृष्टि या उच्च अधिकारी की कोप दृष्टि की वजह से उस काम, जो कानून के हिसाब से उन्होंने सही किया था, के लिए उनको सजा दी गई और तहसीलदार से इन्सपेक्टर बना दिया गया जब कि उनको आर. ए. एस. अधिकारी बन जाना चाहिए था। उसके सम्बन्ध में जब मैंने राजस्व मंत्री महोदय से उनके चैम्बर में बात की तो राजस्व मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि इस आफिसर ने जो काम किया वह लीगल था लेकिन क्योंकि मैंने गलती से उसको डिग्रेड कर दिया इसलिये अब मेरी की हुई गलती को मैं सुधार नहीं सकता। इस अवस्था में आफिसर को सफर करना पड़ेगा। उसको बजाय एस. डी. ओ. बनने के गिरदावर बनना पड़ा। यह बात माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने अपने चैम्बर में

(श्री लालचन्द)

दस आदमियों के बीच में हमें कही है। तो राजस्व मन्त्री जी, आपकी गलती से किसी आदमी के साथ ऐसा अन्याय हो तो राजस्व मन्त्री जी क्या उस गलती को अब सुधारने की कोशिश करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि कोई गलती नहीं हुई है। मैंने नहीं कहा कि गलती हुई है....

श्री लालचन्द : आपने स्वीकार किया है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री - पूरी बात तो सुन लीजिए।

एक अजीत नाम के तहसीलदार थे। शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जमीन थी वह नान-शिड्यूल्ड ट्राइब्स ने खरीद करली इस बिना पर उनको डिग्रेड कर दिया गया और उनको इन्सपैक्टर बना दिया गया। उनकी रिव्यू एप्लीकेशन गवर्नर महोदय के सामने पेश हुई। वह विभागीय कमेन्ट्स के लिए मेरे पास भेजी गई। यह बात सही है कि जो ट्रान्जेक्शन था सेल डीड, जिसमें एक रजिस्टर्ड डीड और एक अनरजिस्टर्ड डीड थी, सन् 55 से पहले की थी लेकिन खातेदारी अधिकार रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों डीड के अनुसार राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 के अमल में आने के बाद दिया गया। माननीय सदस्य आये थे तो मैंने कहा कि रजिस्टर्ड सेल डीड का सवाल है तो यह हो सकता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पाइंट आफ व्यू से क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अमल में आ चुका था इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज का यह तहसीलदार जिम्मेदार है इसलिए कानूनी कार्यवाही की अलग बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से सजा मिलनी चाहिये। मैंने यह कहा कि लीगली ठीक हो सकता है हालांकि दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, एक रजिस्टर्ड सेलडीड और दूसरी अनरजिस्टर्ड सेल डीड है। फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से वह तहसीलदार सजा पाने का पात्र है। यह मैंने कहा था।

एक माननीय सदस्य : रजिस्टर्ड सेल-डीड पहले की है या बाद की है ?

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : वह लीगली ठीक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक और स्थगित प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री मन्जूर अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लॉ पाइन्ट इनवाल्व है कि यह सेल डीड 15 अक्टूबर, 1955 से पहले की है If the sale deed is earlier of 15th October, 1955 then there is no fault of his

(व्यवधान)

यह बतायें जरा।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रभावशाली होने के बाद जो खातेदारी अधिकारों

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

में अंकित कर दिया गया वह गलत है इसलिये ही उसको डिग्रेड किया गया।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदययह, लॉ पाइन्ट है। वह रजिस्टर्ड सेलडीड 1955 से पहले की है।

श्री रतनलाल वर्मा : लीज डीड सन् 1955 के बाद की है तो परिस्थिति अलग पैदा हो जाती है और यदि पहले की है तो परिस्थिति और पैदा हो जाती है। मन्त्री महोदय दोनों स्थितियों को क्लियर करें ताकि शंका पैदा नहीं हो। कौनसी सेल डीड कब की है, कब तस्दीक हुई और किस तरह से गलती हुई? सारी बात साफ करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बाकायदा जांच हुई है।

श्री मन्जूर अली : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री मन्जूर अली : इस सवाल का जवाब नहीं आया कि 1955 के पहले की है या बाद की है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्लियर बात है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया है।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न था इसके सन्दर्भ में यह सप्लीमेंट्री प्रश्न उठता है लेकिन अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि अजीतसिंह के केस में मुझे जानकारी है इसलिए उस जानकारी के आधार पर सारी बातें निवेदन कर दीं। उसकी शिकायत की गई। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर उसकी जांच की गई। उस जांच के बाद उसको मौका दिया गया। उसके बाद यह फैसला किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री लालचन्द : वह रजिस्ट्रेशन 1955 के बाद का है या पहले का है?

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सारी स्थिति जब इनकी जानकारी में है तो क्यों नहीं बताते हैं?

श्री लालचंद : मन्त्री महोदय, जानबूझ कर इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मैं मन्त्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री नरेन्द्र पाल सिंह।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

शक्ति सीमेंट, वर्क्स डबोक

263. श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शक्ति सीमेंट वर्क्स, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा मिट्टी से सीमेंट बनाया जाता है ? यदि हाँ, तो वह किस रेट से व्यापारियान को दिया जाता है?

(2) शक्ति सीमेंट वर्क्स द्वारा मावली तहसील के जो गांव गोद लिये हैं उनकी अब तक की क्या प्रगति है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उद्योग मंत्री (श्रीसूर्यनारायण चौधरी): (1) उदयपुर शक्ति सीमेंट वर्क्स, डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा सीमेंट बनाने हेतु भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत भारतीय मानक 1489/1976 में वर्णित मानक के अनुसार चूने का पत्थर' लेटेराइट तथा जिप्सम का उपयोग किया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार पोजालोना सीमेंट बनाने हेतु सिलिसियस, अर्थ, बर्न्ट शैल तथा ब्रिक्स भी मिलाया जाता है । सीमेंट फैक्ट्री द्वारा व्यापारियान से वही दर ली जाती है जो केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या सी सी। सी ओ 8 (1) 79।80 दिनांक 3-1-79 तक के लिए निर्धारित रु. 457)71 पैसा प्रति टन की दर है । यह दर पोर्टलेण्ड व पोजालोना सीमेंट दोनों प्रकार की सीमेंट के लिये निर्धारित है ।

(2) शक्ति सीमेंट वर्क्स द्वारा तहसील मावली के 3 गांव गोद लिए गए हैं जिनके नाम हैं —मेड़ता, नान्दवेल व नाहरमगरा । इनकी प्रगति पर जो वास्तविक खर्चा किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी फैक्ट्री से प्राप्त की जा रही है, आने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सर्व प्रथम माननीय श्री प्रश्न कर्ता, फिर श्योपत सिंह ।

श्रीनरेन्द्रपालसिंहचौधरी: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं शक्ति सीमेंट वर्क्स डबोक के सीमेंट की कोई केमिकल रिपोर्ट है, वह बता दीजिये । क्या इन सीमेंट फैक्ट्रियों पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण है ? और कितनी मिट्टी मिलाई जाती है, वह बता दें ।

श्री रघुनंदन व्यास: यह पत्थर से सीमेंट बनता है या केवल बालू मिट्टी से सीमेंट बनता है ?

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं इल्जाम लगाता हूं कि जनता पार्टी के आते ही सबसे पहला तोहफा बिडला की सीमेंट फैक्ट्रियों को मिट्टी मिलाने के लिए दिया है । माननीय उद्योग मन्त्री जी ने मिट्टी का जवाब नहीं दिया । चूने की बात तो कही । इस सवाल में पूछा गया है, उद्योग मन्त्री जी, मिट्टी मिला रहे हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिये । बिड़ला बजाज सब को छूट दे रखी है । जे. के. को छूट दे रखी है ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि दोनों प्रकार की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सीमेंट बनाने की टन कास्ट क्या है? मैन्यूफैक्चरिंग कास्ट में असमानता होते हुए भी इस प्रकार की शक्ति सीमेंट बना कर उसी दर से बेचने के पीछे क्या मन्शा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब आना चाहिये। कितने सप्लीमेंट्री प्रश्न आ गये।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारा भी प्रश्न है, श्रीमान। शक्ति सीमेंट डबोक

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब दिलाता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुनाफा कितने पर्सेंट बनता है, उसका फार्मूला क्या है? जो लाइसेन्स दिया गया है उसमें मिट्टी मिलाने का नहीं है। मिट्टी मिला कर पब्लिक का लाखों रुपया लूट लिया है।

श्री रघुनन्दन व्यास : जहां यह सीमेंट लगाई गई है वहां कुंए धस गये हैं, मकान गिर गये हैं। केवल बालू मिट्टी से सीमेंट बनाई जाती है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्रीगुल मोहम्मद।

श्रीगुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सीमेंट के अन्दर मिट्टी मिलाई जाती है। गांवों में इस सीमेंट के फर्मे बनाने की वजह से कुए धस गये हैं। कई लोगों के चोटें आई हैं, पैसा बिगड़ा है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसकी है?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिट्टी मिलाने के आरोप में शक्ति सीमेंट के मालिक को सजा होनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह मिली भगत है। मिनिस्टर किसी भी सप्लीमेंट्री का जवाब देने में सक्षम नहीं हैं। एक बीमार की तरह पड़े हैं। क्यों नहीं जवाब देते हैं?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं सुनूं तब जवाब देऊं न। अध्यक्ष महोदय से कहिये। कोई बात सुनू तब जवाब देऊं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : किसी भी सप्लीमेंट्री का जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय सदस्य बैठें, तभी तो जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वर चन्द्र : केमिकल एक्सपर्ट की यह रिपोर्ट है, इसमें लिखा है—

"The Pzzolang constituent shall not be less than 10 per cent and not ore than 2› per cent by weight of Portland pozzolana cement. The homogeneity of the mixure shall be guaranteed with in per cent within the same consignment."

(श्री ईश्वर चन्द)

मैं यह पूछना चाहता हूं क्या यह स्टेण्डर्ड निर्धारित किया है कि जो शक्ति सीमेंट बन रही है यह आई. एस. आई. के अनुरूप है और क्या आई. एस. आई. का मार्का है वह इस सीमेंट पर लगता है या नहीं? तीसरी बात क्या सरकार ने इण्डिपेन्डेन्ट टैस्ट करके जो इसके लिए नेसेसरी रिक्विजिट और रिक्वायरमेंट हैं वह उतनी ही मात्रा में मिलाया जा रहा है या नहीं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं यदि मिट्टी मिली हुई है तो भी स्टेण्डर्ड के हिसाब से 50 के0जी0 का वजन होना चाहिये जब कि इसके थैलों का वजन किसी का 37 किलो और किसी का 35 किलो ही निकलता है।

श्री मदन सिंह दांता It is a crime.

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री के उत्तर की व्यवस्था कीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, कृपया उत्तर दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न उठाए गए हैं उन सबका उत्तर दिए देता हूं। माननीय श्योपतसिंह जी ने यह शंका व्यक्त की है जो लिखित उत्तर है वह अपूर्ण है। वह अपूर्ण नहीं है। माननीय श्योपतसिंह जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं सिलिसियस अर्थ बर्न्ट शेल तथा बर्न्ट ब्रिक्स दोनों ही मिट्टी कहलाती है इसलिए जो प्रश्न पूछा है कि मिट्टी मिलाई जाती है, वह बात नहीं है। यह टेक्नोलोजी और फ्रेजोलोजी है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इसमें मिट्टी का कितना पर्सेन्ट है, यह क्वेश्चन बिलकुल साफ है। पोर्टलैन्ड व पोजालोना मिट्टी से सीमेन्ट बनाते हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी वेग टर्म है। बालू और ये जो सभी बताई हैं वे मिट्टी कहलाती हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बर्न्ट शेल व बर्न्ट ब्रिक्स का मतलब मिट्टी हैं।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोजॉलोना सीमेन्ट और पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का एक फार्मूला है उसको आई. एस. आई. ने अप्रव किया है। पोजॉलोना सीमेन्ट बनाए जाने की छूट राजस्थान सरकार ने नहीं दी है केन्द्रीय सरकार ने दी है, उस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि जो आई. एस. आई. की किताब है जिसमें उन्होंने पोजॉलोना सीमेन्ट और पोर्टलैण्ड सीमेन्ट के स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, इन दोनों को ही एक कैटेगरी में रख रखा

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

है । आई. एस. आई. का अपना एक स्टेण्डर्ड और उसमें भारत सरकार ने आज नहीं, 1974 से रख रखा है । जहां पोजोलोना सीमेन्ट का प्रश्न है सीमेन्ट की कमी को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त सीमेन्ट बनाए जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 से 25 प्रतिशत जो बड़े सीमेन्ट वाले हैं उनको यह छूट दी है। इसकी बाक़ायदा आई. एस. आई. के नियमों के अन्तर्गत समय समय पर जांच होती है और उनको आई. एस. आई. का मार्का दिया जाता है और आई. एस. आई. के मार्के के अनुसार ही सेल में जाती है । इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

आ रहा हूं, तसल्ली रखिए ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि दोनों की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है । यह इस प्रश्न में नहीं पूछा है इसलिए इसके सम्बन्ध में अलग से नोटिस चाहता हूं । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी प्रश्न पूछा जायगा सदन में या आउट साइड आफ दी हाउस आपको पूरी जानकारी दे दूंगा । जहां तक गांवों को गोद लेने का प्रश्न है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस गोद वोद के प्रश्न को तो आप छोड़ो, आप तो यह बताओ क्या उसका मार्का अलग होता है जो यहां गेट एरिया में नहीं बेची जानी चाहिये । जो ड्राई एरिया में जाती है उसमें जिप्सम की जगह मिट्टी है चाहे वह किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, सैन्ड हो उसको आपने अपूर्व किया है या आई. एस. आई. ने किया है ? मैं कहता हूं वह आपकी लेबोरेटरी ने पास की है और इसलिए की है कि जिप्सम ज्यादा में रहना पड़ता था जिप्सम से बनने वाली सीमेन्ट ज्यादा बढ़िया होती थी ।

श्री रघुनन्दन व्यास : जिस फार्मूले की बात कही है, हम लोगों की शिकायत पर क्या उसका कैमिकल एनेलेसिस करवायेंगे ? जैसा फार्मूला आपने बताया है उसका पालन करने में दोषी पाए जायेंगे तो क्या नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय श्योपतसिंह जी ने जो पुनः प्रश्न पूछा है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दिमाग में बिना बात की शंकायें अनावश्यक रूप से पैदा होती रहती हैं । इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मजे की बात है ? माल चोरी हो जायगा और आप केस को दर्ज नहीं करेंगे । यह राजस्थान सरकार की ड्यूटी है चाहे वह माल किसी का भी हो । जो हमारी स्टेट सीमेन्ट बनाती है वह देश में ठीक मिले यह हमारी ड्यूटी है और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर अब चर्चा न करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। इसको आधे घण्टे की चर्चा के लिए रख दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्थान सरकार का कोई लेना देना नहीं है, यह कैसे कह सकते हैं कि सैन्ट्रल सरकार की बात है। यह बिलकुल गैर जिम्मेदारी की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार नियन्त्रण करेगी ? क्या सरकार अपना नियंत्रण करायेगी।

श्री रतनलाल वर्मा : राजस्थान में सीमेंट काम आ रही है। सीमेंट जिन मकानों में और दूसरे कामों में काम आती है वे सब बरबाद हो गए तो इससे राजस्थान का ही नुकसान होगा।...

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय गैर जिम्मेदारी का जवाब दे रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को एडवाइस करेगी कि ऐसी सीमेंट, जो फैक्ट्री से कस्टमर्स को दी जाती है, मैं राख और मिट्टी कज्यूमर अपने कन्स्ट्रक्शन वर्क के समय पर खुद मिलावें। जो सीमेंट बनायी जाये वह प्योर बनाई जाय, क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को यह एडवाइस देगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ग्रामों में रहने वाला हर व्यक्ति इस सीमेंट के बारे में कहता है कि इसमें धूल और मिट्टी होती है। इसकी वास्तविकता की जांच की जाय। यह बात भी है कि जितने वेट का थेला होना चाहिए उतने वेट का थेला निकलता नहीं है, इसके कारण से लोगों के मन में घोर आक्रोश है। इस जनता राज में धूल मिली हुई सीमेंट दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गुलाबचन्द कटारिया जो कह रहे हैं, मैं मन्त्री महोदय को बहुत अदब के साथ इतनी सूचना देना चाहूंगा कि कुछ एक बोरियां मैंने भी इस शक्ति सीमेंट की खरीदी, वह शक्तिहीन सीमेंट है। उसमें धूल मिली हुई है और उसमें सब स्टेन्डर्ड माल मिलता है। राज्य सरकार को निरीक्षण करने का अधिकार है और कर्तव्य है। अगर राजस्थान की जनता को सब स्टेन्डर्ड सीमेंट का वितरण होता है तो मन्त्री महोदय ध्यान दें।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, शक्ति सीमेंट में बालू और धूल पाई गई है और स्टेन्डर्ड के हिसाब से उसमें सारा मिक्शचर कया गया है, या नहीं किया गया है, उस पर नियन्त्रण नहीं है और उसको कैसा भी आइटम मिला कर शक्तिहीन बनाया जा रहा है। सदन के माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो जानकारी दी है, इस सारे सन्दर्भ में राज्य सरकार जो कुछ करने में सक्षम है वह राज्य सरकार करेगी और बाकी के विषय में भारत सरकार को लिखेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामनारायण चौधरी : Under weight ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अण्डर वेट भी लेंगे और ओवर वेट भी ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल माननीय श्री श्रवण-लालजी ने....

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस समय पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। अभी प्रश्न काल समाप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, यह घोषणा कर चुका हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम महराना-बायणवाली एवं बंधा को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने का निर्णय

456. श्री रावतराम (सुजानगढ़) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 22-9-78 के द्वारा गांव महराना-बायण-वाली तहसील लूणकरणसर तथा गांव बंधा तहसील बीकानेर को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने हेतु राज्य सरकार को सूचित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सर-कार ने क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सर-कार की नीति के अनुसार किसी भी असिं-चित क्षेत्र के रकबे वाले गांवों को सिंचित क्षेत्र में शुमार न किया जाय ? यदि हां, तो उक्त असिंचित क्षेत्र के रकबे वाले गांवों को सिंचित क्षेत्र में शामिल क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 22-9-78 के द्वारा ग्राम महराना-बायणवाली, तहसील लूणकरणसर को ही उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने हेतु लिखा था जो विचाराधीन है।

(2) जी हां। उक्त असिंचित वाले गांवों में लिफ्ट नहर के निर्माण की सम्भा-वना थी। उसके अनुसार ही वह सिंचित क्षेत्र में शामिल हुये।

ग्राम बिण्डोली का कृषि भूमि का कटाव

श्री रामदेवसिंह (मूण्डवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली, पंचा यत समिति धोद जिला सीकर में 50% खेती योग्य भूमि कटाव से बेकार हो गई है ? यदि हां, तो इस ग्राम में डी.पी ए.पी. स्कीम के अन्तर्गत भू-संरक्षण योजना प्रारम्भ क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

ग्राम बिड़ोली पं. समिति धोद, जिला सीकर में भूमि कटाव की समस्या है। ग्राम की कितने प्रतिशत भूमि कटाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, यह विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा। जिला सीकर में डी. पी. ए. पी. योजना लागू नहीं है। अभी कुछ समय पूर्व प्रारम्भ किये मरु विकास कार्यक्रम में सीकर जिला सम्मिलित किया गया है, तथा भू-सर्वेक्षण एवं टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण हेतु इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। बिड़ोली ग्राम तथा आस-पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। अब मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण पश्चात् तकनीकी राय के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण निर्वाचन क्षेत्र में राजस्व अभियान

507 श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले के जैतारण निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों में राजस्व अभियान के दौरान किन-किन अन्त्योदय परिवारों को व किन किन गैर अन्त्योदय व्यक्तियों को भूमि का आवंटन कितने-कितने बीघा व किस खसरा नं. की किन-किन तारीखों में किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) किन व्यक्तियों को अभी तक आवंटित की गई भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है और कब्जा नहीं मिल पाने के क्या कारण रहे हैं? अब कब्जा कब तक दिला दिया जायगा?

(3) क्या इस बात की जांच की गई है कि जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई उन्होंने ही वास्तव में काश्त की है? यदि हां तो जांच का क्या नतीजा रहा?

उत्तर

(1) सूची सलग्न है।

(2) सभी आदमियों को आवंटित की गई भूमि का कब्जा दिलाया जा चुका है।

(3) प्रथम व द्वितीय अन्त्योदय ऋण में कुल 124 व्यक्तियों को भूमि का आवटन किया गया है, जिनमें से 86 परिवारों द्वारा खरीफ 1978 में उन्हें आवंटित भूमि में फसल की गई है। शेष 35 परिवारों द्वारा अभी तक फसल नहीं की गई है क्योंकि भूमि माह दिसम्बर 78 में आवंटन की गई थी जिसके बाद उपरोक्त फसल होने का समय ही नहीं आया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले में राजस्व अभियान के तहत मेहतर परिवारों को आवंटित भूमि

508. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में राजस्व अभियान में कितने मेहतर परिवारों को कितनी भूमि आवंटन की गई तथा अब तक कितनों को कब्जे दिये गये?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) सीलिंग में से आवंटित भूमि पर कितने मेहतर परिवारों को कब्जे दिये गये ?

(3) अन्त्योदय के प्रथम चरण में कितने मेहतर परिवारों का चयन किया गया एवं उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी गईं ?

(4) अन्त्योदय के दूसरे चरण में कितने मेहतर परिवारों का चयन किया गया ?

उत्तर

(1) इस जिले में राजस्व अभियान में 43 मेहतर परिवारों को 113 एकड़ भूमि आवंटन की गई तथा आवंटित भूमि पर सभी व्यक्तियों को कब्जे दे दिये गये हैं।

(2) सीलिंग में से आवंटित भूमि पर पांच मेहतर परिवारों को कब्जे दिये जा चुके हैं।

(3) अन्त्योदय के प्रथम चरण में कुल 74 मेहतर परिवारों का चयन किया गया है। उनमें से 18 परिवारों को भूमि आवटन एवं ऋण स्वीकृति (दोहरा लाभ) व 9 परिवारों को केवल भूमि आवंटन तथा 44 परिवारों को ऋण स्वीकृति की सुविधा दी गई है। शेष 3 परिवारों में से 2 परिवारों का निष्क्रमण के आधार पर विलोपन किया जा चुका है तथा एक परिवार अलाभान्वित है।

(4) इस जिले में अन्त्योदय के दूसरे चरण में 46 मेहतर परिवारों का चयन किया है।

जिलाधीश, गंगानगर द्वारा अपने नाम आवंटित जमीन

510. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या श्री गुमानसिंह, जिलाधीश, गंगानगर के खिलाफ जागीरदार बन कर जमीन लेने की जांच चल रही है यह जवाब पिछले अधिवेशन में दिया गया था :

(क) यह जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

(ख) जांच कहां तक की गई है ? जांच के क्या नतीजे निकले ?

(2) क्या श्री गुमानसिंह, जिलाधीश, गंगानगर, गंगानगर में जागीर की एवज में जमीन लेने के बाद वहां के बाशिन्दा नहीं हो गये ? क्या उनकी वहां पोस्टिंग नियम विरुद्ध नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान भूमिसुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 40 (ए) के अन्तर्गत केस को सूमो मोटो रिव्यू किया जाकर जांच की जा रही है।

(क) खुद काश्त आयुक्त राजस्थान जयपुर के समक्ष विचाराधीन है।

(ख) इस विषय में श्री गुमान सिंह द्वारा सहादत पेश की जानी है। आगामी सुनवाई की तारीख 30-3-79 निश्चित है।

(2) जी नहीं।

देवस्थान विभाग के अधीन जिला बूंदी के मंदिर

511. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) देवस्थान विभाग के अधीनस्थ जिला बूंदी में कितने मंदिर हैं ? ग्राम एवं मंदिर के नाम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा डिवीजन में मंदिरों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो स्वीकृत राशि किस-किस मंदिर के नाम व कहां कहां ? जानकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन जिला बूंदी में केशव भगवान का एक विशाल मंदिर स्थित है ? यदि हां, तो इस मंदिर की मरम्मत एव पुताई आदि के लिए विभाग द्वारा कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के द्वारा प्रबन्धित जिला बूंदी में 14 राजकीय मंदिर हैं। मंदिरों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां, सूची "ब" संलग्न है।

(3) जी हां, मंदिर श्री केशवराय पाटन राजकीय प्रत्यक्ष कुमार श्रेणी का मंदिर है तथा इसकी मरम्मत एवं पुताई इत्यादि की कार्यवाही की जा रही हैं।

(सूची के लिए कृपया परिष्टि 4 देखें)।

पिड़ावा तहसील में रहे तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार

512. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिड़ावा तहसील में 22 जून, 1977 से 10 फरवरी, 1979 तक कोन-कोन तहसीलदार व नायब तहसीलदार कितनी-कितनी अवधि तक कार्यरत रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार जानबूझ कर पिडावा तहसील की उपेक्षा कर वहां के काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं कर रही है ?

उत्तर

(1) पिड़ावा तहसील में 22 जून, 1977 से 10फरवरी, 1979तक तहसीलदार व नायब तहसीलदार जो कार्यरत रहे उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पिड़ावा तहसील में विचाराधीन मामले

513. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

पिड़ावा तहसील में धारा 91 लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले विचाराधीन हैं ? सम्पूर्ण तहसील का रकबा व ट्रेसपासर्स के नाम मय वल्दियत ग्रामवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पिड़ावा तहसील में धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत दि. 1-1-79 को 443 मामले विचाराधीन थे, उनमें से अब तक 403 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्तमान में केवल 40 मामले ही विचाराधीन हैं, जो तारीख पेशी में चल रहे हैं। विचाराधीन 40 मामलों में अतिक्रमित कुल क्षेत्रफल 297 बीघा 11 बिस्वा है। अतिक्रमियों के नाम एवं वल्दियत सहित ग्रामवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)।

तहसील सोजत के कृषकों से वसूल की गयी राशि

514. श्री धंगारसिंह चौधरी (खारची) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या ग्राम धोनावास तहसील सोजत जिला पाली के कृषकों से दिनांक 3-8-71 को नाजायज वसूल की गई राशि रु. 1495.35 को लौटाने के आदेश दिनांक 18-9-78 को जिलाधीश पाली ने किये ? यदि हां, तो क्या उक्त राशि कृषकों को लौटा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम धोनावास तहसील सोजत जिला पाली के कृषक सर्व श्री मादो पुत्र हरजी, लालो बेटा पीथा, किशना बेटा डाहरा, जोरो बेटा जीवारी व केसीया बेटा लुम्बारी जातरा सीरवी से रु० 1495.35 पटवारी की भूल के कारण गलत वसूल हुए हैं। इस राशि को सम्बन्धित कृषकों को लौटाने हेतु जिलाधीश पाली के द्वारा दिनांक 18.11.78 को आदेश प्रसारित किये गये हैं।

इस राशि का अभी तक कृषकों को भुगतान नहीं हुआ है क्योंकि रकम लौटाने के आदेश में जिन काश्तकारों के नाम दर्ज किए गए थे उनमें से सर्व श्री मादा लाला एवं किशना फौत हो चुके हैं। अब उनके उत्तराधिकारियों के नाम रकम वापसी की स्वीकृति आदेश प्रसारित करने के लिए तहसीलदार सोजत ने निवेदन किया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में घोड़ों की कमी

516. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधवसिंह दीवान)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में घोड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है तथा इसकी ब्रीड भी बिगड़ रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मेल घोड़ों की कमी के कारण इनकी जन्म दर में कमी आई है तथा राज्य के एक समय के विख्यात घोड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि पशुपालक घोड़े कम रखना पसंद करते हैं क्योंकि उनका खर्चा अधिक पड़ता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार डिस्पेन्सरी में मेल घोड़े रखवाने का विचार रखती है या जिलेवार होर्स ब्रीड का सलेक्शन कर उन्हें घोड़े दिलवा कर या सब्सिडी देकर घोड़े रखने को प्रेरित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां,

विगत समय में घोड़ों की उपयोगिता एवं मांग कम होने के कारण पशुपालक उक्त प्रजनन में रुचि कम लेते हैं।

(2) जी हां,

पशु गणना 1956, 61, 66, 72 के आंकड़ों के अनुसार घोड़ों की संख्या क्रमशः 1.13, 0.94, 0.63, 0.48 लाख है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान में धीरे-धीरे घोड़ों की संख्या घटती जा रही हैं।

(3) जी हां,

यह सही है कि साधारण पशुपालक नर घोड़े रखना कम पसन्द करते हैं क्योंकि उन पर व्यय अधिक आता है।

नर घोड़ों का प्रजनन के लिए चिकित्सालयों में रखा जाना राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है।

जयपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से वसूल किया गया मण्डी शुल्क

517. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से अब तक कुल कितना मण्डी शुल्क वसूल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त मण्डी शुल्क का ग्रामीण विकास कार्यों के लिए कोई उपयोग किया गया है? यदि हां, तो कितनी धनराशि कहां कहां, कब कब, कितने कितने निर्माण कार्य के लिए खर्च की गयी है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या सरकार उक्त धनराशि को गांवों की छोटी छोटी रोड्स के निर्माण कार्य में खर्च करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो सरकार की कब कब कहां कहां कितनी कितनी धनराशि खर्च करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किसानों से कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। मण्डी शुल्क कृषि उपज के क्रेता व्यापारी से वसूल किया जाता है। जयपुर जिले की आठों मण्डी समितियों से प्रारंभ से अब (फरवरी 1979) तक वसूल किये गए मण्डी शुल्क का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मण्डी शुल्क की राशि से मन्डियों का विकास, नई मण्डियों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस धनराशि से मण्डी यार्डों के निर्माण तथा संपर्क सड़कों पर किये गये व्यय का वांछित विवरण संलग्न कर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। इस धनराशि से गांवों की सम्पर्क सड़कों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान में इन सड़कों का विवरण दिया गया है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालौर जिले में फसलों को अरगट व गेरू रोग से क्षति

518. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)- क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में बाजरे में अरगट रोग एवं गेहूं में गेरू रोग लगने के क्या क्या कारण हैं? उन रोगों के इलाज हेतु विभाग ने रिसर्च करवा कर क्या क्या इलाज निकाला है एवं उस उपचार से फसल में कितना फायदा विभाग की कोशिश से पहुंचाया गया है?

(2) क्या विभाग ने गन्ने, कपास, सरसों एवं अन्य व्यापारिक फसलों में लगने वाली बीमारियों के भी पुख्ता इलाज निकाले हैं? अगर हां, तो कब कब क्या क्या इलाज निकाले हैं एवं उनका विभाग ने कहां कहां पर क्या क्या उपचार किया है एवं उसका काश्तकारों को कितना लाभ पहुंचा है?

(3) जिला जालौर में व्यापारिक फसलों में पत्तों पर लगने वाली चेपे की बीमारी का अब तक विभाग ने क्या इलाज निकाल कर कहां पर क्या इलाज किया है एवं उससे फसलों में कितना प्रभावी असर पड़ा है?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(4) इस वर्ष जिला जालोर में रबी फसलों में कहां कहां पर क्या क्या बीमारियां अब तक विभाग के नोटिस में आई हैं एवं उसके बारे में नियंत्रण हेतु विभाग ने कहां कहां पर क्या क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) बाजरे में अरगट रोग व गेहूं में गेरू रोग एक प्रकार का फफूंद रोग है जो अनुकूल मौसम में अधिक फैलता है।

विभाग द्वारा अरगट रोग के प्रसार को बीज के माध्यम से कृषकों को रोकने के लिए बुवाई से पहले बाजरे के बीज को 20 प्रतिशत नमक के घोल से उपचार कर बोने एवं पूर्व के रोग ग्रसित क्षेत्रों में सिट्टे निकलने के पहले 3-3 दिन के अन्तर पर 2-3 बार फफूंद नाशक दवा के छिड़काव की सिफारिश की गयी है। गेहूं में गेरू रोग की रोकथाम के लिए देशी गेहूं, जो कि रोग से अधिक प्रभावित होता है, न बोने तथा इसके स्थान पर रोग वहन करने वाली किस्में जैसे सोनालिका, राज-911, एच. डी.-2009 बोने की सिफारिश की है। मौसम अनुकूल होने पर रोली रोग के प्रकोप होने पर ग्रसित खेतों में व आस पास के खेतों में 25 किलो गन्धक का पाउडर प्रति हैक्टेयर सुबह शाम बुरकने एवं 15 दिन के अन्तर पर 2-3 बार इस बुरकाव को दोहराने की सिफारिश की है।

विभाग की सिफारिश पर 5000 क्विंटल बीज देशी किस्मों के स्थान पर रोली रोधक किस्मों का बीज नेड क्षेत्र में बटवाकर वर्ष 1976 में काश्त करवायी गयी जिससे रोली रोग का प्रभाव कम हुआ है। इसके अतिरिक्त जिले में इस वर्ष 167 हैक्टेयर क्षेत्र में फसल को क्षति से बचाया गया है। जिले में बाजरे की फसल को लगभग 73572 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई से पूर्व बीज को नमक के घोल से उपचारित कर अरगट रोग की सघनता को फैलने से बचाया गया है।

(2) जी हां। विभाग ने व्यापारिक फसलों में लगने वाली बीमारियों के भी पुख्ता इलाज निकाले हैं। जिले में गन्ने की फसल नहीं ली जाती है।

कपास में तेला, चेपा, सफेद मक्खी, बालवार्म, ग्रेव्हीविल कीट व ब्लेक-आर्म रोग के लिए। सरसों व राया में मोयला, पेन्टेड बग कीट एव जीरे में छाछया रोग के नियन्त्रण के लिए कीटनाशक व फफूंदनाशक औषधियों के बुरकाव / छिड़काव कर पुख्ता इलाज निकाले हैं।

जिले में उपरोक्त खरीफ की फसलों में 31.335 टन दवाइयां बुरक कर व 1061.5 लीटर दवाइयों के छिड़काव कर तथा रबी की फसलों में 374.3 टन दवाईयां बुरक कर व 845 लीटर दवाइयां छिड़क कर फसलों को क्षति से बचाया है।

(कृषि मन्त्री)

(3) जिला जालौर में सरसों-राया की फसल पर चेपा कीट नियन्त्रण के लिए कीट नाशक औषधियां छिड़क कर किया गया है। कीट नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशक औषधियां वितरित करायी गयी हैं। जिले मे 454.9 हैक्टर क्षेत्र में अनुदान पर 756 हैक्टेयर क्षेत्र में बिना अनुदान पर कीट नाशक औषधियां वितरण कर फसल को क्षति से बचाया गया है।

(4) इस वर्ष जालौर जिले में रबी की फसल में पंचायत समिति सायला, भीनमाल व जालौर क्षेत्रों में 167 हैक्टेयर क्षेत्र में देशी गेहूं की फसल में रौली रोग एवं समस्त पंचायत समितियों में जीरे की फसल में छाछ्या रोग व चरमा रोग व रायड़ा की फसल में मोयला कीट प्रकोप होने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है।

विभाग द्वारा इस क्षेत्रों में रौली रोग नियन्त्रण हेतु सल्फर पाउडर का भुरकाव एवं फफूंदनाशक दवा (डाईथेन जेड 78) एवं मैनकोजेब दवाइयों का छिड़काव कर रोग नियन्त्रण किया गया है। जीरे की फसल में 7239 हैक्टेयर क्षेत्र में सल्फर पाउडर बुरक कर एवं कुमान एल0, डाइफाल्टन व बावस्टिन दवाइयां छिड़क कर छाछ्या रोग का नियन्त्रण किया गया है। राया सरसों के 1210.9 हैक्टर क्षेत्र में कीटनाशक औषधियां छिड़क कर मौलया कीट नियन्त्रण किया गया है।

जिला जालौर में सरसों राया की फसल पर चेपा कीट नियन्त्रण हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान पर कीटनाशक औषधियां जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियां व विभाग के माध्यम से वितरित करवायी गयी हैं। जिले में 4549 हैक्टेयर क्षेत्र में अनुदान पर व 756 हैक्टर क्षेत्र में बिना अनुदान पर कीटनाशक औषधियां वितरण कर फसलों को क्षति से बचाया गया है।

इस वर्ष जालौर में रबी की फसल में पंचायत समिति सायला, भीनमाल व जालौर क्षेत्रों में 167 हैक्टेयर क्षेत्र में देशी गेहूं की फसल में रौली रोग एवं समस्त पंचायत समिति क्षेत्रों में जीरे की फसल में छाछ्या रोग व चरमा रोग व रायड़ा की फसल में मोयला कीट प्रकोप होने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में रौली रोग नियन्त्रण हेतु सल्फर पाउडर का भुरकाव एवं फफूंदनाशक दवा (डाइथेन जेड 78) एवं मैनकोजेब दवाइयों को छिड़काव कर, रोग नियन्त्रण किया गया है। जीरे की फसल में 7230 हैक्टेयर क्षेत्र में सल्फर पाउडर बुरक कर एवं क्यूमान एल. सी. डाइफोल्टन व बावस्टिन दवाइयां छिड़क कर छाछ्या रोग का नियन्त्रण किया गया है। राया सरसों की 1210 हैक्टर क्षेत्र में कीट नाशक औषधियां छिड़क कर मोयला कीट नियन्त्रण किया गया है।

जोधपुर जिले के रासायनिक खाद विक्रेता

519. श्री सूरजपाल सिंह (भीलवाड़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर जिले के रासायनिक खाद विक्रेताओं की सूची प्रत्येक के द्वारा वर्ष

(श्री सूरजपाल सिंह)

1978 में विक्रय किये गए नाइट्रोजन फोस्फेट व पोटाश की मात्राओं के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के अधिकांश रासायनिक खाद के विक्रेताओं ने फोस्फेट व पोटाश खादों का विक्रय नहीं किया, न ही स्टाक रखा ? यदि हां तो उक्त विक्रेताओं के विरुद्ध फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आर्डर, 1957 के तहत क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की वर्ष 1978-79 में उर्वरक विक्रेताओं की सूची उनके द्वारा विक्रय किए गए विभिन्न तत्व दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां, यह सही है कि जोधपुर जिले के अधिकांश विक्रेताओं ने वर्ष 1978–79 में पोटाश का विक्रय नहीं किया। उक्त विक्रेताओं के खिलाफ फर्टीलाइजर कन्ट्रोल आर्डर के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रदेश की भूमि में पोटाश तत्व की मात्रा अधिक उपलब्ध है इसलिये इस उर्वरक के देने से लाभ नहीं मिलता। इसलिए सामान्य पैदावार लेने के लिए विभाग पोटाश देने की सिफारिश नहीं करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति, भवानी मण्डी द्वारा किराये पर लिया गया भवन

520. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी, समिति भवानी मंडी ने व्यापार उद्योग मण्डल, भवानी मंडी के स्वामित्व का भवन उनसे किराये पर ले रखा है ? यदि हां, तो कितना रुपया मासिक किराया है व अब तक कितना रुपया किराया पेटे कृषि उपज समिति ने अदा कर दिया है व कितना बकाया है !

(2) भवानी मंडी में कृषि उपज मंडी समिति का अपना पर्याप्त भवन होते हुए भी किराये पर कार्यालय लेने का क्या औचित्य है। कब तक समिति का कार्यालय उनके निजी भवन में स्थानान्तरित कर सकेंगे।

उत्तर

(1) जी हां। 750/- किराये पर है। अभी किराये का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 23,000/ किराया बकाया है।

(2) मंडी समिति के पास अपना स्वयं का अभी कोई कार्यालय भवन नहीं है। मण्डी समिति द्वारा क्रय की गई भूमि पर केवल चार दिवारी, नाला, पुलिया, प्याऊ, मूत्रालय, कृषक एवं पशु विश्राम गृह ही निर्माण किये गये हैं। कार्यालय भवन का निर्माण होना शेष है। चूंकि इन निर्माण कार्यों को गत वर्ष 14-8-78 को स्थानीय जन प्रतिनिधियों के आग्रह के कारण यार्ड

(कृषि मन्त्री)

के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लेने तक के लिए रुकवा दिया गया था, अस्तु मण्डी समिति को किराये पर लिए गए भूमि तथा भवन में ही अपना यार्ड व कार्यालय स्थापित करना पड़ा। नये भूखण्ड पर जब तक समस्त निर्माण कार्य पूरे कर व्यापार की सुविधायें उपलब्ध हो तब तक वहां कार्यालय स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं है। अब सरकार ने इस मामले में निर्णय ले लिया है तथा नये यार्ड में शेष निर्माण कार्य स्वीकृत परियोजनानुसार पूरे हो जाने पर यार्ड एवं कार्यालय भवन अपने स्वयं के भूखण्ड पर स्थानान्तरित करना सम्भव हो सकेगा।

बीकानेर अमूल डेयरी को दी गई राशि

521. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उत्तर

क्या सन् 1977-78 के माह मार्च के अन्तिम दिनों में बीकानेर अमूल डेयरी को इसके उपयोग हेतु राशि का आवंटन किया गया? यदि हां, तो कितनी राशि दी गई और क्या उसका उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में हो गया?

वर्ष 1977-78 के मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में 50,80,00 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा डेयरी विस्तार हेतु स्वीकृत की गई थी। जिसमें 2,80,000 रुपये जो कि अवशीतन केन्द्र लूनकरणसर के विस्तार हेतु स्वीकृत थे वह वर्ष 1977-78 में ही उपयोग कर लिये गये। शेष राशि के लिए स्वीकृति में यह उल्लेख था कि वह राशि राज्य सरकार के विस्तृत आदेशानुसार जो बाद में सूचित किये जाने थे, व्यय की जावेगी यह आदेश क्रमांक एफ 1(110) एग्री|6|77 से प्राप्त हुए।

तदनुसार 370,000 रुपये डेयरी द्वारा विस्तार कार्य हेतु उपयोग किये गये एवम् शेष राशि (44,30,000 रुपये) राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन को मुख्य डेयरी के विस्तार कार्य हेतु ट्रांसफर कर दिये गये।

सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियां

522. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन के सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां कहां की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) सिकराय निर्वाचक क्षेत्र की किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन व घोटालों के मामले हैं तथा उनके निस्तारण हेतु विभाग द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदेरा तथा सखण्डला में भी गबन व अनियमितताओं के मामले हैं? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सहित अब तक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री राम किशोर मीणा)

(4) क्या यह सही है कि गत विधान सभा में ग्राम सेवा सहकारी समिति, चांदेरा तथा सखण्डला के मामलों को दो माह में निस्तारण का लिखित में आश्वासन दिया था? क्या विभाग द्वारा दो माह में निस्तारण कर दिया गया? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इस मामले में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है जिनकी वजह से दो माह में मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया?

उत्तर

(1) जी नहीं!

(2) सिकराय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गबन घोटालों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं! शीघ्र जांच का आदेश दिया था। धारा 70 में जांच की जाकर अब नियमानुसार धारा 47 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रशासक नियुक्त किया जाकर वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक का आडिट कराया जा चुका है। आगामी कार्यवाही शीघ्रता से की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का खर्च

525. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय करती है?

(2) इस राशि में से डाक्टरों, स्वीपरों, दवाओं आदि विभिन्न मदों पर कितना कितना रुपया व्यय किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) अस्पताल के वर्तमान बजट में प्राप्त अधिकतम कीमतों की दवाओं के निःशुल्क वितरण पर 1976-77 व 77-78 में कितना व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर वर्षवार अलग अलग रखने की कृपा करें।

(4) तीन सौ रुपये मासिक से कम आय वाले मरीजों पर दवाइयों का कितना प्रतिशत भाग व्यय किया गया व कुल बजट का कितना रुपया व्यय किया गया?

(5) इस अस्पताल में भरती होने वाले जयपुर नगर व बाहर के इन्डोर मरीजों का अलग अलग 1976-77 व 1977-78 का वार्षिक प्रतिशत व संख्या बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर पर राज्य सरकार ने वर्ष 1977-78 में रुपये 10528107 व्यय किया।

(2) इस चिकित्सालय में विभिन्न मदों पर जो व्यय किया गया है सूची संलग्न है।

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) वर्ष 1976-77 में निशुल्क ड्रग एण्ड मेडीसिन पर कुल 19,13,574 एवं वर्ष 1977-78 में रुपये 19,82,485 व्यय किये गए।

(4) तीन सौ रुपये मासिक से कम आय वाले मरीजों को दवाइयां दिये जाने का यहां पर हिसाब नहीं रखा जाता है। दवाइयां कम आय वाले रोगियों को निशुल्क दी जाती है।

(5) इस चिकित्सालय में कुल 31450 व्यक्ति वर्ष 1977 में भर्ती हुए जिसमें से जयपुर नगर के 20865 एवं जयपुर नगर के बाहर के 10585 हैं इस प्रकार जयपुर नगर के व्यक्ति 67 प्रतिशत हैं। वर्ष 1978 में 33,292 मरीज भर्ती हुए जिनमें से जयपुर नगर के 21362 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1193● भरती हुए इस प्रकार जयपुर नगर के भर्ती होने वाले मरीजों का प्रतिशत लगभग 64 प्रतिशत रहा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधा

526. श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ठहराने की सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अस्पताल के पास साईकिल स्टैण्ड के निकट एक मुसाफिर खाना बनाने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल के पास चोरों तथा ठगों का एक गिरोह है जो आये दिन भोले ग्रामीण लोगों को उपचार के नाम पर अक्सर ठगता है ? यदि हां, तो क्या प्रशासन गुप्तचर विभाग द्वारा इन अपराधों की रोकथाम करने का प्रयास करेगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को तो स्वयं के तथा परिवार के इलाज के वास्ते पैसा मिल जाता है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार गरीबों के इलाज के वास्ते भत्ता दिये जाने का विचार कर रही हैं ? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में आये दिन लावारिस बीमार आते हैं उनकी ओर डाक्टर भी ध्यान नहीं देते हैं और वे जानवरों की मौत मर जाते हैं और कभी 2 तो ऐसा होता है कि उनकी डेड बोडी कई दिन तक अस्पताल के प्रांगण में पड़ी हुई सड़ती रहती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में मरीजों को खून दिये जाने की शिकायत अक्सर रहती है और हर बीमार के साथ खून देने वाला व्यक्ति नहीं होता है?

(38)

(श्री उमरावसिंह गूजर)

क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में गत वर्ष भगवानदास नाम के मरीज के साथ जो कैंसर का मरीज था तथा उसके वारिश ने चार यूनिट खून दे दिया फिर भी डाक्टरों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और एक समस्या खड़ी करदी ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी?

(7) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में विधायकों को बीमारी की स्थिति में भर्ती होने पर काटेज वार्ड तीन माह तक भी अलाट नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पर अस्पताल के सामने रोगियों के साथ आने वाले व्यक्तियों के ठहरने के लिए एक धर्मशाला उपलब्ध है। अन्य कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में इस विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। नियमानुसार राज्य कर्मचारियों के परिवार के समान इस चिकित्सालय के कर्मचारियों को भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है।

(4) मरीजों को इलाज कराने का भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही सरकार के पास इस हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकारी अस्पतालों में शत, प्रतिशत मुफ्त में इलाज एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था है जिसका पूर्णलाभ गरीब एवं अमीर समान रूप से लेते हैं।

(5) जी हां। अस्पताल में लावारिश बीमार इलाज को आते हैं। परन्तु यह सही नहीं है कि डाक्टर उनकी ओर ध्यान नहीं देते। उनके उपचार की पूर्ण व्यवस्था इस चिकित्सालय द्वारा की जाती है मृत्यु हो जाने पर उसे इस चिकित्सालय के शव-गृह में 24 घन्टे रखा जाता है तत्पश्चात मेडिकल कालेज के एनाटामी विभाग में भेज दिया जाता है। वहां लाश खराब नहीं होती है।

(6) जी नहीं। इस चिकित्सालय में ब्लड-फार ब्लड दिये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिस मरीज के साथ अटेन्डेन्ट नहीं होता उसके लिए इस चिकित्सालय में ही आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क ब्लड की व्यवस्था कर दी जाती है। जहां तक मरीज भगवानदास का प्रश्न है, यह सूचना देना तभी सम्भव होगा जब यह बात हो कि मरीज कब व किस वार्ड में भर्ती था एवं किस व्यक्ति द्वारा इसके लिए ब्लड डोनेट किया।

(7) जी नहीं। इस चिकित्सालय में विधायकों को कोटेज वार्ड रिक्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर अलाट कर दिया जाता है।

कोटपूतली का बी.डी.एम. हास्पिटल

527. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली के बी.डी.एम. हास्पिटल में कितने बैड का प्रबन्ध है तथा वहां कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और कितने डाक्टर हैं ?

(2) कितना स्टाफ आज भी पूरा नहीं हुआ ?

(3) कितनी ए.एन.एम. व दाई इस समय तहसील में हैं ?

(4) कितने ए. एन. एम्स की जगह दाईयां काम कर रही हैं ?

(5) कितने उप केन्द्र पूरी तरह चालू है तथा किन में स्टाफ की पूर्ती नहीं है ?

उत्तर

(1) बी डी.एम. हास्पिटल, कोटपूतली में 100 बैड्स का प्रबन्ध है।

डाक्टरों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का ब्योरा इस प्रकार है :—

पद का नाम	स्वीकृत पद
कनिष्ठ विशेषज्ञ	4
सी. ए. एस.	5
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23 (वार्ड ब्वाय हरिजन सहित)

(2) एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) का पद मार्च, 1978 से रिक्त है।

(3) तहसील कोटपूतली में 10 ए.एन.एम. एवं 14 दाईयां वर्तमान में कार्यरत है।

(4) 9 दाईयां ए. एन. एम. के पद के विरुद्ध कार्यरत हैं।

(5) 9 उप केन्द्र कार्यरत हैं तथा 2 उप केन्द्र (गोपालपुरा एवं मोलाहेड़ा) में प्रसाविका के अभाव में चालू नहीं हैं।

लालसोट विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं

528. श्री हरसहाय मीणा (लालसोट) श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लालसोट विधान सभा क्षेत्र में लालसोट नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर कितने चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार की योजना के अनुसार इस क्षेत्र में एक चिकित्सालय और खोला जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) लालसोट विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोलना स्वीकृत हुआ और उनमें से कितने चालू किये गये ?

(श्री हरसहाय मीणा व श्री रामकिशोर मीणा)

(4) लालसोट चिकित्सालय के प्रतिदिन कितने औसत रोगी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं?

(5) क्या लालसोट चिकित्सालय में राज्य सरकार एक अतिरिक्त डाक्टर की नियुक्ति एवं इनडोर वार्ड्स में बैड्स बढ़ाना उपयुक्त समझती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) 1- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंडावरी एवं 12 उपकेन्द्र

2- राजकीय डिस्पेन्सरी, रामगढ़ पचवारा।

3- एडपोस्ट राहूवास

(2) योजना मद में वित्तीय प्रावधान होने पर एक डिस्पेन्सरी और खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) वर्ष 1978-79 में कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं किए गए।

(4) लालसोट चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने वाले पुराने व नये रोगियों का दैनिक औसत क्रमश: 191 व 115 है।

(5) जी नहीं।

जोधपुर में कोबाल्ट यूनिट का निर्माण कार्य

529. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में कोबाल्ट यूनिट निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों?

(2) माह-मई में राष्ट्रपति के उद्घाटन के बाद कार्य तत्काल शुरू नहीं करने का क्या कारण था तथा अब कब तक कोबाल्ट यूनिट का निर्माण कार्य करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) हां। यह सही है जोधपुर में कोबाल्ट प्लान्ट का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि भवन की तकनीकी विशेषता होने के कारण भाभा रिसर्च सेन्टर बोम्बे के रेडियो प्रोटेक्शन विभाग द्वारा स्वीकृत कराया जाना था जिसकी स्वीकृति दिनांक 20.1.79 को प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने दिनांक 31.12.78 को 2-00 लाख रु. की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है तत्पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण हेतु निविदायें आमन्त्रित कर दी हैं।

(2) माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा फरवरी, 1978 में इसका शिलान्यास किया गया तत्पश्चात् भवन की नींव की तकनीकी स्वीकृति भाभा रिसर्च सेन्टर बोम्बे से प्राप्त की गई जो कि दिनांक 20.1.79 को प्राप्त हुई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी लागत 4-62 लाख रुपये अनुमानित की गई किन्तु राज्य सरकार द्वारा 2-00 लाख रुपये ही स्वीकृत किये जाने के कारण

(चिकित्सा मन्त्री)

इसका निर्माण कार्य तीन चरणों में विभक्त किया गया है प्रथम चरण में 1-70 लाख रुपयों की अधिक आवश्यकता रहेगी अब इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने जा रहा है।

भारत सरकार से भी कोबाल्ट यूनिट के लिए 10-00 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 2.3.79 को प्राप्त हो गई है।

राज्य में शराबबन्दी व परमिट देने का आधार

530. श्री माधव सिंह दीवान(सोजत): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष पाली व जोधपुर जिले में सरकार ने नशाबन्दी करदी थी ? यदि हां, तो इन जिलों में तहसीलवार आज तक कितने कितने आदमियों ने परमिट के लिए मांग पत्र पेश किये, कितनों को दिये गये तथा कितने विचाराधीन हैं ?

(2) इस परमिट को देने का क्या क्राइटेरिया है ?

(3) उपरोक्त जिलों एवं नागौर के पड़ौस में आए जिलों (अजमेर, उदयपुर, सीकर, बीकानेर) में किस किस जगह के शराब के ठेके होते हैं ? इन जगहों पर पिछले पांच साल में दिये गये ठेकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इस सूची से यह विदित नहीं होता कि पड़ौस के जिलों में शराब की बिक्री कई गुना बढ़ गई है और यह माल चोरी छुपे नशाबन्दी वाले इलाके में जाता है ?

(5) क्या यह भी सही है कि नशाबंदी वाले इलाके में चोरी छुपे बिक्री तथा इल्लिसिट लीकर का डिस्टिलेशन बहुत बढ़ गया है तथा उसी मात्रा में पुलिस तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की आय भी बढ़ गई है ? सरकार ने इन जिलों में कितने छापे मारे तथा कितना माल बरामद किया ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची 'क' संलग्न है।

(2) राजस्थान लिकर प्रोहीबीशन रूल 1967 के नियम 4 के अन्तर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर हैल्थ परमिट दिये जाते हैं।

(3) सूची 'ख' संलग्न है।

(4) संलग्न सूचियों को देखने से प्रतीत है कि इन जिलों में मदिरा की बिक्री में बढ़ौतरी हुई है। परन्तु बढ़ौत्तरी राज्य के अन्य जिले में भी हुई है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन जिलों में मद्यनिषेध क्षेत्र वाले जिलों में चोरी छिपे मदिरा जाने के फलस्वरूप बिक्री बढ़ गई है। यद्यपि मद्य निषेध क्षेत्र में चोरी छिपे मदिरा के आयात की सम्भावना रहती है, परन्तु उसकी रोकथाम के लिए विभाग पूर्णतया सतर्क है। तथा इस तरह की अनियमितता पाई जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(92)

(वित्त मन्त्री)

(5) जी नहीं। जिला जोधपुर, पाली एवं नागौर में वर्ष 1978-79 में अब तक क्रमशः 284, 256 व 353 छापे मारे गये है। जिला जोधपुर में 3177 बोतल 3 साईकिल, 5 जीपें व 47 भट्टियां पकड़ी गयी है। तथा 80,000 लीटर कच्ची शराब जब्त कर नष्ट की गयी है। पाली जिले में 3103 बोतल 7 साईकिलें, 1 मोटर साईकिल, 24 भट्टियां व 50,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी जाकर नष्ट की गयी, तथा नागौर जिले में 802 बोतल शराब तथा 101 भट्टियां व 1,00,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी जाकर नष्ट किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

जयसमन्द बांध, अलवर

531. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर के जयसमन्द बांध की उपरा को ऊंचा उठाने की विभाग की योजना है? यदि हां, तो यह कार्य किस हेतु किया जा रहा है?

उत्तर

जी नहीं।

धौलपुर सब-डिवीजन में फ्लड कन्ट्रोल की योजना

532. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर सब डिवीजन में पिछले 19 माह में 28-2-79 तक क्या काम हुआ है; और क्या धौलपुर तहसील के गांव सरानीखेड़ा, सूरजपुरा, बसई, करीमपुर, भगतपुरा, कोलुआ अमरारा, दादूर, तोर, विपरपुर, कासमपुर, सादिकपुर, फिरोजपुरा, भीलकापुरा व धौलपुर शहर के इर्दगिर्द के एरिया में राज्य सरकार पिछले दो साल से फ्लड कन्ट्रोल करने की योजना बना रही है? यदि हां, तो आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? बदस्तूर बाढ़ आ रही है तमाम इलाके में बरबादी छाई हुई है जबकि भरतपुर लेवल में डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वित्तमंत्री व कलेक्टर व एक्स. ईए. न., सिंचाई कोटा के सामने मिटिंग में एस्टीमेंट बनाने हेतु तय किया गया लेकिन कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई इसकी वजह क्या है? आयन्दा भी बाढ़ रोकी जावेगी अथवा नहीं?

उत्तर

धौलपुर सिंचाई उप खण्ड के अन्तर्गत 19 महिनों में लगभग 14-00 लाख धनराशि के कार्य 1977-78 में किये गये एवं अप्रेल 1978-78 में किये गये एव अप्रेल 1978 से फरवरी 1979 तक लगभग 7.50 लाख के कार्य कराये जा चुके है। धौलपुर तहसील की उप तहसील सैपऊ में फ्लड कन्ट्रोल की योजना तैयार की गई थी। जिसका कार्य प्रगति पर है।

ग्राम सारन खुर्द का बांध

533. श्री अय्यूब खां (तिजारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री अय्यूब खां)

(1) ग्राम सारन खुर्द का बांध कब से फूटा पड़ा है और कब तक बंध जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध की उपरा (वेस्टवीयर) नहर को फोड़ देती है ? यदि हां, तो क्या यह उचित होगा कि उपरा (वेस्टवीयर) दूसरी तरफ तुरन्त बंधाई जाए ?

(3) क्या यह भी सही है कि यदि इस बांध को नहीं बंधाया गया, तो नहर में पानी सिचाई के लिए नहीं चढ़ेगा ?

उत्तर

(1) बाढ के प्रभाव से सारन खुर्द बांध का सन् 1978 में वेस्ट बीयर टूटा था। इस बांध के बनाने हेतु तकनिकी तखमीना बनाया जा रहा है व जून, 1980 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी हां।

यह सही है कि इसकी वेस्ट वीयर के पानी ने नहर को क्षति पहुंचाई है, जिसका सुधार साईफन द्वारा किया जा रहा है। उपराव को बदूरी जगह बंधवाना उचित नहीं है क्योंकि इस पर बहुत अधिक खर्चा होगा।

(3) जी हां।

कृषि विद्युत कनेक्शन की फ्लेट रेट

534. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विद्युत मंडल ने कृषि प्रयोजनार्थ लिये गये कनेक्शन के लिये फ्लेटरेट तय की हैं ? यदि हां, तो उसका क्या आधार है ?

(2) क्या यह भी सही है कि फ्लेट-रेट्स भिन्न भिन्न एच.पी. पर भिन्न भिन्न दर से तय की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि फ्लेट रेट तय करने में मोटर की क्षमता को ही आधार माना है न कि कृषि भूमि को ?

(4) क्या यह सही है कि फ्लेट रेट लागू करने के बाद विद्युत मण्डल ऐसी कोई शर्त कन्ज्यूमर पर नहीं लगा सकता जो प्रश्न के भाग (3) के विपरीत हो ?

(5) क्या विद्युत मंडल ने कभी यह भी ख्याल किया है कि पाली व जोधपुर जिलों में हजारों कुए ऐसे हैं जो एक से अधिक कृषकों के शामलाती हैं व कनेक्शन एक ही कृषक के नाम के हैं ? यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या उक्त बेरे के सभी कृषक अपनी जमीन आबपाशी फ्लेट रेट के अनुसार कर सकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या फ्लेट रेट लागू करदी जाने पर ऐसी कोई शर्त जो मोटर की क्षमता के अलावा हो केवल मात्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने मात्र नहीं है ? यदि नहीं, तो विद्युत मंडल इसे कैसे क्रियान्वित करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल ने राजस्थान में 10 हा. पा. तक के सम्बद्ध भार

(विद्युत मन्त्री)

के कृषि कुओं पर मीटर्ड सप्लाई के विकल्प स्वरूप फ्लेट रेट लागू की है। फ्लेट रेट निर्धारित करते समय जिन कुछ बातों को ध्यान में रखा गया था वे हैं, पड़ोसी राज्यों तथा पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में उस समय विद्यमान फ्लेट दरें, पिछले समय में कुओं के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्बद्ध भार के सन्दर्भ में कुओं के चलने के घन्टे और टेरिफ में उक्त सम्बद्ध भारत के लिये मीटर्ड सप्लाई में लागू न्यूनतम चार्जेज आदि।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, जहां तक उन शर्तों का सम्बन्ध है जो फ्लेट रेट की अधिसूचना में दी गई हैं। मण्डल इन शर्तों में व टेरिफ में परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने में सक्षम है।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी कुए में विक्रय, विरासत या लिक्वीडेशन द्वारा हकदार खातेदार हो गए हैं तो उस कुए का विद्युत कनेक्शन, जो अब तक किसी और के नाम था, विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्त 20 एफ और 5-के अन्तर्गत उनके नाम हस्तान्तरण कराया जा सकता है। इस तरह के कनेक्शन हस्तान्तरण हो जाने के बाद जो हकदार बनते हैं वे संयुक्त रुप से फलेट रेट का विकल्प दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे एक खातेदार ने किसी कुए में बिजली का कनेक्शन अपने ही नाम अलग से ले रखा है और कुए में औरों का भी खातेदार हक है तो ऐसे मामले में विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्तों में समाविष्ट वैधानिक प्रावधान के अनुसार अन्य खातेदार इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि उसका विद्युत मण्डल से एक अनुबन्ध कायम रहता है, अन्य खातेदारों का उसमें, जहां तक विद्युत मण्डल से सम्बन्ध है, कोई हक नहीं बनता। इस तरह के मामले या ऐसी परिस्थिति में फ्लैट रेट का विकल्प देने के लिए, केवल यही तरीका रहता है कि वह उपभोक्ता अपना विद्यमान (existing) अनुबन्ध नियमानुसार विद्युत मण्डल को नोटिस देकर समाप्त करे और ऐसा अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात् वह उपभोक्ता स्वयं एवं अन्य खातेदारों के नाम से नया कनेक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन/रिक्वीजीशन/एग्रीमेन्ट फार्म भरे जिसमें कि फ्लैट रेट का विकल्प दें। ऐसा एप्लीकेशन/रिक्वीजीशन/एग्रीमेन्ट फार्म प्राप्त होने के बाद ऐसे सभी खातेदार व्यक्तियों के नाम नया कनेक्शन देने के बाद उनको फ्लैट रेट पर विद्युत प्रदाय कर दी जाएगी।

(6) जी नहीं – विभिन्न शर्तें केवल इस प्रकार है कि उपभोक्ता अपने मोटर पम्प से केवल अपनी भूमि को ही सिंचित करें।

गंगारार क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतिकरण

5.35. श्री मांगी लाल (गंगरार): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के गंगरार क्षेत्र के कितने ग्रामों में विद्युति-

(श्री मांगी लाल)

करण हो चुका है एवं कितने ग्राम बकाया हैं तथा अब कब तक इन गांवों का विद्युतिकरण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के 94 ग्राम अब तक विद्युतिकृत हो चुके हैं तथा शेष 147 ग्रामों में से 17 ग्राम आर. ई. सी. की स्वीकृत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 के अन्त तक विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत है। शेष गांवों के विद्युतिकरण बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कुम्भलगढ़ किले में विद्युत हेतु सर्वे

536. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुंभलगढ़)—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुंभलगढ़ किला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ? क्या यहां विद्युत लाइन खींचने का राज्य सरकार ने कोई सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो सर्वे कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) ग्राम लिको तथा पलासिया तहसील आमेट जो 11 के वी. के बिल्कुल पास में है क्या राज्य सरकार इन गांवों के विद्युतिकरण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, सर्वेक्षण करा लिया गया है।

(2) अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है अतः निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

राणा प्रताप सागर बांध के तहत डूब में आये ग्राम में सड़क निर्माण कार्य

537. श्री एच. एन. शर्मा (देगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राणा प्रताप-सागर बांध के तहत डूब में आये काश्तकारों को चारभुजा दीपपुरा घाटे के नीचे कुण्डल क्षेत्र में बसाया गया है ?

(2) क्या सिंचाई विभाग द्वारा चारभुजा दीपपुरा घाटे का सर्वेक्षण सड़क निर्माण हेतु किया जा चुका है ? अगर हां, तो इस वर्ष कितनी धनराशि इस घाटे की सड़क हेतु स्वीकृत की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

इस कार्य हेतु इस वर्ष कोई धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि प्रावधान के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मण्डल की स्वीकृति आवश्यक है।

जैतारण क्षेत्र की हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण

538. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के जैतारण क्षेत्र के कितने व कौन कौन से गांव विद्युतिकरण में आ चुके हैं और कितने गांवों का विद्युतिकरण करना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विद्युतिकरण किये गये कितने गांवो की हरिजन बस्तियों में व सिंचाई के कुओं को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और कितनी हरिजन बस्तियां व सिंचाई के कुए कहां कहां शेष हैं ?

(3) इन शेष हरिजन बस्तियों व कुओं को अभी तक बिजली उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं और अब कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जायेगी ?

(4) शेष गांवों का विद्युतिकरण कब-तक किये जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) पाली जिले के जैतारण जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र के 39 गांव विद्युतिकृत हैं तथा शेष बचे 55 ग्रामों में से 5 ग्राम वर्ष 1978–79 में विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत किये जा चुके हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) विद्युतिकृत ग्रामों में से तीन गांवों में हरिजन बस्तियों में तथा 628 कुओं पर सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध करा दी गई है। विद्युतिकरण के लिये किसी हरिजन बस्ती का प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। सिंचाई के लिये 186 आवेदन पत्र विद्युतिकृत ग्रामों में विचाराधीन हैं।

(3) हरिजन बस्तियों के कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है तथा सिंचाई कुओं के 186 प्रार्थना पत्र माह जनवरी 79 से अब तक प्राप्त हुए हैं जिनके डिमान्ड नोटिस निकाल दिये गये हैं इनमें से 60 के पैसे जमा होकर एल फार्म आ गये हैं तथा जल्दी से जल्दी कनेक्शन देने की कार्यवाही जारी है।

(4) शेष 50 ग्राम जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र के बचे हैं, के विद्युतिकरण की अभी कोई योजना नहीं है। अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)।

बैंगूं तहसील को वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

539. श्री एच. एन. शर्मा (बैंगूं): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बैंगूं तहसील में ऐसे कितने विरान गांव हैं जिनमें कभी काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती थी अथवा आबादी थी तथा आज यह जमीन वन विभाग के अधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

(श्री एच. एन. शर्मा)

(2) ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन्होंने तहसील बैंगू में वन विभाग की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है तथा कितने वर्षों से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इस जमीन को राजस्व विभाग को सौंप कर काश्तकारों को रोटी रोजी मुहैया कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) राज्य सरकार के 1.1.71 से पूर्व के अतिक्रमणों को सशर्त नियम के आदेश हैं नियमन की कार्यवाही जिलाधीश स्तर पर की जाती है। जिसमें ये अतिक्रमण नहीं आते हैं लेकिन फिर भी नियमन के लिए राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जयपुर जिले के दर्ज बेरोजगार व्यक्ति

540. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच वर्षों में जयपुर जिले में कुल कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज किये गये और कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने की दशा में कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कितने बेरोजगार हैं के सम्बन्ध में कोई सूचना का संकलन नियोजन सेवा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है किन्तु उप क्षेत्रीय नियोजन कार्यालय, जयपुर की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत पांच वर्षों में बेरोजगार आशार्थी उपलब्ध थे तथा कितने को रोजगार उपलब्ध कराया गया के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है:—

दिनांक 1-4-74 को जीवित पंजिका पर उपलब्ध आशार्थी—2,5,688

वर्ष	पंजीयन	नियोजित
1974	27,454	1,329
1975	25430	2,316
1976	25,269	2,510
1977	29,085	2,218
1978	29,803	1,912

(2) राज्य सरकार का प्रयत्न अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में विकासशील कार्यों को परिचालित करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। राज्य सरकार आर्थिक

(श्रम मन्त्री)

नीतियों को भी इस प्रकार से बना रही है कि वित्तीय विनियोजन कम इस प्रकार हो ताकि रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बढ़ें।

श्रीगंगानगर जिले के ईंट के भट्टे

541. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्रीगंगानगर जिले में सन् 1973 से अब तक कितने ईंट भट्टे कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित कर मंजूर किये गये ?

(2) किस 2 भट्टे से कितने कितने रुपये इस भूमि परिवर्तन चार्जेज के रूप में लिए गए ?

(3) कन्वर्सन चार्जेज (परिवर्तन चार्जेज) किन 2 भट्टों की तरफ कितना 2 बकाया है ?

(4) जिन भट्टों का बकाया है उन भट्टों को चलाने की मंजूरी क्यों दी गई ?

(5) किन किन भट्टों से 50 प्रतिशत तथा किन 2 भट्टों से शत प्रतिशत कन्वर्सन चार्जेज लिया गया यह दोहरा मापदण्ड क्यों किया गया है ?

(6) ज्यादा कोयला जलाने वालों से कितनी रिकवरी की गई ? यदि अभी तक रिकवरी नहीं की गई तो अब सरकार कब तक रिकवरी कर लेगी ?

(7) विभागीय ईंट भट्टों में किन किन अधिकारियों ने कितना 2 अधिक कोयला (निर्धारित मात्रा से) उठाया इस पर किन किन अधिकारियों पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

(8) वर्ष 1980 से अब तक निश्चित मात्रा से अधिक दिए गए कोयले के आंकड़े बताने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सन् 1975 से अब तक का कुल 84 ईंट भट्टे कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर स्वीकृत किये गये हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) 100% वसूली की सूची के अलावा अन्य भट्टों पर परिवर्तन चार्जेज बकाया हैं।

(4) परिवर्तन चार्जेज नियत नहीं होने के कारण भट्टा मालिकों से एक इकरारनामा लेकर कि जो भी दरें तय होंगी वो उन्हें देने के लिए बाध्य होगा, चलाने की मंजूरी दी गई।

(5) सूची संलग्न है पूर्व में आदेश 50% परिवर्तन दर लेने के थे। बाद में 100% परिवर्तन की दर के आदेश हुए

(उपनिवेशन मन्त्री)

जिनसे 50 /. परिवर्तन दर लिया है उनसे भी 100 /. परिवर्तन दर वसूली की कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) भट्टे जो विभाग द्वारा चलाये जाते हैं, को कोयला नहीं दिया जाता है। केवल प्राईवेट जो भट्टे चलते हैं, उनको मापदण्ड के अनुसार 24 टन कोयला एक लाख ईंटे पकाने पर ही निर्धारित मात्रा के अनुसार दिया जाता है। इससे अधिक कोयला नहीं दिया जाता है। इसलिए रिकवरी का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(7) विभागीय भट्टों को कोयला नहीं दिया जाता है इसलिए किसी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की गई है।

(8) विभागीय भट्टों को कोयला नहीं दिया जाता है इसलिए अधिक दिये गये कोयले के आंकड़े शून्य हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पाली जिले के उद्योगों से जल व वायु प्रदूषण

542. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में कई उद्योग हैं जिनसे जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस तरह के उद्योगों को पंजीकृत करने से पूर्व उनके स्थान व स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जल-प्रदूषण व वायु प्रदूषण का निवारण करना व नियन्त्रण करने हेतु सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिये ?

(4) प्रश्न के भाग (1) में बताये क्षेत्र में कहां कहां व कौन कौन से उद्योग जल प्रदूषण करते हैं, कौन कौन से उद्योग वायु प्रदूषण करते हैं व कौन कौन से उद्योग उनकी स्थिति व स्थान की वजह से जन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं ?

(5) प्रश्न के भाग (4) में दोनों प्रकार के उद्योगों के मालिकों की सूची दें ? सरकार कब तक उनको अपने उद्योग ऐसे क्षेत्र में कायम करने को बाध्य करेगी जो आबादी से दूर हों व कितनी दूरी पर हों ताकि जन स्वास्थ्य को जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण से बचाया जा सके ?

(6) क्या सरकार ने जल व वायु प्रदूषण को ग्रामीण क्षेत्रों में रोकने हेतु कोई कानून बनाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस तरह का कानून बनाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) पाली जिले में एसी कई इकाईयां हैं जिनमें जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण की सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

(उद्योग मन्त्री)

(2) अब तक चल रही प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकरण के समय जनस्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता था परन्तु इस सरकार के आने के बाद जनस्वास्थ्य के बाबत जल प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल प्रदूषण करने वाली इकाईयों को पंजीकृत नहीं करने के आदेश हैं।

(3) जल प्रदूषण के नियन्त्रण व निवारण के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डली की स्थापना की है। उक्त मण्डल जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम-1974 के अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योगों को बाध्य कर रहा है कि उद्योग दूषित जल प्रवाहित करने से पूर्व उनका समुचित शोधन करें। वायु प्रदूषण रोकने के लिये मामला संसद में विचाराधीन है।

(4) पाली जिले के उद्योग जिनसे जल प्रदूषण हो रहा है अथवा होने की सम्भावना है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वायु प्रदूषण तथा जन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने सम्बन्धी जानकारी नहीं है।

(5) जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों के नाम सूची 'इ' में दे दिये गये हैं। इन औद्योगिक इकाइयों के मालिकों के नामों की सूचना प्राप्त की जा रही है।

(6) जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु केन्द्रीय सरकार ने जल (प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 लागू कर दिया है जो कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों एवं जिलों में लागू है और इस बारे में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार 16 जिलों में ही अधिनियम पूर्णतया लागू हैं तथा शेष 10 जिलों में केवल नगरपालिका क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ही लागू हैं। वायु प्रदूषण हेतु मामला संसद में विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सांचौर के कारागृह भवन निर्माण की राशि

543. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में सब जेल बिल्डिंग बनाने की 3 लाख रुपयों की रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दी गई? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जेल बिल्डिंग बनाने का ठेका भी दे दिया गया है? अगर हां, तो कब एवं किसको?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जेल बिल्डिंग बनाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कब शुरू किया गया? अब उक्त जेल बिल्डिंग कब बना दी जावेगी?

(4) क्या यह भी सत्य है कि सांचौर में सरकारी इमारतों की मरम्मत सार्वजनिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

निर्माण विभाग द्वारा नहीं करवाई गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब सब इमारतों की मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

(5) सरकारी इमारतों की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाने के क्या 2 आधार हैं ? उन आधारों पर सांचौर में सरकारी कितनी इमारतें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत की सूची में आती हैं ? उनकी मरम्मत विभाग द्वारा कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी स्वीकृति वर्ष 1978-79 में प्राप्त हुई।

(2) जी हां। इस भवन का ठेका मैंमर्स जमनाराम केसरसिंह को फरवरी, 79 में स्वीकृत किया है।

(3) जी नहीं। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 79-80 के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है।

(4) जी हां निर्माण विभाग तहसील हैडक्वार्टर के भवनों की देखरेख नहीं करता केवल सब डिवीजन स्थित भवनों के मरम्मत का कार्य देखता है।

(5) सार्वजनिक निर्माण सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स स्थित पक्के भवन जो इस विभाग की सूची में हैं उनकी देखरेख करता है। और सांचौर तहसील हैडक्वार्टर होने हेतु विभिन्न विभाग जिनसे भवन सम्बन्धित है, वह विभाग ही मरम्मत कराता है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को सड़कों से जोड़ना

544. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के किन किन गांवों व कस्बों को 10 फरवरी, 1979 तक सड़कों से जोड़ दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार आगामी तीन वर्षों में 1500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ देगी ?

(3) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के उन गांवों का विवरण दें जो सड़कों द्वारा नहीं जोड़े गये हैं तथा मुख्य सड़क से उनकी दूरी का भी उल्लेख करें ?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कें बनी हुई हैं और जो ग्राम व कस्बे जुड़े हुए हैं वे निम्नांकित हैं :

सड़क का नाम	ग्राम/कस्बा
1. डामर सड़क सुनेल से पिड़ावा।	अकोदिया, सुनेल, राजपुरा, भगवानपुरा, कजोड़ा प्रताप, सिमल्या, डावली, पिलाखेड़ी, हमीरा, पिड़ावा।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

2 डामर सड़क पाटन से आगर।	रामपुरिया, डाबल, रावल, रामपुर।
3. पक्की सड़क पाटन से सुनेल।	पावखेड़ी, पडखेड़ा, सलोतिया, गजा।
4. डामर सड़क झाला-वाड़ भवानी भील-वाड़ी से डूंगरपुर।	भीलवाड़ी, पीपल्या सोलिया, आमली, गंगापुर।
5. डामर सड़क पीपल्या से छतरपुर सड़क।	करनपुर, छतरपुर, कालाखेड़ी।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं होकर छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसे सब गांवों को जोड़ने हेतु प्रस्तावित है।

(3) ग्राम कडोदिया जिसकी आबादी 1.500 है सड़क से जुड़ा हुआ नहीं हैं तथा इसकी दूरी मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर है।

सोजत से बिलाड़ा सड़क

545. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत से बिलाड़ा के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण किया जा चुका है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क का प्लान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के पूर्व भूमि अवाप्ति के प्रयोजनार्थ बनाया था ? यदि हां, तो कहां कहां पर उक्त प्लान के अलावा सड़क का निर्माण किया और क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभागीय लैतलाली से उक्त सड़क सीमा में जगह 2 लाइम स्टोन वेस्ट के डम्प लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो यह किसने व कहां 2 किया व विभाग ने चुप्पी क्यों रखी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क सीमा के दोनों ओर खनन कार्य भी चालू है ? यदि हां, तो विभाग ने इसे रोकने का क्या प्रयास किया और नहीं किया तो क्यों नहीं ?

(5) क्या जन सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सीमा में डाले गये ड्रम को दोषी व्यक्तियों से हटवायेगी व सड़क सीमा क्षेत्र में खोदी व खोदी जा रही खानों के खड्डों को समतल कर व खानों को बन्द कर एक्सीडेंट के खतरे को रोकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सड़क अकाल राहत के अन्तर्गत शुरू हुई थी एवं तत्कालीन नियमों के अनुसार राहत कार्यों में सड़कों के लिए भूमि मुआवजा का प्रावधान नहीं होने से इस सड़क का भूमि मुआवजा नहीं बनाया गया।

(3) जी नहीं। सड़क चूने की खाने व भट्टों के बीच से गुजरती है। खादान मलवे

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

के ढेर सड़क मध्य से 6 से 7 मीटर दूरी पर नेशनल लाइम कं. ने 7,8,9 कि.मी. में तथा हनुमान लाइम कं. ने 12,13 कि.मी. में डाले हैं अन्यत्र छुटपुट ढेर हैं जो सभी पुराने हैं। विभाग ने प्रयास कर कुछ हटवाये भी हैं तथा स्थिति के प्रति जागरूक है।

(4) जी हां। सिर्फ कि.मी. 2 व 3 में सड़क मध्य से 3 से 9 मी. के मिट्टी खुदाई के खड्डे हैं। खादान क्षेत्र में खुदाई व ब्लास्टिंग होता रहता है, निर्माण विभाग इसमें सावधानी बरतने के लिए अनुरोध करता रहता है।

(5) जी हां। इसके लिए खाद मालिकों को सड़क अतिक्रमण के नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा रहे हैं। पुराने खादान क्षेत्र के खड्डों के समीप ट्राफिक की सावधानी निर्देश हेतु काशन बोर्ड लगाये गये हैं।

भीनमाल से जसवन्तपुरा सड़क निर्माण कार्य

546. श्री रतनाराम चौधरी (भीनमाल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की भीनमाल से जसवन्तपुरा महत्वपूर्ण सड़क है जो सिर्फ ग्रेवल रोड है ?

(2) क्या यह सही है कि भीनमाल जालौर जिला का सब डिवीजन का मुख्यालय है और जसवन्तपुरा पंचायत समिति का मुख्यालय पुलिस स्टेशन का मुख्यालय है और पांच हजार से अधिक जनसंख्या का ग्राम है ?

(3) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त महत्वपूर्ण रोड को सन् 1979-80 में डामर रोड के निर्माण की स्वीकृति देकर ग्रामीण जनता की आवश्यकता की पूर्ति करेगा और विकास में बढ़ावा देगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस सड़क के डामर का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

ग्राम रामगढ़ पचवारा (लालसोट) की सड़क निर्माण योजना

547. श्री हरसहाय (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या ग्राम रामगढ़ पचवारा तहसील लालसोट जिला जयपुर से तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के बीच के सड़क मार्ग को बनाने हेतु राज्य सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस सड़क मार्ग को बनवाने हेतु इस मार्ग का सर्वेक्षण करा चुकी है ?

(श्री हरसहाय)

(3) इस सड़क मार्ग से गंगापुर, करौली, खण्डार, सवाईमाधोपुर, लालसोट से जयपुर के बीच की कितनी दूरी कम पड़ सकती है ?

उत्तर

(1) फिलहाल वर्तमान में ग्राम रामगढ़ पंचवारा तहसील लालसोट से तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर के बीच कोई नई सड़क बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) नहीं, इस सड़क मार्ग के बनाने हेतु पहले कोई भी सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है।

(3) यह सड़क मार्ग पूर्ण होने पर गंगापुर, करौली, सवाईमाधोपुर के बीच 16 किलो मीटर की दूरी की कमी हो जाती है।

सूरतगढ़ क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

548. श्री हरचन्द सिंह : (पीलीबंगा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सलेमपुर-सारा सड़क को मघावाली ढ़ाणी से आगे बढ़ाकर सूरतगढ़ ब्रांच के पुल तक, जो सूरतगढ़-गंगानगर सड़क पर बना हुआ है को बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरदारपुरा बीरा से वाया घमडिया, निरवाणां, रामपुरा न्यौला, रिड़मलसर सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो सड़क निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या गोलूवाला से वाया उमेवाला मक्कड़ तक सड़क बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(4) अगर हां, तो इस योजना पर कब तक अमल हो जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी इस सड़क को बनाना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। यह सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में सरदारपुरा विरा वाया रीदमलसर के नाम से प्रस्तावित है।

(3) जी हां। यह सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित हैं।

(4) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कें धनराशि के उपलब्धि को ध्यान में रखकर फाईनेलाईज की जा रही हैं। और विचाराधीन हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रघुनाथ विश्नोई, श्योपत सिंह मकासर, रामकृष्णदास, शंकरलाल, अब्दुल अजीज व नूरा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार के कारण किये जा रहे प्रदर्शन के विषय में।

(2) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनियमित रूप से प्राप्त सुविधाओं व भुगतानों तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की अन्य अव्यवस्थाओं के विषय में।

(3) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत शेखपुरा पंचायत समिति, सिकराय, जिला जयपुर में सड़क निर्माण के कार्य में लगे हुए मजदूरों को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अनाज न देने के विषय में।

(4) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा, की ओर से ग्राम गनेड़ा, तहसील कोटपूतली में रात्रि के 9 बजे एक महाजन के घर में घुस कर डाकुओं द्वारा एक महिला को जाने से मार देने व कई लोगों के घायल हो जाने की घटना के विषय में।

यह प्रस्ताव राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजे जा रहे हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विधान सभा की कार्यवाही का आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर द्वारा गलत प्रसारण।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वेश्चन है। मैंने और शंकरलालजी ने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उस रोज दिया था जिस रोज आकाशवाणी जयपुर के मामले पर विचार किया गया था। उस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था यहां पहले भी सदन में जबकि सदन शुरू हुआ ही था, हुयी थी उसके लिए हमने आपका ध्यान पहले जो अध्यक्षीय व्यवस्था हुई थी उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाया था कि बजट में दिन प्रश्न काल नहीं रखा जाय और आपने इसी सदन में अपने आसन से खड़े होकर व्यवस्था दी थी और उसी के आधार पर उस दिन प्रश्नकाल हटा दिया गया था। प्रश्नकाल के बारे में वह आपत्ति स्वीकार करके आपने यह व्यवस्था दी थी कि पहले यह भी व्यवस्था हो चुकी थी कि बजट के दिन प्रश्न काल नहीं होगा और उसी के आधार पर उस दिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया था, और आपने सदन को दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। परन्तु आल इंडिया रेडियो ने उसको बिल्कुल उल्टा रिपोर्ट किया और उसको माणकचन्द जी सुराणा, जो कि आयोजना मंत्री हैं, उन्होंने भी परसों यह स्वीकार किया था कि आल इंडिया तो वैसे ही रिपोर्टिंग करता रहता है, हमारा इस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आल इंडिया रेडियो ने बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग कर दी यह माननीय मंत्री महोदय ने भी माना था। यह आल इंडिया रेडियो का रवैया सदन की व्यवस्था के बारे में है, आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में है कि इस तरह की रिपोर्टिंग कर दी कि माननीय सदस्यों की आपत्ति अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार की जबकि आपने उसको स्वीकार कर सदन की कार्यवाही दूसरे दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित की थी। यह सब प्रोसीडिंग्स के अन्दर है। उसमें लिखा हुआ है, भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री ने कहा है कि माननीय सदस्यों की राय थी कि आज की कार्यवाही नहीं हो, अतः आप चाहें तो अभी घोषणा कर सकते हैं। उस पर आपने यह व्यवस्था दी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस तरह से उस दिन के बजट के बिजनेस को एक्स्ट्रा आर्डिनरी बिजनेस मान कर सदन को स्थगित रखा गया था लेकिन जब हमने शाम को प्रादेशिक न्यूज बुलेटिन सुना तो उसकी न्यूज सुन कर हमको अफसोस हुआ। इसलिए मैंने और शंकरलाल जी ने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन दिया था।

श्री शंकरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय श्री रघुनाथजी विश्नोई ने विशेषाधिकार का प्रश्न रखा था। अध्यक्ष महोदय, तीन प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न होते हैं-एक माननीय सदस्य का एक सदन का और एक कमेटी का। नियम 157 के अन्तर्गत यह विशेषाधिकार का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन के प्रिवलेज का भंग हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो भी व्यवस्था दी जाती है या सदन में व्यवस्था है उसका अगर गलत रिपोर्टिंग किया जावे आकाशवाणी के द्वारा तो अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक माननीय सदस्य का नहीं, यह किसी कमेटी का नहीं वरन इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन है। हमने यह लिख कर दिया है कि 5 तारीख, जिस रोज यहां पर माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बजट पेश किया गया, की कार्य सूची के अन्दर जो प्रश्न रखे गए, उनके लिये दो बजे से प्रश्नकाल रखा था। उस सम्बन्ध में मैंने आपकी पूर्व की एक व्यवस्था का हवाला देते हुए आपत्ति उठाई थी, अध्यक्ष महोदय, स्वयं ने गत वर्ष यह व्यवस्था दी कि जिस रोज बजट पेश हो उस रोज कोई भी प्रश्नकाल नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रामनारायणजी चौधरी और मदनसिंह जी दांता ने आपत्ति उठाई थी, उसके बाद मैंने और रघुनाथजी ने आपत्ति उठाई थी। उस समय आपने यह फर्माया था,

"माननीय सदस्य श्री मदनसिंह दांता तथा श्री रामनारायणजी ने जो आपत्ति उठाई है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं अतएव इन दोनों माननीय सदस्यों की आपत्ति को मैं निरस्त करता हूं। माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी और श्री रघुनाथजी विश्नोई द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है उस पर विचार करने के लिए आज एक बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को मैंने बुलाया है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष मुझे सहयोग देगा। प्रश्नोत्तर काल के सम्बन्ध में

(श्री शंकरलाल)

जो मेरा निर्णय है वह मुझे याद है, उस पर विचार किया जायगा। प्रश्नोत्तर काल रखा जाए अथवा नहीं रखा जाये, शासन पक्ष और विपक्ष कीं इच्छा के अनुसार ही व्यवस्था देने का मेरा इरादा है।

तो आपने स्वयं ने हमारी आपत्ति को निरस्त नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, आपने इसको एडवाइजरी कमेटी में डिसकस करने की बात भी कही थी। आपने यह भी स्वीकार किया है कि आपने गत वर्ष में ऐसी व्यवस्था दी थी, जिस समय बजट पेश होगा, उस दिन कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा। आपने इसे स्थगित फर्मा दिया था। उसके बाद माननीय नेता ने आपसे निवेदन किया था कि आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए और प्रश्नोत्तर काल नहीं रखा जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही को स्थगित किया। उस रोज प्रश्नोत्तर काल भी नहीं रखा गया। इससे यह तात्पर्य स्पष्ट है कि हम ने जो आपत्ति उठाई थी और माननीय श्री रघुनाथ जी विश्नोई ने भी जो आपत्ति उठायी थी, एक प्रकार से उसको आपने स्वीकार किया और परिणामस्वरूप प्रश्नोत्तर काल नहीं हुआ। आकाशवाणी प्रचार का बहुत बड़ा साधन है, उसके द्वारा गांव गांव में प्रसार होता है, सभी लोग उसको सुनते हैं, उसने एक बार नहीं, दो बार यह न्यूज प्रसारित की। सात बजे की न्यूज में यह कहा गया कि श्री शंकरलाल और श्री रघुनाथ विश्नोई की आपत्ति को अध्यक्ष महोदय ने निरस्त कर दिया। इसके बाद विधान सभा की कार्यवाही का जो विवरण रेडियो पर आता है, उसमें भी यही कहा गया कि आपत्ति को निरस्त कर दिया। इसका तात्पर्य यह है कि आपने जो व्यवस्था दी थी उसकी गलत रिपोर्टिंग की गई। इस प्रकार सदन की मान हानि हुई। सदन की कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग करके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। इस विषय में मैं निवेदन करूंगा, सन् 1971 के अप्रैल महीने में लोकसभा में एक इस प्रकार का प्रश्न उठा था, हालांकि वह प्रश्न इतना गम्भीर नहीं था, वह मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मन्त्री ने सदस्यों को यह कह दिया था कि आप इस प्रकार की अव्यवस्था न करें।

"On the 24th February, 1978, the Speaker (Shri K. S. Hegde) informed the House as follows: "Hon. Members will recall that on the 21st February, 1978, when the Railway Minister commenced his Budget Speech, a few members including Shri Mani Ram Bagri made submissions that the Minister might speak in Hindi. Members from the other side made counter submissions whereupon I pointed out that both the languages, Hindi and English, were permitted. At that stage the Prime Minister intervened and requested the members of the ruling Party to resume their seats and 'not to create such things in this House.' He also requested the

(श्री शंकरलाल)

members of the opposition not to disturb the proceengs of the House.

On the 22nd February, 1978, Shri Mani Ram Bagri drew my attention to the news broadcast in Hindi at 8.45 p.m. on the 21st February, 1978 wherein it was said that the Prime-Minister had pulled up the members (in Hindi the expression used was 'danta') who made the demand that the Railway Minister should speak in Hindi. The Member requested that the Minister of Information and Broadcasting should explain the position on behalf of the All India Radio and should correct and clarify it if necessary. The Minister was informed about the same

The Minister of Information andBroadcasting in his reply dated 23rd February, 1978 has observed inter alia as follows:—

"The Director of News Services of AIR has written to me (i e. the Minister) to say that the AIR Parliamentary Correspondent could have been more careful in the choice of the words signifying the Prime Minister's intervention, but the fact that the Samachar also used the same words would show that he was only trying to give a fair picture of what happened in the House . ...."

आकाशवाणी से यह जो कार्यवाही प्रसारित की गई थी उसमें यह कहा गया कि पाइ मिनिस्टर ने मेम्बरों को डांटा। इसके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था। हालांकि प्राइ मिनिस्टर ने जो शब्द कहे थे वे वह नहीं थे जो आकाशवाणी से कहे गये थे कि माननीय सदस्य को डाँटा। इसके बारे में जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था उसको मान लिया गया था। ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर महोदय श्री अडवाणी ने इसके लिए रिग्रेट एक्सप्रेस किया था। उसके बाद इस प्रश्न को क्लोज किया गया। इसकी यह जो लास्ट लाइन है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"In view of the regret expressed, I think that the matter may be treated as closed. At the same time, I would like to impress that greater care should be taken by all concerned in reporting the proceeding of Lok Sabha."

अध्यक्ष महोदय, श्री अडवाणी ने लोकसभा में खेद प्रकट किया और उसके बाद

(श्री शंकरलाल)

यह विषय क्लोज किया गया। यहां, अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी थी उसकी गलत रिपोर्टिंग की गई है। इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें। आपकी व्यवस्था हमें शिरोधार्य होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई और श्री शंकरलाल ने जो आपत्ति उठायी है, वह महत्वपूर्ण है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी ली है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार यह मैं कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में बेएहतियाती बरती गई है। मैं चाहूंगा कि आइन्दा अगर व्यवधान हो, सुनाई नहीं दे तो आल इंडिया रेडियो को चाहिये कि वह जो खबरें प्रसारित करें, वे आथेन्टिक और स्पष्ट हों। अस्पष्ट खबरों का प्रसारण आल इंडिया रेडियो की गरिमा के विपरीत है और अवास्तविक समाचार जनता जनार्दन के समक्ष आना भी उचित नहीं है।

मुझे जो सूचना उत्तर के रूप में प्राप्त हुई है, उसमें खेद व्यक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण मामला होते हुए भी यह सदन उदार है। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि ऐसी बेएहतियाती आइन्दा न होगी। अब इस मामले को आगे बढ़ाना अनावश्यक है इसलिए माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले को अब यहीं पर छोड़ दिया जाए, ड्राप कर दिया जाए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खेद किसने व्यक्त किया है ? यह बता दें। आगे सदन की जैसी इच्छा है वैसा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शासन द्वारा रुरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर के बारे में सरकार की तरफ से उत्तर दिलाने का कहा गया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले इस प्रश्न को समाप्त होने दीजिए। इसके बाद।

(व्यवधान)

क्या आप इसी बारे में कहना चाहते हैं।

श्री ईश्वर चन्द : जी हां, इसी बारे में।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है, वह शिरोधार्य है। वह निर्णय इस सदन की गरिमा के अनुकूल है। लेकिन उस दिन जो घटना चक्र था और प्रोसिडिंग्स थी, उसमें यह बात तो निश्चित है कि प्रश्नकाल के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई थी उस आपत्ति को आपने स्वीकार नहीं किया था, ऐसी स्थिति में प्रश्न काल के समय जो परिस्थितियां थीं, उसकी जहां तक ए.आई.आर. की रिपोर्टिंग का सवाल है, वह टैक्निकली सही है ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सही नहीं है। आपके नेता महोदय ने कहा था....

श्री ईश्वर चन्द : आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने प्रोसिडिंग्स को नहीं पढ़ा है।

श्री ईश्वरचन्द : आपकी आपत्ति स्वीकृत नहीं की गई थी।

श्री शंकरलाल : तो हमारी आपत्ति को निरस्त भी नहीं किया गया था।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह रिग्रेट किसने एक्सप्रेस किया है ?

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : आप गलत कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हमारी आपत्ति पर नेता महोदय ने यह चाहा था इसका मतलब यही है कि हमने जो आपत्ति की थी उसको सदन के नेता ने माना है। He agreed to our objection.

श्री ईश्वरचन्द : लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी, कोई निर्णय नहीं दिया था।

श्री मूलचन्द डागा : We raised the point and the Speaker admitted that.

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने यह अनाउन्स किया है कि रिग्रेट एक्सप्रेस की गई। क्या रिग्रेट आल इंडिया रेडियो के बिहाफ पर एक्सप्रेस की गई है अथवा मिस्टर सुराणा के द्वारा ? यह रिग्रेट किसने एक्सप्रेस की है ?

श्री अध्यक्ष : रिग्रेट एक्सप्रेस की है। Regret is regret.

श्री किशनसिंह भाटी : Who has expressed ?

श्री अध्यक्ष : इस सूचना के आधार पर, Reading between the line इस आशय की सूचना मिली है।

श्री किशनसिंह भाटी : But who has regretted ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसको रिग्रेट पर्याप्त रूप में मानता हूं।

श्री किशनसिंह भाटी : Who has expressed the regret ?

श्री अध्यक्ष : That is the matter for me to decide.

श्री किशनसिंह भाटी : We want to know who has expressed the regret.

श्री अध्यक्ष : Regret expressed on behalf of the A.I.R.

श्री मूलचन्द डागा : जैसा प्रश्न वैसा उत्तर।

विद्या भवन, रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर के शिक्षकों की भूख हड़ताल सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने 19 तारीख को स्थगन प्रस्ताव पेश किया था रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : श्री बलवंतसिंह जी वाला?

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं, विद्या भवन, रूरल इंस्टीट्यूट, उदयपुर के सम्बन्ध में 19 मार्च को स्थगन प्रस्ताव रखा था। उस पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा था मुझे नरेन्द्रपालसिंह जी के मार्फत सूचना मिली है कि फैसला हो चुका है, इंस्टीट्यूट खोल दिया गया है। हमें प्रिवलेज मोशन नहीं लाना चाहिये शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट देने के लिये कहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी इस बारे में आप मेरे चेम्बर में मिलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शिक्षा मंत्री ने शाम को पांच बजे का..........

श्री अध्यक्ष : उस सूचना की क्रियान्विति नहीं की गई है, माननीय सदस्य।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में स्टेटमेंट देना चाहिये जो उन्होंने 5 बजे देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार से जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा की मांगों पर हुई बहस के उत्तर में भी इसकी चर्चा नहीं की। यह सदन का ब्रीच आफ प्रिवलेज है।

श्री अध्यक्ष : सदन का प्रिवलेज नहीं है।

श्री ईश्वर चन्द्र : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल श्योपतसिंह जी ने उठाया है उनके अन्दर बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया। हमारी सरकार ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से 3 मंत्रियों की कमेटी, जिसमें खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी और श्री माणकचन्द सुराणा हैं, रूरल इंस्टीट्यूट के झगड़े को तय करने के लिए बनाई। वहां के मैनेजमेंट ने मोहनसिंह और जगतसिंह की टीम ने उसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम इंस्टीट्यूशन नहीं खोलेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उचित नहीं समझा, रिफ्यूज कर दिया।

श्री ईश्वर चन्द्र : आप शिक्षा मंत्री जी, उत्तर दें क्या यह मामला माननीय मोरारजी भाई के पास या प्रतापचन्द्र चन्दर के पास चला गया है? क्या हमारी सरकार अक्षम है? हजारों छात्र सड़कों पर हैं। क्या सरकार उसमें प्रशासक नियुक्त नहीं कर सकती है ......

(व्यवधान)

श्री नूरा : शिक्षा मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिये, उसे अपने कब्जे में लेना चाहिये। नरेन्द्रपालसिंह जी की सूचना का क्या हुआ ? क्या वह सही थी या गलत थी? यह पाइन्ट है।

श्री राम नारायण चौधरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सदन में आपके माध्यम से दो सवाल पहले उठाये थे और माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने आपके मार्फत उन पर आश्वासन दिया था, सदन में घोषणा की थी। वे सवाल यह थे, एक तो उदयपुर के इन्स्टीट्यूट के अन्दर स्ट्राइक चल रही है—

श्री अध्यक्ष : रूरल इंस्टीट्यूट—

श्री राम नारायण चौधरी : जी हां, श्योपतसिंह जी वाली।

मान्यवर, मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि माननीय मन्त्री जी ने सदन की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने नरेन्द्रपालसिंह जी, जो इस सदन के सदस्य हैं, की सूचना को कोट कर दिया है। यह, मान्यवर, इरेलेवेन्ट हैं और संसदीय परम्पराओं के विपरीत हैं, इस पर व्यवस्था दें।

दूसरा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में व्याप्त असन्तोष के बारे में मैंने जिक्र किया था। आज स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों का है यह दूसरे इश्यू पर है। वे दूसरे इश्यूज थे उनके बारे में शिक्षा मन्त्री जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं विरोधी दल के नेता माननीय परसराम जी से बात करूंगा। अब उनको टाइम मिला या नहीं मिला, यह पता नहीं। उदयपुर, जोधपुर और राजस्थान यूनिवर्सिटीज के मामले में मैं उनसे बात करूंगा और सीधे ही सदन में विस्तृत प्रतिवेदन दूंगा, यह आपके सामने घोषणा की थी। तो, मान्यवर, क्या हुआ उनके आश्वासन का ? उनकी घोषणा के बारे में आप व्यवस्था दें। वित्त मन्त्री जी ने भी घोषणा की थी कि मैं सदन में 1-2 दिन में स्टेटमेंट देने वाला हूं। वह बात भी गई आई हो गई। शिक्षा मन्त्री जी ने मेरे दो स्थगन प्रस्ताव, गंगानगर और राजस्थान यूनिवर्सिटी में असन्तोष के बारे में और कालेजेज में व्याप्त असन्तोष के बारे में घोषणा की थी कि मैं विरोधी पक्ष के नेता से बात कर रहा हूं और बात करके शीघ्र ही घोषणा करूंगा और वक्तव्य दूंगा। क्या शीघ्र का यह मतलब है कि वे विधान सभा सत्र समाप्त होने के बाद अपने घर पर या सचिवालय में या अखबारों में घोषणा करेंगे ? मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दीजिये। आपके माध्यम से सदन में घोषणा करने के बाद मन्त्री जी जिस प्रकार बदलते हैं, अध्यक्ष महोदय, इस पर अगर आप अंकुश नहीं लगायेंगे—

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हैं तो हम यहां जो रस्साकशी कर रहे हैं वह तो व्यर्थ हो जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, यह तो बहुत बड़ा मखौल

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। शिक्षा मन्त्री जी हर बात पर खड़े होकर कहते हैं कि बात कर रहा हूं। उसके बाद कोई बात होती ही नहीं, लोगों में भयानक असन्तोष भरा हुआ है। राजस्थान के समाज और जनता के निर्माण में शिक्षा का महत्व-पूर्ण योगदान है। इस पर आर. एस. एस. हावी हो रहा है। मान्यवर, लड़कों ने वेद-पाल त्यागी का घेराव कर लिया। यह क्या हो रहा है? आखिर क्या बात है, हम ही बनायें और हम ही ढहायें। यूनिवर्सिटी में कोई अनुशासन नहीं है, एक दूसरे पर कोई कॉंफिडेंस नहीं रहा—

श्री बाऊदयाल जोशी : भाषण नहीं। ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्राडर, यह भाषण है।

श्री भैंरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूरल इंस्टीट्यूट के अन्दर, यह बात सही है, बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। उसमें प्रमुख बात यह थी कि दो प्राध्यापकों को मेनेजमेंट ने उनकी सेवाओं से हटा दिया था। उन्होंने राज्य सरकार के सामने और निदेशक, कालेज शिक्षा के सामने अपनी अपनी अपील की। उस पर निर्णय किया गया कि उनको सेवाओं में वापस लिया जाय।

सरकार के श्री दसौंदी के बारे में दिये गए आदेश के बाद मैनेजमेंट हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाकर आदेश के स्थान के लिए याचना की। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो एरियर्स हैं उनका पेमेंट नहीं किया जाय, लेकिन राज्य सरकार के आदेश कि इनको सेवाओं में पुनः ले लिया जाय पर स्थगन आदेश नहीं दिया। इसलिए उनसे यह कहा गया कि आप इन दोनों अध्यापकों को पुन: सेवा में ले लें। यह बात चलती रही। सरकार ने यही कहा कि इन दोनों अध्यापकों को सेवा में ले लेंगे तो इनकी एड रिलीज कर दी जायेगी। एड रोकने का एक कारण और भी था। पिछली बार मैनेजमेंट को यह कहा गया था कि आप अपने कोर्सेज, जो रूरल इन्स्टीट्यूट के हैं, में परिवर्तन करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ग्रान्ट नहीं दी जायगी। यह सारी ग्रान्ट एडहाक ग्रान्ट है। उस पर उन्होंने कहा कि हमने हमारे कोर्सेज बना कर विश्वविद्यालय को भेज दिये हैं। विश्वविद्यालय उनको स्वीकृति दे देगा तभी हम उनको लागू करेंगे। इन दोनों बातों को लेकर अनुदान रोका गया था। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों अध्यापकों को वापस ले लेते हैं। विश्वविद्यालय से कोर्सेज स्वीकृत हो जायेंगे उनको लागू कर देंगे। इस आधार पर उनको एडहाक ग्रान्ट दी गयी, उसके परिणाम स्वरूप दिनांक 1 मार्च, 1979 को उन्होंने दोनों टीचर्स को वापस लेने के लिए आदेश प्रसारित कर दिये। इन अध्यापकों में वह एक तो हैं श्री मैकफरलैंड और दूसरे हैं श्री दसौन्दी। दसौन्दी को सेवा में लेने के जो आदेश दिये गये उसके सम्बन्ध में तो इनको कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन मैकफरलैण्ड के सम्बन्ध में जो आदेश थे उसके लिए टीचर्स ने कहा कि इसमें संशो-धन होना चाहिये नहीं तो उनके हितों का नुकसान करेंगे। इस पर मैनेजमेन्ट से कहा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

गया, वह उन प्रादेशों को तदुनुरूप परिवर्तित करने को तैयार हैं, शायद बदल भी दिये हों। सरकार के एड रोकने और एड देने का जो सवाल है उसमें यह स्थिति है।

उसके बाद कुछ बातें और खड़ी हुई, कुछ मांगों को लेकर अध्यापकों ने एजीटेशन किया....

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : अनियमितताये और घोटाले।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस पर कई बार दोनों ने आपस में बैठ कर विचार किया और उसमें कभी किसी ने मध्यस्थता की और कभी किसी ने की। कई मांगें हल हो गई हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हल नहीं हो पा रही हैं। उनमें एक ऐसी है जिसके लिये अध्यापकों ने यह कहा है कि हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में रिट हुई है उसको वापस ले लें।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : क्यों नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैनेजमेन्ट यह कहता है कि हमको यह अधिकार है और हम न्याय प्राप्त करेंगे कि सरकार के आदेश सही हैं या नहीं।

श्री ईश्वरचन्द्र : जब आपने एड रिलीज की तो आपने यह नहीं कहा कि वह इन केसेज को विदड्रा करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : फिर क्या बात हुई?

श्री मनोहरसिंह मेहता : हाईकोर्ट में दावा किया। उसको वापस लो, यह नहीं कहा। आज वह अनुशासन बनाये रखना चाहते हैं तो आप अनुशासन की अवहेलना करना चाहते हैं।

श्री रणमल सिंह : पैसा तो आप देते हैं, पैसा सरकार का है और अधिकार मैनेजमेंट का बन गया। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री भंवरलाल शर्मा : शर्म की बात होगी बाद में पहले आप सुन तो लें। उसके बाद कुछ कहना हो और सुझाव देना हो वह दें। जो तथ्य हैं वह मैं आपके सामने ला रहा हूं। इस विषय में संशोधन और सुधार की जरूरत हो तो आप सुझाव दें।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : जब आप सेन्ट-पर्सेन्ट ग्रान्ट देते हैं तो उनको हमारे आदेशों का पालन करना चाहिए, हमारी कन्डीशन्स को उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे यहां से यह आदेश दिया गया है कि जब तक आप इनको वापस नहीं लेंगे तब तक अनुदान नहीं मिलेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अनुदान पहले ही रिलीज हो गया। आप तारीख बतायें किस तारीख को आपने अनुदान रिलीज किया? आपको गलत सूचना दी गयी है कि उनको ले लिया है। तब तक उनको नहीं लिया गया था। एड पहले ही रिलीज हुई है। आपने अनजाने में उनसे पूछा था कि उनको ले लिया तो आपसे कह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिया कि हां ले लिया और अपने दस्तखत कर दिये। एड पहले रिलीज करा कर ले गये। उसके कारण से वह हावी हो गये और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जब एड रिलीज कर दी तो उन्होंने कहा कि हम कमेटी-वमेटी नहीं मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले इनका बयान तो होने दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मेम्बर बजरंगलाल जी, आपको स्पीकर के अधिकार कैसे प्राप्त हो गये ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपका इसमें मुझे कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट नजर आ रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा कोई वेस्टेड इन्ट्रेस्ट नहीं है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल ही लोग आये हैं वह कहते हैं कि प्रबन्धक मण्डल ने इन्कार कर दिया मिलने से।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्षजी, इन्स्टीट्यूशन को एड मंत्री महोदय के दस्तखत होने के बाद चार घन्टों में ही सचिवालय से रिलीज हो गई, और उन्होंने अध्यापकों को नौकरी पर नहीं लिया। अभी आपने कहा कि अध्यापकों के आर्डर इश्यू हुए हैं उनमें गलती है उसको वह ठीक करने को तैयार हो गये हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि उनको नौकरी पर नहीं लिया गया। चार घन्टों में ही सचिवालय, जहां कि एक फाइल एक महीने में एक मेज से दूसरी मेज पर पहुंचती है, से उन्होंने इस काम को तुरत-फुरत करवा दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमें तो अभी तक 9 महीनों में भी भत्ता नहीं मिला और चार घन्टों में ही उनका सारा काम हो गया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह बड़े दुःख की बात है कि शिक्षा मंत्री जी चाहते हुए भी केन्द्रीय मंत्री के दबाव में आ गये और भीगी बिल्ली बन कर गलत कार्य कर गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस प्रकार का स्टेटमेंट देकर उसका इतिहास बताने से काम नहीं चलेगा। जो मुख्य मुद्दा था वह हम सबने शिक्षा विभाग की मांग जिस दिन थी उस दिन उठाया था। मुद्दा यह है कि पहले इन दो लोगों को निकाला। 24-1-78 को मैनेजमेंट ने मीटिंग करके आप को लिख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिया कि हम आपके आदेश को नहीं मानते हैं और इनको नहीं रखते हैं। फिर मजबूरन आपने इसकी एड रोकी, और एड इस आधार पर रोकी कि इन लोगों को लें उसके बाद रिलीज करेंगे। आपका यह अधिकार है कि चाहे जैसे मैनेजमेंट से मालूम करें कि इन लोगों को ले लिया गया या नहीं। आप से दस्तखत कराये तब तक इन लोगों को नहीं लिया गया था। उन लोगों की आपसे बात-चीत नहीं हुई थी, उन्होंने आपसे नहीं कहा था। उन्होंने आपसे कहा कि ले लिया। वह चार घन्टे में एड लेकर चले गये और वहां जाकर शेर हो गये। उन्होंने यह कहा कि हम इन्स्टीट्यूशन को जून में बन्द कर देंगे। सरकार को धमकी देते रहे हैं। आपने तीन केबिनेट के मन्त्रियों की कमेटी बनाई है। वहां के जितने कर्मचारी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि जो आप फैसला करेंगे उस फैसले को स्वीकार करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि वे तीन मन्त्रियों की कमेटी को स्वीकार नहीं करते हैं। वह तो केवल दिल्ली के आधार पर चलते हैं। उसके बाद लगातार वह बोलते चले जा रहे हैं। आप यह बतायें कि एड आपने पहले रिलीज की? अगर आपने की तो किसकी गलती के कारण ऐसा हुआ ? किस आदमी ने आपको सूचना दी कि उनको सेवा में ले लिया गया है ? आपने पहले भी कहा था कि उनको सेवा में लिया गया है और हड़ताल टूट गई है। मैंने कहा था कि हड़ताल नहीं टूटी है और हड़ताल आज तक नहीं टूटी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, आप सबसे मिलकर इसका हल निकाल लें। इसमें ही सदन का सारा समय व्यतीत हो रहा है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री जी डर क्यों रहे हैं ? उनको ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मन्त्री जी ने तो बहुत प्रयत्न किया लेकिन मैनेजमेंट उनकी बात मानने को तैयार नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इमर्जेन्सी वाली हिम्मत फिर पैदा कीजिये।

श्री ईश्वरचान्द्र : आप केवल दो अध्यापकों को लेकर ही सारे इश्यू को डेवियेट मत करिये। इस विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूशन में चार करोड़ रुपयों के गबन का मामला है। केवल इन दो अध्यापकों के रखने और न रखने का ही मामला नहीं है। इसमें कई अध्यापक इन्वाल्वड हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मैनेजमेंट से बात करने या न करने का सवाल नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने सदन को गुमराह किया है इसलिए इनको कठघरे में खड़ा कर दें।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत बात कही है। इनको सजा दी जाये। इनको बैंच पर खड़ा कर दीजिए एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए खड़ा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मेरा विनम्र सुझाव है, इतना विलम्ब हो गया है, शिक्षामन्त्री जी, आप इनसे मिलकर बातचीत कर सकते हैं। इनको अपने चैम्बर में बुला लें। इसका कोई हल निकालें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह भंवरलाल जी जो इमर्जेन्सी में थे क्या आप वही है ? अब तो कायर भंवरलाल हो गये हैं। इमर्जेन्सी में मुकाबला किया था।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पहले इनके सामने ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव हमें मान्य है। लेकिन रूरल इन्स्टीट्यूशन के मैनेजमेंट ने तीन मन्त्रियों की कमेटी से बात करने से इन्कार कर दिया। मैनेजमेंट बात करे, उससे क्या होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कमेटी बात कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई बात नहीं कर रही है।

श्री कौशलकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय मेहता की यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि बात नहीं करेंगे ? यह कहने की हिम्मत कैसे हुई।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैनेजमेंट ने लिखित में दिया है कि हम तीनों मंत्रियों से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : वह लेटर सदन की मेज पर रखा जाये। मेहता की यह कहने की हिम्मत कैसे हो गई कि वह बात करने के लिए तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया, स्थान ग्रहण करें। इस तरह से मन्त्री महोदय को दबाने, धमकाने से कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार की गलती है।

श्री अध्यक्ष : अगर सरकार की गलती है तो बातचीत से हल निकालें। यह सदन इसके लिए उपयुक्त नहीं है। यह बहुत नाजुक सवाल है। इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री ईश्वरचंद : सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय....

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसका हल यह है कि रूरल इन्स्टीट्यूट में आर. एस. एस. की शाखाएं

(68)

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

लगाने की इजाजत दे दी जाये। इससे सब हल हो जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट....

श्री ईश्वरचंद्र : टीचर्स ने यह लिख कर दिया है, यह पत्र लिख कर दिया हैं कि जो विद्युतमन्त्री, आयोजना मन्त्री और शिक्षामन्त्री को निर्णय लेने का अधिकार दिया है हम आपका निर्णय मानने को बाध्य होंगे। यह रूरल इन्स्टीट्यूशन के टीचर ने लिख कर दिया है लेकिन यह राज्य सरकार किसी भी आधार को मानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह तय करने के लिए यह सदन उपयुक्त स्थान नहीं है तो और कौन सा स्थान हो सकता है? यह मन्त्री के चैम्बर में तय नहीं होगा। इसलिए यह घोषणा की जाये कि हम इस इन्स्टीट्यूशन का राष्ट्रीयकरण करते हैं। सरकार उसका अधिग्रहण करती है। सरकार को डर क्या है। यह कहते हैं कि हाईकोर्ट में चले जायेंगे। हाई कोर्ट में चले जायेंगे तो आपका एडवोकेट जनरल बैठा हुआ है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ लिखा हुआ है। यह सदन आंदोलित है। यह सदन सक्षम है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप किसके कहने से बाध्य करते हैं कि रूरल इन्स्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के सामने जाकर घुटने टेक दें जिसने तीनों मंत्रियों की तौहीन की है। हमारे मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं। क्या वह मैनेजमेंट से बात करने को तैयार है? क्या मैनेजमेंट इनकी बात मानने को तैयार है? नहीं तो, आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह जी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, कौशल किशोर जी ने कहा है कि मोहनसिंह मेहता कौन हैं। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि मोहनसिंह मेहता कौन हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं जानता हूं। सारा उदयपुर जानता है। आप क्या बतायेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने श्री मोहनसिंह जी के लिए कुछ नहीं कहा है।

श्री कौशल किशोर जैन : हमने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमने रूरल इन्स्टीट्यूशन के बारे में कहा है।

(व्यवधान)

इस संस्था को 4 लाख की एड दी जाती है। करोड़ों का मामला है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय मेहता साहब पर कोई आरोप नहीं लगाया है। वहां जो अनियमितताएं हैं, उनके लिए प्रश्न उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मुझे भी बोलने दीजिए। यह क्या तरीका है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : वहां का मैनेजमेंट हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तो क्या हो गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह शिक्षा-मन्त्री जो क्या फैसला कर सकेंगे ? इसके लिए सदन को निर्णय करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य गुलाबचन्द कटारिया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी सरकार है। यह सरकार प्रयत्न कर रही है कि इस समस्या का समाधान निकाले। अगर यह सरकार कोई समाधान नहीं निकाल सकती है तो आपकी मर्जी है। आप उनको कोसने के बजाय सरकार को कुछ समय तो दीजिए। बीच में चर्चा उठायें, यह तो तरीका नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : कोई तरीका तो होता है। दनादन गालियां बक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भटनागर से मैं भी कहता हूं give them time। गवर्नमेंट बींग उनको कोशिश तो करने दीजिए। मैं यहां पर क्या करूं। मैं स्पीकर के नाते नहीं कहता हूं एक राजस्थान के नागरिक के नाते कहता हूं कि इसको सरकार पर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। अपन हल नहीं कर रहे हैं तो सरकार पर छोड़ें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले को आप पर छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं गवर्नमेंट से दूर हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस सरकार पर किसी को विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं सरकार को कहूंगा, यह शोभाजनक नहीं है। कोइ वे आउट वह निकाले। अब चर्चा समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मेहता बहुत प्रबल है। आपने फर्माया है। आपका महत्व उनसे भी अधिक है। मन्त्री और मन्त्रिमण्डल, सदन की कमेटी है।

श्री अध्यक्ष : यह सदन की कमेटी नहीं है, माननीय सदस्य। यह गवर्नमेंट की कमेटी है।

श्री मूलचन्द डागा : सदन कहां से आ गया है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की समस्या को हल करवायें। 67 दिनों से हड़ताल चल रही है, वह टूटे और समझौता हो ताकि बालक पढ़ने जायें। यह उनके भविष्य का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिक्षा मंत्रीजी को तो कुछ कहने दीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप भी ?

श्री ओंकार लाल चौहान : He is directly concerned.

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मन्त्री महोदय यह बता दें, संस्था ने यह कहा है कि अगर घोटाला हो तो जांच कराने को तैयार है ? संस्था ने एग्रीमेंट ड्राफ्ट में स्पष्ट स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्रीमान यह है : A Judge may be appointed by the Government. फिर न जाने क्यों सदस्य महोदय भूल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने कहा कि जज का अपाइन्टमेंट होना चाहिए।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : एक जज से जांच करवा लेंगे, ऐसा संस्था ने माना है। वह....

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय के सामने है। एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रखा है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : एक मिनट का समय मुझे बख्शाया जाय।

श्री नरेन्द पाल सिंह चौधरी : कैसे क्या होगा, इस बारे में मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय सोचेंगे। संस्था नहीं खुली तो क्यों नहीं खुली. यह मंत्री महोदय बता सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, इस

श्री नूरा : डागा जी, आप दलाली करना चाहते हैं। मेरा स्थगन प्रस्ताव है। यह संस्था खुलनी चाहिए, सरकार को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य ने कहा कि जांच करा ली जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या यह सत्य नहीं है कि अध्यापकों को नहीं लिया गया ? 1 लाख 77 हजार रुपया अलग-अलग फण्ड्स में खर्च कर दिया। उसकी जांच करवा लो, मशीनरी की जांच करवा लो। इन सबकी जांच किसी सेशन जज से करवा ली जाय लेकिन हमने तो यह कहा है कि—

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर पहले है

श्री मूलचन्द डागा : रूल 270 और 271

श्री अध्यक्ष : I think you were a very responsible hon. Member. Point of order is complete dis-order.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं पाइन्ट ऑफ आर्डर द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन दिनों से, अध्यक्ष महोदय,

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर चल रहा है, और दूसरा पाइन्ट ऑफ आर्डर उठ गया। यह गलत परम्परा पड़ रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। सदन की कार्यवाही को आगे चलने दें नहीं तो विवश होकर मुझे 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी

श्री वृद्धिचन्द जैन : अच्छा रहेगा

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : Hon'ble Speaker, Sir, there can be no point of order when another point of order is already being debated. This question is going on a point of order which has not been disposed of जब तक पहले पाइन्ट ऑफ आर्डर पर डिसीजन नहीं आ जाय, दूसरा पाइन्ट ऑफ आर्डर कैसे उठेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : He should be allowed to speak. The man has been called and he should be allowed to speak.

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर है

श्री मूलचन्द डागा : Yes.

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि माननीय अध्यक्ष ने अभी एक बात कही जिससे आसन की विवशता प्रगट होती है। आपने कहा कि मैं क्या कर

(श्री बजरंग लाल शर्मा)

सकता हूं, मेरा निवेदन है कि

श्री अध्यक्ष : सदन सब कुछ कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूं इस सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसीलिए मैं पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई स्टेज किसी समस्या के लिए प्रिमेच्योर हो तो प्रिमेच्योर की अवस्था में कभी एजीटेशन नहीं हो सकता। समस्या परिपक्व अवस्था में आएगी तो उसका निराकरण हो जायगा। अभी से क्यों चिन्तित होते हैं? मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को आगे चलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, केवल आधा मिनट लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप केवल एक ही निवेदन करेंगे या घण्टा भर बोलते जायेंगे? आपके बीच और मेरे बीच अण्डरस्टेंडिंग होनी चाहिए कि आप कितनी देर तक अपनी बात कहेंगे?

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से लगातार यह कहा जा रहा है कि विदेश सचिव श्री जगत मेहता के असर से सरकार विवशता महसूस करती है। हाउस में यह बात कही गई है, और अनेक माननीय सदस्यों के द्वारा लगातार यह कहा गया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केन्द्रीय अधिकारियों ने राज्य सरकार के शासन में हस्तक्षेप किया है। विदेश मन्त्रालय के प्रमुख अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है, यहां इस बात को काउण्टर नहीं किया गया। सदन इस बात से चिन्तित है कि विदेश सचिवालय के प्रमुख सचिव और राज्य सरकार और यह सदन काउण्टर नहीं किया जाता है तो क्या इस सदन में घोषणा नहीं की जानी चाहिए कि केन्द्रीय अधिकारियों की कार्यवाही निन्दनीय है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है, यह तय हो जाना चाहिए कि केन्द्रीय अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार के काम में बाधा डालना उचित नहीं है

(व्यवधान)

दूसरा मेरा निवेदन यह है इसी सन्दर्भ में, चूंकि केन्द्रीय अधिकारी श्री मोहनसिंह मेहता का पुत्र है, इसीलिए माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री कौशलकिशोर जैन इस बात पर विवश हुए और श्री भवर लाल शर्मा, शिक्षा मन्त्री, पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आर. एस. एस. की शाखा.......

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : एक संस्था के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं। इससे

(श्री किशनसिंह भाटी)

आर. एस. एस. का क्या ताल्लुक है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

कृपा करके निर्णय करने का कष्ट करें।

श्रीमनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मेरे प्रश्न पर कोई फैसला नहीं देंगे ? या तो पाइंट ऑफ आर्डर रूल आउट किया जाय या फैसला दिया जाए। यह कोई कट मोशन्स पर बहस नहीं है, आप संसदीय मामलों में काफी अनुभवी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा, उस संबंध में मेरा निवेदन है कि सारा मसला सरकार के विचाराधीन है। सरकार अगर कोई उत्तर देना चाहती है तो दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे केवल एक मिनट बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आज जो सदन का मूड है इस मामले पर वह फ्री फार आल है आज जिसको बोलना हो बोले।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा, इस संस्था में करोड़ों रुपये का घोटाला है। माननीय नरेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने मंजूर कर लिया है कि आप जिसको चाहें जज मुकर्रर करें, जांच करा लें। डाक्टर मेहता ने मेरे जैसे सैकड़ों शिष्यों को तैयार किया है, मैं जो कुछ सीखा हूं डाक्टर मेहता की वजह से सीखा हूं। डाक्टर मेहता ने जो संस्था चलाई है उसका देश भर में नाम है। उस संस्था के प्रति उन्होंने कहा है कि करोड़ों का घोटाला है। आप जज मुकर्रर करके निष्पक्ष जांच करायें, बाकी इस तरह से इल्जाम लगाना ठीक नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विवाद को लेकर यह संकेत किया गया व आरोप भी लगाया है कि राज्य सरकार पर किसी का दबाव है या दबाव के कारण हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं इस आरोप को निराधार, असत्य और बेबुनियाद मानता हूं। इसके प्रमाण में यह बात कहना चाहता हूं कि जो आदेश मेरे द्वारा दिए गए हैं वह हैं, संस्था को अनुदान इसी शर्त पर दिया जा सकता है कि वह दोनों प्राध्यापकों को पुनः सेवा में ले और उनकी देय राशि का भुगतान संस्था को मिलने वाले अनुदान में से अविलंब करे तथा आगामी सत्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करें।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या किसी का दबाव है हमारे पर ? यह

(श्री भंवर लाल शर्मा)

बताया गया कि तीन मन्त्रियों की समिति सरकार ने बनाई, है यह सत्य नहीं है। यह टीचर्स की ओर से प्रस्ताव था कि यदि इन तीन मन्त्रियों की समिति बनाई जाती है तो उसके निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। यह जरूरी नहीं कि दूसरा पक्ष पंच के नाते जिनका नाम दे उसे माने।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप पंच थोड़े ही हैं ?

(व्यवधान)

आपको एप्रीशिएट करना चाहिए टीचर्स की बात को कि सरकार के मन्त्री जो पंच फैसला करेंगे वह मान लेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह कहना कि सरकार ने तीन मन्त्रियों की समिति बनाई है, ऐसी स्थिति नहीं है। स्थिति यह है कि एक पक्ष ने यह प्रस्ताव किया कि अमुक अमुक मन्त्रियों की समिति बनती है तो हम उसका निर्णय मानेंगे। दूसरा पक्ष भी उसको माने या नहीं माने, सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कहते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं....

श्री श्योपत सिंह मकासर : सेंट पर्सेंट एड दे रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह सही है कि सरकार उसको अनुदान देती है लेकिन उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों के अन्तर्गत ही सरकार किसी संस्था के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। ऐसी प्राइवेट संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर तभी बिठाया जा सकता है जब मैनेजमेंट में कोई विवाद हो। कोई संस्था में या बोडी में यह कहे कि हमारी मेनेजमेंट है, दूसरे कहें कि हम हैं, ऐसी स्थिति में कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जा सकता है।

श्री ईश्वरचंद्र : दो साल से चुनाव नहीं हुए हैं। उसमें कई लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विद्यार्थी व अध्यापक भी उसके भागीदार हैं....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचंद्र : आपने उन लोगों की मोनोपोली बनाकर तिकड़म बिठा रखी है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : थोड़ी सहिष्णुता रखिए, मंत्री की भी सुनिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : छात्र दो महीने से बाहर बैठे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : इस संस्था को सरकार के अधीन करने के सम्बन्ध में मेरी जानकारी के आधार पर जो वर्तमान नियम हैं, उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

फिर भी मैं आपको इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही हम कर सकते हैं बताइए। मैं एक क्षण भी देर नहीं लगाऊंगा....

श्री श्योपत सिंह मकासर : हम कोई कार्यवाही नहीं कराना चाहते। हम यह जानना चाहते हैं कि तीन हजार बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है और सैकड़ों अध्यापक परेशान हो रहे हैं, इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आप उनको रखिए, हमें कोई एतराज नहीं।

श्री भंवर लाल शर्मा: सरकार के सामने चाहे मोहन सिंह मेहता हों चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो कानून सबके लिए एक है। जहां तक सरकार की ओर से कार्यवाही करने का सवाल है वह मैंने निवेदन किया।

दूसरी चिंता माननीय सदस्यों की है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, हड़ताल है इसमें आपकी और मेरी चिन्ता बराबर है। इसमें किसी की दो राय नहीं है लेकिन जब कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे सुलझाने की कोशिश की जाती है। कई बार विवाद लम्बे भी होते हैं। अभी हम इस कोशिश में हैं कि किसी प्रकार से समझौता हो और यह इन्सटीट्यूशन चालू हो। मैं चाहता था कि जानकारी करके और निर्णय करके ही सदन में घोषणा करूं कि हड़ताल टूट गयी है और कार्य चालू हो गया है लेकिन अभी विलम्ब हो रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अभी प्रश्न का जवाब नहीं आया है....

श्री एच. एन. शर्मा : यह आदेश मन्त्री महोदय ने कब जारी किये हैं? इनकी क्या पालना हुई? इसके बारे में मन्त्री महोदय स्पष्ट बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न था। आपके आदेश तो यह थे कि अध्यापकों को नौकरी पर लेने के बाद एड रिलीज की जाये। एड रिलीज तो हो गयी लेकिन दो अध्यापकों को नहीं लिया, इसका क्या कारण है?

श्री ईश्वर चन्द्र : एक तो मन्त्री महोदय ने यह नहीं कहा....

श्री श्योपत सिंह मकासर : हनुमानगढ़ के टीचर्स की तनख्वाह यहां एड में से काटी और उदयपुर के कालेज वाले लाडले है इसलिए उनके लिए आपका कानून दूसरा बन गया। दो कानून हैं। आपके आदेशों के बावजूद भी उन्हें तनख्वाह नहीं दी। आपने उदयपुर के टीचर्स की तनख्वाह यहां क्यों नहीं काटी? हनुमानगढ़ में दूसरा कानून है और वहां दूसरा कानून है।

श्री ईश्वर चन्द्र : मई, 78 से मैनेजमेंट कमेटी की सदस्यता के लिए सैकड़ों प्रार्थना-पत्र उदयपुर के प्रतिष्ठित नागरिकों के दिये हुए हैं, लेकिन पिछले दो सालों से कोई चुनाव विद्या भवन उदयपुर में नहीं कराये गये हैं। जैसा मैंने कहा कि जो वहां सैक्रेटरी

(श्री ईश्वर चन्द्र)

है उसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप इस संस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं देते....

व्यवधान

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार 4 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान की राशि इस संस्था को देती है 100 प्रतिशत अनुदान सरकार दे रही है तो सरकार को इस इन्सटीट्यूशन को अपने कब्जे में लेने में क्या एतराज है ? दूसरी ओर जो राज्य सरकार ने आदेश दिये थे उसके बावजूद भी उन अध्यापकों को कार्य पर क्यों नहीं लिया गया ? यह बताने की कृपा करें। सबसे विचारणीय प्रश्न यह है....

सूचना

श्री जयप्रकाश नारायण के निधन का समाचार

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री संसदीय कार्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को बहुत दुखद समाचार देना है। हमारे लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण हमारे बीच अब नहीं रहे। माननीय मुख्य मंत्री जी बम्बई जाने वाले थे वह शीघ्र ही दो मिनट में सदन में उपस्थित हो रहे हैं।

(विराम)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, दस मिनट के लिए हाउस स्थगित कर दें। यों हाउस में मौन न रहे ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दस मिनट के लिए स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी यहां आने वाले थे, यह सूचना मिली थी। माननीय मुख्य मत्री जी ही इस संबंध में सदन को अवगत करायेंगे। इस बीच में माननीय मंत्री महोदय ने सूचना दे दी है। अब सूचना प्राप्त हो गयी है तो इसकी औपचारिक रूप से जानकारी सदन को देनी है तो सदन के नेता को भी आना उचित होगा। अतएव वर्तमान परिस्थिति में मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि मुख्य मंत्री जी के आने तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। आगे वह औपचारिक रूप से जो कुछ भी कहना होगा कहेंगे। उसके बाद सदन की अवशेष कार्यवाही करनी है नहीं करनी है, उसके बारे में बाद में व्यवस्था होगी।

श्री मूलचन्द डागा : After how much time the House should assemble again ?

श्री अध्यक्ष : Please don't ask me all these questions.

सदन की कार्यवाही मुख्य मंत्री जी के आने तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 1.37 बजे मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत के आने तक स्थगित हुई)

विधान सभा की कार्यवाही म. प. 1.45 बजे पुन प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जयप्रकाश नारायण के निधन का समाचार : शोक प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, अंधेरे का प्रकाश, जय प्रकाश, 1 बजकर 10 मिनट पर बन्द हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी, लोकतंत्र का स्तम्भ, जनमानस का प्रिय वह व्यक्ति आज उस स्थिति में जब कि उसके मार्ग दर्शन की निरन्तर आवश्यकता थी, हम सब को अनाथ छोड़ कर चला गया।

अध्यक्ष महोदय, वैसे बहुत कम महानुभावों को इस बात का सौभाग्य मिला है जिन्होंने देश की आजादी के लिये संघर्ष किया और उसके पश्चात् लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिये संघर्ष किया। जय प्रकाशनारायण जी को देश को इन अवसरों पर सजग करने का अवसर मिला है। वे भारत के एक गणमान्य व्यक्ति रहे जिन्होंने देश के सामने ही नहीं, संसार के सामने यह आदर्श उपस्थित किया है कि यह शरीर मेरा हो सकता है लेकिन इस शरीर पर अधिकार मेरा और मेरे परिवार का ही नहीं, समूचे देश और संसार का है। व्यक्ति का जीवन संघर्ष के लिये है, इस आदर्श को सामने रख कर उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया है। समाज हो, चाहे सरकार हो, जहां भी बुराई देखी उस बुराई के लिये उन्होंने संघर्ष किया। अपनी कार्य कुशलता के कारण, जन मानस में अपनी बात का समर्थन किस प्रकार से मिले, इस बात को सामने रख कर उन्होंने हमेशा ऐसे प्रश्नों पर संघर्ष किया जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। पिछले 2।। वर्ष से ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से संघर्ष करना पड़ा। उनका जन्म संघर्ष के लिये ही हुआ था वे जन्म पर्यन्त संघर्ष करते रहे। वे मृत्यु के अन्तिम चरण तक संघर्ष करते हुए ही संसार से गये। मेरा विश्वास है कि इस संसार में आज बुराइयों से संघर्ष करने वालों में यदि किसी व्यक्ति का नाम सर्व प्रथम आयेगा तो श्री जय प्रकाश नारायण का आयेगा। उन्होंने न केवल देश की आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि गरीबी किस प्रकार मिटे, गरीबों का उत्थान किस प्रकार से हो इस बात को लेकर भी निरन्तर संघर्ष करते रहे।

राजनीति में कई प्रकार के मत पैदा हो सकते हैं, राजनीति में कई प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं। उस राजनीतिक क्षेत्र को सुधारने के लिए, राजनीतिक वातावरण को शुद्ध करने के लिये जयप्रकाश जी ने सक्रिय राजनीति की भूमिका छोड़ कर रचनात्मक कार्य करने की शैली इस समाज में जिस आदर्श के रूप में रखी है वह हम सबके लिये प्रेरणादायक है।

ग्राम दान, भू दान के माध्यम से गरीबों को किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है, इसका मार्ग दर्शन किया। आज हिन्दुस्तान का कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं होगा जो जयप्रकाशजी से प्रेरणा नहीं लेता हो। जय प्रकाशजी ने सम्पूर्ण देश के युवक समाज का मार्ग प्रशस्त किया। आज मैं कह सकता हूं

श्री, भैरोंसिंह शेखावत)

वे युवकों की ढाल और युवकों के मार्गदर्शक थे। युवक किस प्रकार रचनात्मक कार्यों में लगें, इस के प्रणेता हमारे समाज से कुछ समय पूर्व ही उठ गए।

मैं जब स्वयं उनसे मिलने गया अन्त्योदय के सम्बन्ध में और उनसे चर्चा की तो बहुत ही भाव विह्वल होकर बोले, देश आजाद हो गया हम सबको इस बात की खुशी है लेकिन जयप्रकाश को तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन गरीब के घर में दीपक जलेगा, गरीब के पेट में रोटी पहुंचेगी, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब के लिए कपड़ा और सिर ढकने के लिए छाया की व्यवस्था होगी। उनके दिल में एक प्रकार की टीस थी, उस टीस को दूर करने के लिए काम करने की तमन्ना थी लेकिन यह भगवान को स्वीकार नहीं था। भगवान ने लगभग आज हमको उसी स्थिति में छोड़ा है जिस स्थिति में महात्मा गांधी इस देश को छोड़ कर गये थे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश और इस प्रदेश में करोड़ों की जनसख्या है लेकिन महापुरुष कभी-कभी पैदा होते हैं। मैं ऐसा समझता हूं महात्मा गांधी के पश्चात जिस व्यक्ति ने देश का मार्ग प्रदर्शन किया वे महापुरुष जयप्रकाश जी थे। यह सत्य बात है कि जिस समय देश पर संकट होता है, जिस समय देश में इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि किसी व्यक्ति के मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है कोई न कोई महापुरुष इस देश में पैदा होते रहे हैं। आज यदि हम अपने सारे शास्त्रों का अध्ययन करें तो यह बात निश्चित रूप से हमारे सामने आयेगी कि जिस समय देश में पाप बढ़े, देश में अन्याय का साम्राज्य बढ़ने लगा उस समय देश में महापुरुष पैदा हुए। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी ये देश की उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अवतरित हुए। मैं समझता हूं उस पीढ़ी के अन्तिम व्यक्ति जयप्रकाश जी इसी प्रकार की परिस्थितियों में देश में अवतरित हुए। उन्होंने देश की सेवा की, देश के जन-मानस को जगाया, गरीबी को मिटाने की प्रेरणा दी, युवकों को रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा दी और सारे देश को समुन्नत देश बनाने का प्रयास करते हुए सदा के लिए आज हम से अलग हो गए।

भारत उनका ऋण किस प्रकार चुका सकता है, यह किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है। भारत सदा उनका ऋणी रहेगा। उस ऋण का भुगतान हम कर सकें, ऐसी सामर्थ्य आज इस समय पर मैं कह सकता हूं हम में नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूं कि जिस महापुरुष ने हमारा जो मार्ग-प्रदर्शन किया, उस मार्ग पर चलते रहने से हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं।

हमारे देश की विभूति ने पूरे संसार को शांति का उपदेश ही नहीं दिया बल्कि शान्ति के प्रश्न को लेकर सारे देश में एक वातावरण उत्पन्न किया। संसार की यात्रा कर हथियारों की होड से मानव समाज की कितनी हानि हो सकती है, इस बात का प्रचार किया और जन मानस बनाया। हथियारों की होड़ से किस प्रकार मानव शक्ति बच सकती है, इस बात की प्रेरणा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दी। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में से चले गये।

हम सब लोग जानते है कि आज के तीन वर्ष पहले देश में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनी थीं कि हम केवल एक व्यक्ति की ही शक्ल देखते थे, एक व्यक्ति की ही वाणी सुनते थे, एक व्यक्ति का ही मार्ग दर्शन लेते थे, एक व्यक्ति के ही निर्देश लेने, एक व्यक्ति से ही प्रशस्त होने की स्थिति में थे ऐसे समय में जिस व्यक्ति ने देश को मार्ग दर्शन दिया, जिसने अपने उद्बोधन से देश को जगाया और वास्तविकता पर आकर सही मार्ग का निर्देश दिया आज वह निर्देशक हमारे बीच से उठ कर चला गया।

मैं अधिक कहने की स्थिति में आज नहीं हूं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे।

उनका परिवार सीमित नहीं था, हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता उस व्यक्ति का परिवार थी इसलिये एक व्यक्ति की हानि नहीं है, एक परिवार की हानि नहीं है बल्कि सम्पूर्ण देश की हानि है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश के ऊपर जो यह वज्रपात हुआ है इस वज्रपात को साहस के साथ सहन कर हम बाबू जयप्रकाश जी के मार्ग पर चलने का निश्चय करें, संकल्प करें। मैं ऐसा समझता हूं इस संतप्त अवस्था में इस प्रकार का व्रत हम लें तो उस व्यक्ति के जाने से जो अपार दुःख हो रहा है उसको कम करने की प्रेरणा मिल सकती है।

मैं पुनः परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): जय प्रकाश जी के देहावसान के साथ इस देश के महान सुपुत्र, महान् स्वतन्त्रता सेनानी, राष्ट्र भक्त और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति को हमने आज अपने बीच में से खो दिया।

जय प्रकाश जी स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गांधी के उन बड़े जनरल्स में से थे जो तिहाड़ जेल से भाग कर लाहौर की जेल में गये और जिनको ब्रितानियां की सरकार ने यातनाएं दीं। यह उस वक्त के करोड़ों लोगों के लिए अनुकरणीय थे। स्वतन्त्रता संग्राम के अन्दर इस देश को सक्रिय करने में सदैव जय प्रकाश जी ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। जयप्रकाश नारायण जी ने स्वतन्त्रता की लड़ाई में ही नहीं, इस देश की गतिविधियों में नाना प्रकार से, अपने मौलिक चिंतन, सर्वोदयी विचारधारा से योगदान दिया। इस देश के राजनीतिज्ञों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और राष्ट्र की सेवा करने वाले लोगों को नाना प्रकार से प्रभावित करते थे। जय प्रकाश जी प्रारम्भ में राजनीतिक पार्टियों के आपस में किस तरह के आचरण हो, उनका किस प्रकार का मापदण्ड हो इस सम्बन्ध में चिंतित रहते

(श्री परसराम मदेरणा)

थे। मुझे याद है, 1961 में वे जयपुर आए थे उस वक्त भी दो दिन मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उस समय मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रधान मन्त्री था। दो दिन तक, एक आचार संहिता बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को यहां पर बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन समग्र सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। दो दिन तक मेरा उनसे निकट का सम्पर्क रहा था। उस दो दिन के सम्पर्क ने उनके व्यक्तित्व की मुझ पर अमिट छाप छोड़ी। जो कुछ भी सुझाव उस दिन दिये गये थे सभी पार्टियों के लिये उनके पीछे जो उनकी भावना थी वह यही थी कि इस देश की संस्कृति अक्षुण्ण रहे और लोकतन्त्र मजबूत बने और शक्तिशाली बने।

उन्होंने स्वतन्त्रता के बाद कई प्रकार की जो गतिविधियां इस देश में चलाईं और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने समग्र क्रांति के अग्रदूत के रूप में, युवक वाहिनी के नेता के रूप में देश को अनेक कार्यक्रम दिये उससे निश्चित रूप से हम ही प्रभावित नहीं हुए, देश की जनता ही प्रभावित नहीं हुई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उन्होंने लोगों को राजनैतिक क्षेत्र में सोचने विचारने के लिए एक प्रश्न दिया।

वह देश के बहुत ही भारी, महान मनोबल के व्यक्ति थे। डायलेसिस पर इतने लम्बे अर्से तक जिन्दा रहने वाले संसार में कुछ आदमियों की गिनती की जाएगी, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इतनी लम्बी अवधि तक डायलेसिस पर जिन्दा रह सके। वे चाहते थे कि जो कुछ भी मेरा इस देश के अन्दर समग्र क्रान्ति का स्वप्न है उस स्वप्न के अनुसार इस देश की गतिविधियों को ढाला जा सके। वह इस प्रयास में अस्वस्थ रहने के कारण ज्यादा योगदान नहीं दे सकते थे तो भी उनके विचार देश की जनता को अखबारों के जरिये, रेडियो के जरिये सुनने को मिलते थे। ऐसे महान् व्यक्ति, जिसने देश की गतिविधियों को, देश की राजनीति को, देश के अर्थतन्त्र को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत को भी प्रभावित किया, के अपने आप में मौलिक विचार थे। वे अपने मत के ऊपर इतने दृढ़ थे कि उनके मत का हमारी विदेश नीति, पड़ौसियों से सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय हमारे सम्बन्ध, सद्भावना पर क्या असर पड़ता है, उसकी चिन्ता किए बिना जो उनका मत था, जो विचार था, चिंतन था, उसे हमेशा स्पष्ट तौर पर और स्वतन्त्र रूप से संसार और देश के सामने रखते थे। ऐसे महापुरुष, ऐसे एक त्यागी, जिन्होंने राष्ट्र भक्ति का सर्वोच्च मापदण्ड इस देश के सामने स्वतन्त्रता के वक्त और उसके बाद में रखा, गांधीजी के इस देश में सबसे बड़े अनुयायी हमारे बीच में से इस तरह से आज हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गये हैं। उनका जो कुछ भी मौलिक चिन्तन एवं विचारधारा देश में लोक तन्त्र को मजबूत करने के लिए, इस देश की गरीबी को मिटाने और आम अवाम के रहने के स्तर को ऊपर उठाने के लिए रही, जिस तरह का त्याग का उदाहरण रहा और जिस तरह के गांधीजी के विचारों

(श्री परसराम मदेरणा)

को देश में लागू करने के लिए उन्होंने समय समय पर हमें प्रेरणा दी, मैं समझता हूं कि उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी जो उनके विचार हैं उनका क्रियान्वयन कर सकें।

मैं अपने दल की ओर से और स्वयं की ओर से दिवंगत की महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जैसा कि अभी मुख्य मन्त्री जी प्रस्ताव के रूप में विचार प्रगट कर रहे थे, वे बड़े व्यक्ति थे और पूरे देश को अपना परिवार समझते थे, तब भी उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सम्वेदना प्रगट करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बाबू जयप्रकाश जी की जिन्दगी एक ऐसी झनझनाहट है जिसे सदियों तक हमारे देशवासी गुनगुनाते रहेंगे। महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी के लिए प्रेरणा दी, जय प्रकाश नारायण जी ने जंगे आजादी का बहुत बड़ा सेनानी रह इस देश को आजाद करवाया। सियासी आजादी के बाद में देश की आर्थिक आजादी के लिए भी जूझते रहे। जहां कहीं भी प्रजातन्त्र को खतरे का अवसर मिला तो उन्होंने खड़े हो करके प्रजातन्त्र के मौलिक चिंतन को कायम करने के लिए आवाज दी।

जय प्रकाश जी की जिन्दगी कुर्बानियों से भरी हुई है। आजादी के बाद में उन्होंने कोई बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया। उन्होंने त्याग की भावना दर्शायी और देशवासियों को एक नेतृत्व दिया। पिछले दिनों से बीमार होते हुये भी देशवासियों की जो समस्यायें उनके सामने आई उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने बराबर रास्ता बताया। देश में और भारत के सपूतों में से वे एक हैं। उनको कभी भी देशवासी भूल नहीं सकते। उनकी जिन्दगी, उनकी कुर्बानियां, उनका नेतृत्व, उनके सिद्धांत हमेशा समाजवादी रहे हैं और इसीलिए हमेशा गरीबों को ऊपर उठाने की भावना, देश में प्रजातन्त्र कायम रहे, समाजवाद कायम रहे, इन भावनाओं को लेकर वह युवकों और देशवासियों को नेतृत्व देते रहे हैं।

यकायक आज 1 बजकर 10 मिनट पर उनका शरीर हमारे बीच में से चल बसा है। ऐसे महान नेता लोग शारीरिक तौर से मरते हैं उनकी आत्मा अमर रहती हैं। उन के विचार देशवासियों के सामने जिन्दा रहते हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि उन्होंने देशवासियों के सामने त्याग करने की, कुर्बानी करने की, गरीबों की सेवा करने की समाजवादी भावनायें सदा सर्वदा रखी हैं उनके उपर देश चले। अगर देश उनके ऊपर चलेगा तो मुझे उम्मीद है कि हम उनको सही श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे।

इस अवसर पर ज्यादा न कह कर मैं अपनी ओर से और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उनकी आत्मा जहां कहीं होगी वहां शांति ही होगी, यही प्रार्थना करता हूं।

(82)

सूचना

श्री जय प्रकाश नारायण के शरीर में पुनः प्राण-संचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि लोक सभा में जब यह सूचना मिली कि बाबू जय प्रकाश जी का देहावसान हो गया है तो लोक सभा में भी इस प्रकार की चर्चा प्रारम्भ हुई लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, अभी वापस सूचना मिली है कि उनमें वापस जीवन संचार हो गया है।

हम सब मिल कर उनके स्वास्थ्य की शुभकामना करें, इस समय इतना ही पर्याप्त होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता के द्वारा जो शुभ संदेश प्राप्त हुआ है हमारी सब की यही कामना है, सारे भारतवर्ष की यही कामना है और विश्व के सभी तबकों, जो विशुद्ध प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, की अन्तर आत्मा से यही कामना है कि जय प्रकाश जी चिरायु हों, स्वस्थ हों।

जिस स्थिति में उनका स्वास्थ्य चल रहा है उसको देखते हुए अब उचित यही होगा कि सदन की शेष कार्यवाही स्थगित करके सदन की कार्यवाही कल 23 मार्च, 1979 को म. पू. 11-00 बजे फिर प्रारंभ हो। अतएव सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित करने की घोषणा करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 2.12 बजे शुक्रवार दिनाक 23 मार्च, 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 459 की सूची)

भू सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये गांवों की सूची-1978-79

क्रमांक	गांव का नाम
1	देहित
2	देलून्दा
3	मेहराना
4	बिनायका
5	सिन्ता
6	वालौता
7	बाजड़
8	चानन हेली
9	सनवासा
10	डगलावदा
11	बक्सपुरा
12	तीरथ
13	गांच
14	भवानीपुरा
15	इन्द्रपुरिया
16	माघोराजपुरा
17	भीया
18	हतनापुर
19	भरनेठा
20	रंगराजपुरा
21	रेडी
22	सामरपुरिया

परिशिष्ठ 2

तारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

सूची तहसीलदारान जिनकी आर. ए. एस. सेवा में पदोन्नति अविलम्बनीय/ अस्थाई तौर पर नहीं की गई हैं।

सूची (क)

1	श्री भोम सिंह	
2	श्री प्रवीणचन्द जैन	
3	श्री विशनसिंह शेखावत	
4	श्री किशन शर्मा	
5	श्री चिमन सिंह	इनकी कोई विभागीय जांच पेंडिंग नहीं है-लेकिन इनका 5 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन पूरा नहीं हैं।
6	श्री अचलेश्वर प्रसाद	
7	श्री जगदीश नारायण सक्सेना	
8	श्री वेदपाल कृष्ण धीर	
9	श्री गोपालदास गुप्ता	
10	श्री हरिनाथ शर्मा	
11	श्री गोविन्द नारायण शर्मा	
12	श्री सोहनलाल महेश्वरी	
13	श्री गुलाबचन्द गुप्ता	
14	श्री नेमीचन्द जैन	
15	श्री देवनारायण व्यास	
16	श्री पूनम लूनकर	इनकी कोई विभागीय जांच पेन्डिग नहीं है लेकिन इनका 5 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन पूरा नहीं है।
17	श्री बेनीराम गुप्ता	

स्थाई तहसीलदारों के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच की सूची

क्र.सं.	नाम व पद	घटना	नियम	चार्ज शीट देने की दिनांक	आरोप	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री अचलेश्वर प्रसाद त्रिवेदी भूतपूर्व सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रार्यसिंहनगर	1971	16	2-6-73	अपने आदेशों को लौटाना स्वयं द्वारा दिये गये आदेशों को अनियमित रूप से निरस्त करना	राज्य सरकार कार्मिक विभाग को अन्तिम निर्णय हेतु भेजी गई है।
2.	(1) श्री जगदीशनारायण सक्सेना, भूतपूर्व तहसीलदार, महुआ।	1975	16	17-5-76	रिश्वत प्राप्त करना	जांच अधिकारी जिलाधीश सवाई माधोपुर से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
	(2) भूतपूर्व तहसीलदार, फलौदी	73-74	16	17-5-76	भुगतान में अनियमितता	अतिरिक्त जिलाधीश, जोधपुर से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
3.	श्री वेदपाल कृष्णधीर, भू.पू. तहसीलदार बेगूं	1974	16	21-11-75	नहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के मामलों में अनियमितता	अतिरिक्त जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
4.	श्री गोपालदास गुप्ता,	1969	16	7-2-75	अनियमित पंजीयन कर स्वार्थ सिद्धि करना।	राजस्व मण्डल में अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।

85

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री बेनीराम गुप्ता, भूतपूर्व तहसीलदार, गढ़ी (बांसवाडा)	1973	16	17-6-76	भू संरक्षिण कार्य का फर्जी भुगतान करना ।	दिनांक 9-2-79 को निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को दोष मुक्त किया जा चुका है ।
6.	श्री हरिनाथ शर्मा, भूतपूर्व सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर	1973	16	8-4-75	अभिलेख में कांट छांट करना	दिनांक 13-2-79 को निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को दोष मुक्त किया जा चुका है ।
		1972	16	7-11-75	अनुसूचित जाति की जमीन को स्वर्ण जाति के नाम करना ।	दोष अधिकारी को दोषमुक्त करने का निर्णय लिया जा चुका है ।
		1973	16	26-9-75	कानून के विरूद्ध कार्य करना व राज्य सरकार को हानि पहुंचाना ।	अन्तिम निर्णय हेतु राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं ।
7.	श्री गोविन्दनारायण शर्मा, भूतपूर्व तहसीलदार, बूंदी	68-69	16	5-11-77	राहत कार्य में 562/- रु. के गबन में सहदोषी ।	जांच अधिकारी जिलाधीश, बूंदी से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित हैं ।
		1969	16	4-11-77	बूंदी के जंगलों को नाजायज कटाई के संबंध में राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना ।	,, ,, ,,
		1969	16	11-4-77	44000/- के पेडों को 307/- में निलाम कर कटवा दिया ।	,, ,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री सोहनलाल महेश्वरी, भूतपूर्व तहसीलदार, डूंगरगढ़।	1975	16	7-10-76	गोचर भूमि में निकले पत्थर की निलामी में अनियमितता।	अन्तिम निर्णय हेतु राजस्व मण्डल में विचाराधीन है।
9.	श्री गुलाबचन्द गुप्ता, भूतपूर्व तहसीलदार, रामगंज मण्डी।	1970	16	31-3-78	35,888/- पंजीयन शुल्क कम वसूल करना।	दोषी अधिकारी को दी गई चार्जशीट का उत्तर अपेक्षित हैं।
	उदयपुर	1970	16	30-5-78	रजिस्ट्रेशन करते समय कम स्टाम्प ड्यूटी वसूल करना।	दोषी अधिकारी को दी गई चार्जशीट का उत्तर अपेक्षित हैं।
	रामगंज मण्डी	1978	—	—	रिश्वत लेने संबंधी आरोप	इस जांच में शिकायत की जांच कराई जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। अतः जांच को समाप्त कर दी गई।
10.	नेमीचन्द जैन, भूतपूर्व तहसीलदार चौहटन।	1969	17	6-9-77	राजकीय राशि का गबन व. दुरुपयोग करना।	अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है।
	हनुमानगढ़	1972	17	15-12-75	गलत आवंटन होने पर भी कोई अपील न करना।	आदेश दिनांक 30-1-79 से दोष मुक्त कर दिया।
	पाली	1974	16	18-5-76	सीमेंट, शक्कर गेहूं वितरण में अनियमिता एवं भ्रष्टता अपनाने बाबत।	अतिरिक्त जिलाधीश पाली से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
	देसूरी	1974	16	6-5-77	नामान्तरकरण संख्या 657 को 500/- रु. लेकर स्वीकृत करना एवं पंजीयन कार्य में जनता को परेशान करना।	अतिरिक्त जिलाधीश पाली से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
11.	श्री प्रवीनचन्द्र जैन, भूतपूर्व सब रजिस्ट्रार, जयपुर।	69-74	16	21-7-78	पंजीयन कार्य में अनियमितता कर अपनी पत्नि को फायदा पहुंचाना	दोषी अधिकारी से चार्जशीट का उत्तर अपेक्षित होने पर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।
12.	श्री देवनारायण व्यास, भूतपूर्व तहसीलदार, उपनिवेशन।	74-77	17	30-5-78	गलत जांच की कार्यवाही कर अनुचित दबाव डालने संबंधी गलत विक्रय नामा पंजीयन करना।	दोषी अधिकारी को दी गई चार्जशीट का उत्तर अपेक्षित है।
13.	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, तहसीलदार, डीडवाना।	1974	17	19-7-78	लेवी के गेहूं की कीमत कृषकों को न देना।	दोषी अधिकारी को दिये गये नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर जिलाधीश नागौर से जवाब पर टिप्पणी चाही गई। जो अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
14.	श्री किशनसिंह शेखावत भूतपूर्व तहसीलदार, चुरू ।	73-74	16	3-2-78	राजकीय अनुदान राशि रुपये 1,35,611.50 को गलत रूप से दिलाने में सहयोग देना ।	जिलाधीश चुरू से जांच रिपोर्ट अपेक्षित हैं ।
		65-67	17	29-4-75	खाद्यान वितरण में अनियमितता	संयुक्त जांच के मामले में श्री नरेन्द्रसिंह, भूतपूर्व प्रवर्तन अधिकारी, सीकर को दिये गये नोटिस का जवाब अपेक्षित है। जिसके कारण मामला अभी तक विचाराधीन हैं ।
15.	श्री ओमसिंह, भूतपूर्व तहसीलदार, उदयपुरवाटी ।	1963	16	–	भूमि आवंटन में अनियमितता	श्री ओमसिंह, तहसीलदार पूर्व में राज्य सेवा से निस्कातित कर दिये गये थे परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा इनकी याचिका मंजूर कर लिये जाने के वापस सेवा में दिनांक——से लिया गया है। जिलाधीश झुंझुनु ने दिनांक 6-1-79 को दोषी अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा है जो उन्हें दिया जा रहा है ।

1	2	3	4	5	6	7
	उदयपुरवाटी	62-63	16	30-5-78	भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितता करना	दोषी अधिकारी को दी गई चार्जशीट का उत्तर अपेक्षित है।
	परबतसर	1975	16	12-2-79	बाढ़ सहायता राशि का गलत रूप से वितरण करना।	दोषी अधिकारी को दी गई चार्ज शीट का उत्तर अपेक्षित है।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बड़ी सादड़ी में एस. डी. ओ. कोर्ट

461. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) एस. डी. ओ. कोर्ट कायम की जाये इस संबंध में जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ का प्रस्ताव राज्य सरकार तथा राजस्व मण्डल को लम्बे समय पूर्व भिजवा दिया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर कब तक अपना निर्णय कर सकेगी ?

उत्तर

यह सही है कि बड़ी सादड़ी में एस. डी. ओ. कोर्ट कायम करने का प्रस्ताव जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ से 25-5-78 को प्राप्त हुआ था। बड़ी सादड़ी में उपखण्ड स्थापित करने का राज्य सरकार कोई विचार नहीं रखती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई के बन्धे

462. श्री सैयद मंजूर अली (सवाई-माधोपुर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल कितने सिंचाई बंधे हैं तथा इनसे जारी होने वाली नहरों की कुल कितने कि. मी. लम्बाई है ?

(2) नहरों की मुंडेरों की मरम्मत पर फी किलोमीटर सालाना कितना खर्चा निर्धारित है या अनुमानित है ?

(3) उक्त जिले के तमाम बन्धों, नहरों की मुंडेर की मरम्मत पर कुल कितना खर्चा सितम्बर, 78 से अब तक किया जा चुका है ?

(4) क्या यह खर्चा वर्कचार्ज से कराया गया है ? अगर नहीं, तो किस प्रकार खर्च किया गया है ? अगर मस्टरोल द्वारा किया गया है तो सूरखाल बन्धे की नहरों की मरम्मत की मस्टरोल की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर या अन्य उच्च अधिकारी द्वारा बन्धों, नहरों की मुंडेरों का मुआयना नहरों में पानी छोड़ने से पहले किया जाता है ?

(6) क्या सवाई माधोपुर जिले में उक्त प्रकार का मुआयना किया गया है ? अगर हां, तो किन तारीखों एवं किन अधि-

(92)

(श्री सैयद मन्जूर अली)

कारियों द्वारा रिकार्ड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही नहीं है कि जिला सवाई माधोपुर में वाकई सिचाई विभाग के उक्त बन्धों से जारी होने वाली नहरों की मुंडेरों की मरम्मत नहरों में पानी छोड़ने से पहले नहीं की गई और इस कारण बहुत सा पानी बरबाद हो गया, और तीसरी सिचाई के लिये बन्धें में पानी की कमी आ रही है ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कुल 108 सिचाई के बांध हैं, तथा इन बांधों से जारी होने वाली नहरों की कुल लम्बाई 839-45 कि. मी. हैं।

(2) नहरों की मुंडेरों की मरम्मत पर आश्यकतानुसार खर्च किया जाता है।

(3) उक्त जिले के तमाम बांधों एवं नहरों की मरम्मत पर कुल खर्चा सितम्बर 1978 से जनवरी 1979 तक 10,53644-99 रुपये हुआ है।

(4) यह खर्चा ठेकेदारों द्वारा एवं विभागीय श्रमिकों द्वारा करवाया गया है। सूरवाल बन्धे की नहरों को उक्त कार्य मस्टरोल द्वारा कराया गया है सूरवाल बंध व नहरों की मरम्मत की मस्टरोल की प्रतिलिपियां 'क' संलग्न की जा रही है।

(5) आवश्यकता पड़ने पर उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर बांधों एवं नहरों का निरीक्षण किया जाता है।

(6) सूची 'स" संलग्न है।

(7) सिचाई विभाग के बांधों की नहरों की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार पानी छोड़ने से पूर्व एवं बाद में भी किया जाता है। मरम्मत के अभाव के कारण पानी की कोई बरबादी नहीं हुई है और इस कारण तीसरी सिचाई में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है।

मस्टर रोल पार्ट–1 नं. 4479[क]

माह सितम्बर 1978 बन्ध सूरवाल कैनाल

पद	नम्बर नाम	पिता का नाम	निवास स्थान	दिवस	दर	रकम
डाबदुब्बी बनासंडा-करनर	1 श्री राजाराम	श्री पुनिराम	उडावला	24	6-00	144/-
बेलदार	2 श्री अमिदमोहम्मद	श्री अब्दुल्ला	स.माधोपुर बजरिया	24	6-00	144/-
,,	3 ,, हनुमान	,, किशना	मऊ	30	5-00	150/-
,,	4 ,, पूरनमल	,, गोपाल	,,	30	,,	150/-
;,	5 ,, गजानन्द	,, सूरजमल	,,	30	,,	150/-
,,	6 ,, गुलाबचन्द	,, अहमालाल	,,	29	,,	145/-
,,	7 ,, राजाराम	,, गोविन्द	,.	29	,,	145/-
,,	8 ,, लट्टू	,, बन्सीलाल	,,	29	,,	145/-
,,	9 ,, घनश्याम	,, सूरजमल	सोनोली	25	,,	125/-
,,	10 ,, भोम्पात्र	,, कोरपाल	मऊ	29	,,	145/-
,,	11 ,, प्रभू	,, किशना	,,	29	,,	145/-
,,	12 ,, सीताराम	,, किशना	,,	29	,,	145/-
,,	13 ,, कैलाश	,, कोरपाल	,,	29	,,	145/-
,,	14 ,, मोहनलाल	,, बजलाल	सूरवाल	29	,,	145/-
,,	15 ,, अलानुर	,, बादसा	,,	17	,,	85/-
,,	16 ,, रीताराम	,, पून्या	जडावला	6	,,	30/-
		योग:--		418		2138/-

मस्टरोल

पार्ट-I संख्या 4903 (क)

माह अक्टूबर 1978

जंगल सफाई एवं नाकाबन्दी बान्ध सूरवाल कैनाल

पद	नम्बर	नाम	पिता का नाम	निवास स्थान	योग हाजरी	दर	रकम
बेलदार	1	श्री हनुमान	श्री किसना	मऊ	31	5-00	155/-
,,	2	श्री राजाराम	,, पुनिराम	जडावला	31	,,	155/-
,,	3	,, राजाराम	,, गोविन्द	मऊ	31	,,	155/-
,,	4	,, रामस्वरूप	,, मोहनलाल	,,	31	,,	155/-
,,	5	,, भोलो	,, कोरपाल	,,	31	,,	155/-
,,	6	,, विलन्जी	,, रामपाल	,,	31	,,	155/-
,,	7	,, कैलाश	,, कोरपाल	,,	31	,,	155/-
,,	8	,, प्रभु	,, किसना	,,	31	,,	155/-
,,	9	,, कैलाश	,, कोरपाल	जडावला	31	,,	155/-
,,	10	,, गजानन्द	,, नानजी	मऊ	31	,,	155/-
,,	11	,, पूरनमल	,, गोपाल	,,	31	,,	155/-
,,	12	,, लटू	,, बन्सी	,,	31	,,	155/-
,,	13	,, मुन्शी	,, गोपाल	,,	31	,,	155/-
,,	14	,, भैरू	,, गोरधन	जडावला	31	,,	155/-
,,	15	,, रामकरण	,, हजारी	,,	31	,,	155/-
,,	16	,, रामू	,, सुरज्या	,,	30	,,	150/-
,,	17	,, सीताराम	,, पुनिराम	,,	28	,,	140/-
,,	18	,, लज्जल	,, मोती	के सरोदा	19	,,	95/-
,,	19	,, हजारी	,, माधो	जडावला	18	,,	90/-
				कुल योग	560/-		2000/-

सूची [ख]

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड, सवाई माधोपुर द्वारा
नहरों के निरीक्षण की सूची

दिनांक मय माह	निरीक्षण नहरों का
1	2
1-4-78	निरीक्षण नहरों का
2-4-78	,, ,,
6-4-78	,, ,,
7-4-78	,, ,,
8-4-78	,, ,,
9-4-78	,, ,,
13-4-78	सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखंड सवाई माधोपुर के साथ
27-4-78	,, ,,
मई 1978	
1-5-78	,, ,,
2-5-78	,, ,,
3-5-78	,, ,,
17-5-78	,, ,,
18-5-78	,, ,,
19-5-78	श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत्त जयपुर के साथ
20-5-78	निरीक्षण नहरों का
25-5-78	,, ,,
26-5-78	,, ,,
27-5-78	श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई जयपुर के साथ
28-5-78	निरीक्षण नहरों का
30-5-78	,, ,,
जून 1978	
1-6-78	श्रीमान् जिलाधीश सवाईमाधोपुर एवं अधिशासी अभियन्ता भवन एवं पथ सवाईमाधोपुर के साथ

1	2
2-6-78	अधीक्षण अभियन्ता सिचाई वृत्त जयपुर के साथ में
14-6-78	निरीक्षण नहरों का
19-6-78	,, ,,
20-6-78	,, ,,
जुलाई, 1978	
4-7-78	निरीक्षण नहरों का
8-7-68	,, ,,
9-7-78	,, ,,
13-7-78	,, ,,
14-7-78	,, ,,
15-7-78	,, ,,
17-7-78	श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सिचाई वृत्त जयपुर के साथ
18-7-78	निरीक्षण नहरों का
18-7-78	,, ,,
अगस्त, 1978	
13-8-78	निरीक्षण नहरों का
16-8-78	,, ,,
23-8-78	,, ,,
सितम्बर, 1978	
1-9-78	निरीक्षण नहरों का
2-9-78	,, ,,
3-9-78	,, ,,
9-9-78	,, ,,
27-9-78	,, ,,
अक्टूबर, 1978	
1-10-78	निरीक्षण नहरों का

1	2	
2-10-78	निरीक्षण नहरों का	
8-10-78	,,	,,
15-10-78	,,	,,
18-10-80	,,	,,
22-10-78	,,	,,
26-10-78	,,	,,
27-10-78	,,	,,
28-10-78	,,	,,
नवम्बर, 1978		
2-11-78	निरीक्षण नहरों का	
23-11-78	,,	,,
25-11-78	,,	,,
26-11-78	,,	,,
27-11-78	,,	,,

सहायक अभियन्ता सिंचाई उप-खण्ड, सवाई माधोपुर द्वारा नहरों के निरीक्षण की सूची

दिनांक एवं माह	निरीक्षण बन्ध व नहर	दिनांक एवं माह	निरीक्षण बन्ध व नहर
1-4-78	निरीक्षण बन्ध व नहर	13-7-78	निरीक्षण बन्ध व नहर
3-4-78	,, ,,	14-7-78	,, ,,
5-4-78	,, ,,	15-7-78	,, ,,
8-4-78	,, ,,	19-7-78	,, ,,
9-4-78	,, ,,	20-7-78	,, ,,
13-4-78	,, ,,	21-7-78	,, ,,
17-4-78	,, ,,	1-8-78	,, ,,
26-4-78	,, ,,	9-8-78	,, ,,
1-5-78	,, ,,	11-8-78	,, ,,
2-5-78	,, ,,	12-8-78	,, ,,
3-5-78	,, ,,	13-8-78	,, ,,
11-5-78	,, ,,	16-8-78	,, ,,
12-5-78	,, ,,	17-8-78	,, ,,
13-5-78	,, ,,	24-8-78	,, ,,
20-5-78	,, ,,	30-8-78	,, ,,
20-5-78	,, ,,	31-8-78	,, ,,
27-5-78	,, ,,	1-9-78	,, ,,
29-5-78	,, ,,	9-9-78	,, ,,
1-6-78	,, ,,	11-9-78	,, ,,
2-6-78	,, ,,	14-9-78	,, ,,
5-6-78	,, ,,	17-9-78	,, ,,
7-6-78	,, ,,	24-9-78	,, ,,
11-678	,, ,,	26-9-78	,, ,,
14-6-78	,, ,,	27-9-78	,, ,,
15-6-78	,, ,,	28-9-78	,, ,,
19-6-78	,, ,,	1-10-78	,, ,,
20-6-78	,, ,,	2-10-78	,, ,,
21-6-78	,, ,,	22-10-78	,, ,,
22-6-78	,, ,,	23-10-78	,, ,,
23-6-78	,, ,,	24-10-78	,, ,,
25-6-78	,, ,,	25-10-78	,, ,,
26-6-78	,, ,,	26-10-78	,, ,,
27-6-78	,, ,,	27-10-78	,, ,,
1-7-78	,, ,,	28-10-78	,, ,,
4-7-78	,, ,,	29-10-78	,, ,,
5-7-78	,, ,,	30-10-78	,, ,,
6-7-78	,, ,,	4-11-78	,, ,,
8-7-78	,, ,,	5-11-78	,, ,,
10-7-78	,, ,,	6-11-78	,, ,,
12-7-78	,, ,,	21-11-78	,, ,,
		25-11-78	,, ,,

वित्त निगम द्वारा चैम्बर श्राफ कामर्स के भवन में दी गई ग्रंशदान की राशि

463. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त निगम ने चैम्बर ग्राफ कामर्स के भवन में कार्यालय खोलने के लिए अपना अंशदान दिया है ? निगम चैम्बर भवन में अपना कार्यालय कब प्रारम्भ कर रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के बाद भी निगम अपने शाखा कार्यालय अलग से रखने का निर्णय ले चुका है और 'वन रूफ सर्विस' वाली सरकारी नीति के विरुद्ध कार्य किया है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम ने भूतपूर्व प्रबन्ध संचालकों तथा उनके बेटे-बेटियों के भवनों को ऊंची दरों पर किराये लेकर उनमें गेस्ट हाऊस अथवा कार्यालय खोल रखे हैं ? यदि हां, तो कब से कब तक और कितने किराये पर यह भवन लिए गये ?

(4) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों के निवास कार्यालय से दूर हैं उन्हें निगम ने आने जाने का मासिक भत्ता दे रखा है ? यदि हां, तो किन किन को कितना कितना भत्ता दिया जा रहा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम ने चैम्बर ग्राफ कामर्स के भवन में अपना कार्यालय खोलने के लिए कोई अंशदान नहीं दिया। अतएव चैम्बर भवन में निगमद्वारा कार्यालय प्रारंभ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) निगम की शाखा के इंचार्ज ही सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के उपनिदेशक (साख) भी है। अधिकतर स्थानों पर तो निगम ने अपना शाखा कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र भवनों में ही स्थानान्तरित कर लिये हैं एवं अन्य स्थानों पर स्थानीय सुविधानुसार ऐसा किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई मामला निगम के ध्यान में नहीं लाया गया, अगर लाया जायेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं, दूरी के आधार पर भत्ता नहीं दिया जाता। वाहन रखने पर भत्ता दिया जाता है, जिसके लिए संचालक मण्डल के दिनांक 15.12.72 के निर्णय के अनुसार ये भत्ते देय हैं।

राजस्थान नहर परियोजना के सीमेंट गोदामों पर मारे गये छापे

464. श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष में कुछ राजस्थान नहर परियोजना के सीमेंट गोदामों पर छापे मारे गये थे ? यदि हां, तो कहां कहां और किन किन गोदामों में सीमेंट

(श्री डूंगरराम पंवार)

कम या ज्यादा पाया गया ? कितना सेट (जुड़ा हुआ) पाया गया जिसमें कौन कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सी. ए. डी. आर. सी. पी. द्वारा पक्के खाने बनाये जा रहे हैं जो उनमें टाइल, ईंटें प्रयोग में लाई जा रही हैं ? वह घटिया किस्म की (पीली) लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या किसी उच्च अधिकारी द्वारा घटिया ईंटों के प्रयोग की जांच की गई ? यदि हां, तो कब और किस क्षेत्र में ?

(3) क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि घग्घर नहर द्वारा हो रही शेम की रोकथाम हेतु कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नहर परियोजना के गोदामों की माह जून, 1978 में चैकिंग कराई गई थी। जांच का कार्य तथ्यादेषण प्राधिकरण (Faet Firding Authority) को सौंप दिया गया है। विस्तृत जांच होने पर ही पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जांच पूर्ण होने पर ही होना सम्भव होगा।

(2) विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है।

(3) जी हां। डिप्रेशन्स में खड़े हुए पानी को निकाल कर सिचाई हेतु उपयोग में लेने की एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है इस योजना के क्रियान्वित होने पर शेम की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

कस्बा बीगोद में लोहे का उद्योग

465. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सदियों से कस्बा बीगोद में लोहे के उद्योग पर सैकड़ों परिवार जीवित हैं और दूर दूर तक यहां से बना सामान जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि अब तक इस उद्योग में लगे लोगों को उत्साहित करने तथा उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में इस उद्योग को गति देने के लिए शेड बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस मामले में प्रगति कहां तक हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। बीगोद जिला भीलवाड़ा में लुहार पुश्तैनी धन्धा कर रहे हैं और 100 परिवार लुहारी उद्योग में लगे हुए हैं, जो किसानों की घरेलू जरूरत की चीजें तथा

(उद्योग मन्त्री)

कृषि कार्य में काम आने वाली वस्तुएं बनाते हैं।

(2) जी नहीं। उद्योग विभाग द्वारा उन इकाईयों को कच्चा माल व वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। भूमि के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रयत्न राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किये जा रहे।

(3) जी हां। राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा शेड निर्माण नहीं किये जा रहे हैं, जिसमें निजी उद्यमी अपनी इकाईयां स्थापित कर सकेंगे।

भरतपुर जिले की सड़क निर्माण की राशि

466. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में 1978-79 के बजट प्रावधानों के अनुसार सड़कों पर होने वाले व्यय की राशि में से कोई धनराशि लेप्स हो रही है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करायेगी कि यह राशि अवधि के अन्दर उपयोग में क्यों नहीं आ सकी है और इसके लिए कौन कौन उत्तर-दायी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली नगर में रंगाई-छपाई उद्योगों से उत्पन्न जल प्रदूषण समस्या का निवारण

467. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली नगर में रंगाई-छपाई उद्योगों से उत्पन्न जल प्रदूषण समस्या का हल निकालने हेतु वर्तमान सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये और उसका क्या नतीजा रहा ? संक्षिप्त ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) यह समस्या कब तक व किस प्रकार हल कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) पाली नगर में जल-प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों और उसके नतीजे के संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस समस्या के समाधान हेतु पाली मण्डियां रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक सम्मलित उपचार संयंत्र की स्थापना की जारही है। यह संयंत्र लग-

(उद्योग मन्त्री)

भग एक वर्ष 6 माह में कार्य करना शुरु कर देगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर ने इस सम्मिलित उपचार संयंत्र के कार्य आदेश दिनांक 14-2-1979 को दे दिये हैं जिसकी कि मूल लागत करीबन 23 लाख रुपये होगा।

अन्य इकाइयां जो औद्योगिक क्षेत्र में नहीं हैं उनको राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल तथा निगम से तकनीकी परामर्श देकर स्वयं के संयंत्र लगाने हेतु कहा जा रहा हैं।

विवरण

1. वर्ष 1975 में राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल के गठन के पश्चात् पाली के विभिन्न उद्योगों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम, 1974 की जानकारी देते हुए दूषित जल बहाने के लिए मण्डल से सहमति प्राप्त करने के लिए लिखा गया।

2. उद्योगों को मण्डल द्वारा इस शर्त पर सम्मति प्रदान की गई कि उनके द्वारा एक निश्चित अवधि में दूषित जल की उपचार व्यवस्था करली जावेगी।

3. मण्डल द्वारा पत्र व्यवहार, मण्डल के अध्यक्ष, जिलाधीश पाली व सदस्य सचिव द्वारा विभिन्न बैठकों का आयोजन करके उद्योगों के प्रतिनिधियो से बातचीत की गई तथा उपचार व्यवस्था हेतु समझाया गया।

4. दूषित जल की उपचार व्यवस्था हेतु मण्डल द्वारा मार्ग-दर्शिका तैयार की गयी और उद्यमियों को उससे अवगत कराया गया।

5. माह नवम्बर, 1978 में जयपुर तथा पाली में उद्योग आयुक्त, जिलाधीश पाली, जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के तकनीकी अधिकारियों व इस क्षेत्र के विभिन्न उधमियों के मध्य एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उपचार व्यवस्था तथा नियमों आदि से उद्योगों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

6. जल प्रदूषण की समस्या के निवारण हेतु बनाये गये अधिनियम के उलंघन करने के कारण मैसर्स सुराना पेपर व बोर्ड मिल्स के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पाली के अन्य 96 उद्योगों के विरुद्ध मण्डल ने माह जनवरी व फरवरी में सम्पन्न

अपनी बैठक में अधिनियम की पालना न करने के कारण कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया हैं।

उपर्युक्त प्रयासों का नतीजा यह रहा कि :—

(क) अभी तक जिले की सबसे बड़ी मिल मैसर्स उम्मेद मिल पाली द्वारा उपचार व्यवस्था चालू की गई हैं और लगभग 8 अन्य लघु उद्योगों ने भी प्रारम्भिक उपचार व्यवस्था लगाने की दिशा में प्रगति की हैं।

(ख) जल प्रदूषण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने मण्डिया रोड पर एक तीसरा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे नगर के भीतर स्थित इकाईयां वहां पर स्थानां सकें। इस औद्योगिक क्षेत्र का स्थान नदी के समीप तथा एकान्त में होने के अतिरिक्त निगम द्वारा सम्बन्धित जल प्रदूषण संचार सन्यत्र लगाने का भी निश्चय किया तथा निगम ने इस सयत्र के कार्य आदेश भी जारी कर दिये हैं। इस संयत्र के लग जाने से समस्त दूषित जल का उपचार किया जाकर बांडी नदी में बहाव कर दिया जावेगा। इससे जल प्रदूषण की काफी समस्या हल हो जायेगी।

टोंक जिले में कृषकों को खेती के लिये दिये गये विद्युत कनेक्शन

468. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1). टोंक जिले में किसानों को खेती के लिए कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य गत दो सालों में रखा गया था उसमें कितने कनेक्शन दिये गये? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों को समय पर न्यू कनेक्शन व समय पर बिजली नहीं दी जाती है जिससे किसान परेशान हैं, रिश्वत देने को मजबूर हैं, और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार उन उत्तरदायी राज्य कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिनकी लापरवाही से यह राशि उपयोग में नहीं आ सकी ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो?

उत्तर

(1) टोंक जिले में किसानों को खेती हेतु कनेक्शन देने के दो साल के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न तालिका में दर्शाई गई है। तहसीलवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अतः तहसीलवारउपलब्धियां दर्शाई गई हैं :

वर्ष	टोंक जिले के लक्ष्य सं.	उपलब्धियां सं.	तहसीलवार उपलब्धियां (संख्या) तहसील टोंक	तहसील मालपुरा	तहसील टोडा-रार्यासिंह	तहसील उनियारा	तहसील निवाई	तहसील देवली
1977-78	220	257	39	56	6	18	123	15
1978-79 माह फरवरी 79 के अन्त तक केवल)	300	277	51	50	5	8	147	16

(2) कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन पूर्णतया प्राथमिकता (प्रायोरिटी) के आधार पर दिये जाते हैं। कभी कभी कृषकों द्वारा विभागीय नियमानुसार औपचारिकताएं समय पर न करने अथवा लाइन आदि का वांछित सामान समय पर उपलब्ध न होने के कारण कनेक्शन देने में विलम्ब हो जाता है। जिन अधिकारियों के खिलाफ लिखित में शिकायत प्राप्त होती है उस पर तुरन्त उचित कार्यवाही की जाती है।

मकराना की 132 के. वी. पेनल

469 श्री अब्दुल अजीज (मकराना) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे—

(1) मकराना में 132 के. वी. के पेनल व फीडर दिसम्बर, 78 व जनवरी, 79 में कितनी बार जल गए ?

(2) माह दिसम्बर, 78 एवं जनवरी 79 में कितने दिन बिजली की सप्लाई इण्डस्ट्रीयल परपज के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकी ?

(3) 132 के. वी. विद्युत स्टेशन, मकराना में कितनी रकम पेनल आदि पर दिसम्बर, 78 जनवरी व 79 में व्यय हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) मकराना 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन पर माह दिसम्बर 1978 एवं जनवरी 1979 में 132 के. वी. के कोई पेनल अथवा फीडर एक बार भी नहीं जला।

(2) माह दिसम्बर 78 व जनवरी 79 में मकराना ग्रिड सब स्टेशन पर 11 के. वी. के केबल बाक्सों और 11 के. वी. इनकमिंग पेनल के करन्ट ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी होने के कारण निम्नलिखित दिन और समय पर 11 के. वी. सप्लाई बन्द रही जिससे मकराना में इण्डस्ट्रीयल परपज के लिए बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।

क्र0सं0	विद्युत अवरोध की दिनांक तथा समय	बिजली बन्द रहने का कुल समय	टिप्पणी
1.	11.12.78 को 13.37 बजे से 13.12.78 को 13.05 तक	23 घण्टे 28 मिनिट	11 के. वी. इन-कमिंग फीडर के केबल बक्से के फट जाने के कारण
2.	4.1.79 को 10.37 बजे से 5.1.79 को 9.20 तक	22 घण्टे 4 मिनिट	11 के. वी. आउटडोर केबल बक्सा फट जाने के कारण
3.	9.1.79 को 14.30 बजे से 11.1.79 को 00.23 बजे तक	33 घण्टे 53 मिनिट	11 के. वी. इन-कमिंग पेनल के करन्ट ट्रांस-फार्मर खराब हो जाने के कारण
4.	21.1.79 को 12.45 बजे से 22.1.79 को 18.30 बजे तक	29 घण्टे 45 मिनट	11 के. वी. इन्डोर केबल बक्से के खराब हो जाने के कारण

(3) दिसम्बर 78 और जनवरी 79 में 11 के. वी. इन कमिंग केबल बाक्स की मरम्मत हेतु करीब 2000 रुपए खर्च हुए हैं। 11 के. वी. इनकमिंग पेनल में जो करन्ट ट्रांस फार्मर खराब हो गए मैसर्स जी. ई. सी. लिमिटेड द्वारा गारन्टी अवधि में खराब हो जाने के कारण बिना कीमत लिए बदला जा रहा है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 469 (89 सि. म.) का विवरण

माह दिसम्बर, 1978 तथा जनवरी, 1979 में मकराना ग्रिड सब स्टेशन के 11 ड. वी. केवल बाक्सों की मरम्मत करने पर किये गये व्यय का विवरण

माह दिसम्बर, 1978

दिनांक 11-12-78 को 11 के. वी. इनकमिंग पैनल का केवल बाक्स अचानक फट गया उसको खाली करवाकर वापिस तैयार करने में 50 किलो केवल कम्पाउन्ड एल्कापी ब्लैक इन्सूलेटिंग टेप (रोल्स) एम्पायर टेप (4 रोल) इत्यादि सामान की आवश्यकता पड़ी जिसकी कीमत 700/- रुपये के करीब है।

माह जनवरी, 1979

दिनांक 4-1-79 को इनकमिंग 11 के. वी. फीडर के आउटडोर केवल बक्से में से केवल कम्पाउन्ड लीकेज होने के कारण उसको साफ-साफ कराकर पुनः भराने में करीब 50 किलो केवल कम्पाउण्ड, 6 रोल्स एम्पायर टेप, 4 रोल ब्लैक इन्सूलेटिंग टेप (एच. टी.) की आवश्यकता पड़ी जिसे सामान की कीमत करीब 600/- रुपये के करीब है।

दिनांक 18/1/79 को के0 वी0 पैनल की सी0 टी0 को चैक करने के बाद वापिस एच0 टी0 टेप एम्पायर टेप लगाई जिसकी कीमत करीब 200/- रुपया है।

दिनांक 21/1/79 को 11 के0 वी0 इनकमिंग पेनल के केवल बक्से से कम्पाउण्ड लीकेज होने पर वापिस बक्सा तैयार करने पर करीब 500/- रुपए टेप आदि पर व्यय हुई। इसके अलावा 11 के. वी. इनकमिंग पेनल में जो सी0 टी0 खराब हो गई थी उसका रिप्लेसमेंट बिना किसी कीमत पर कम्पनी द्वारा [मैसर्स जी. ई. सी. लि.] कराया जा रहा है। क्योंकि 11 के0 वी0 के पेनल्स गारन्टी अवधि में खराब हुए हैं।

तहसील मांडल में ए. सी. एम. कोर्ट

470. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडल तहसील भीलवाड़ा जिले की सबसे बड़ी तहसील है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एस. डी. ओ., भीलवाड़ा में सबसे अधिक मामले मांडल तहसील के हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि मामलों की अधिकता के कारण जिलाधीश, भीलवाड़ा ने मांडल ए. सी. एम. कोर्ट कायम कराने के लिये राज्य सरकार को लिखा है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ऐसे मामलों को कब तक निपटायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से माण्डल तहसील का स्थान जिले में दूसरे स्थान पर हैं।

(3) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ग्राम मोरीजा की खानों का सर्वेक्षण

471. श्री आर. डी. यादव (चौमू) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने जयपुर जिलान्तर्गत मोरीजा ग्राम में खानों का सर्वेक्षण करवाया था ? अगर हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट पर अब तक क्या हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि मोरीजा खानों में लोहे की भारी मात्रा उपलब्ध है ? अगर हां, तो कितनी मात्रा है तथा उसका प्रतिशत क्या है ?

(3) क्या उक्त खान को अभी तक प्रारम्भ कर दिया गया है ? अगर हां, तो लीज किसको व किस दर पर दी गई है ? तथा अब तक ठेकेदार ने कितना मोह-पत्थर निकाला है ?

(4) क्या मोरीजा खान पर शुद्ध लोहा बनाने का मिनी स्टील कारखाना लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) हां, मोरीजा ग्राम जिला जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में राज्य के खान एवं भू विज्ञान द्वारा सन् 1954-55, 55-56 व 64-65 में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया गया था इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मिनी स्टील प्लान्ट लगाने के प्रस्ताव राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर द्वारा अनार्थिक पाये गये है।

(108)

(खनिज मन्त्री)

(2) नहीं, मोरीजा क्षेत्र में लोह वयस्क के सीमित भण्डार है। इस क्षेत्र में लगभग 32 लाख टन लोह खनिज के भण्डार विभागीय सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित किये गये है जिसमें लोहे की मात्रा 60% औसतन है।

(3) मोरीजा क्षेत्र में खनन पट्टे श्री दामोदर खण्डेलवाल को क्रमशः दिनांक 12/5/54 व 1/12/55 से 20 वर्ष के लिये दिये गये थे। जिसमें विभागीय अभिलेख के अनुसार 1966 से 1970 तक खनिज 3799 30 टन उत्पादन किया था। मोरीजा क्षेत्र में एक खनन पट्टा 1977 से व दूसरा 1979 से श्री नन्दलाल अग्रवाल के पक्ष में स्वीकृत होकर प्रभाव में आये है। जिन पर स्थिर भटक की दर एम. एम. आर. डी. एक्ट 1957 की तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार है। सन 1977 से प्रारम्भ होने वाले लीज क्षेत्र में अब तक कुल खनिज 221 टन उत्पादित किया गया है।

(4) नहीं। क्योंकि (अयस्क) में सर्वेक्षण के आधार पर लोह की मात्रा केवल 60% पाई गई है जबकि मिनी स्टील प्लान्ट लगाने के लिये 65% मात्रा लोहे की होना आवश्यक है जैसा कि आर आई. एम. डी. सी. द्वारा और प्रिपिजीफिबालिटी रिपोर्ट में मत दिया गया है।

राजस्व न्यायालयों के विस्तार की योजना

472. श्री हरसहाय (लालसोट) श्री रामकिशोर मीणा (सकराय) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व न्यायालयों के विस्तार हेतु राज्य सरकार के समक्ष कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्तर पर।

(2) क्या राज्य सरकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यालय तहसील में पृथक् स्थानों पर चलाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो इस पर कब से अमल हो सकेगा?

(3) लालसोट तहसील जिला जयपुर में नायब तहसीलदार कार्यालय किस स्थान पर खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(4) अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्डनायक, बांदीकुई का कैम्प कोर्ट दौसा के बजाय लालसोट में होने के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं?

उत्तर

(1) जी नहीं। कुछ नई उपतहसीलें स्थापित करने एवं कुछ उप खण्डधिकारियों के मुख्यालय पर जिन सहायक जिलाधीशों के न्यायालयों को उपखण्ड के अन्य कस्बे में स्थानान्तरित करने की योजना को छोड़कर अन्य राजस्व न्यायालय को विचार हेतु कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां, हाल ही में दिनांक 26-2-79 को एक अधिसूचना 26 नई उप तहसीलें, तहसील कार्यालय से पृथक स्थानों पर चलाने हेतु जारी की गई है कुछ और नई उप तहसीलें स्थापित करने का भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

(4) बांदीकुई में अतिरिक्त जिलाधीश एवं दण्डनायक का पद नहीं हैं, बल्कि सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक हैं। फिलहाल लालसोट के मुकदमें उपखण्ड अधिकारी दौसा सुनते हैं। दौसा लालसोट के निकट है इन परिस्थितियों में सहायक कलक्टर बांदीकुई का अलग से कैम्प कोर्ट लालसोट में करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

मेड से मनोहरपुर सड़क का निर्माण कार्य

473. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा-रामगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेड से मनोहरपुर रोड का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था ?

(2) क्या इस रोड को कृषकों की जमीन रोकने व आवागमन को बन्द करने के लिये बनाया गया है ?

(3) कितनी बार इस रोड कार्य चालू किया गया है ?

(4) क्या अब यह कार्य पूर्ण कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) मेड से मनोहरपुर कोई रोड स्वीकृत नहीं है अतः कार्य शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मगर अप्रोच रोड खोड़ा साखावानो सन 74-75 में स्वीकृत है जिस पर कार्य चालू है।

(2) जी नहीं।

(3) इस रोड के नाम से कोई कार्य नहीं चलाया गया है।

(4) मेड से मनोहरपुर रोड अभी तक स्वीकृत ही नहीं है। किन्तु पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है।

राज्य से बाहर दूध ले जाने पर लगाई गई पाबन्दियां

474. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य से दूध बाहर जाने पर जो पाबंदी लगाई गई उसकी क्या वजह थी ?

और इस पाबन्दी से क्या जनता व दूध के मवेशी पालने वालों को लाभ मिला ? अगर हां, तो क्या ? क्या यह केवल बड़ी कम्पनी

(श्री जगदीश सिंह)

डालमिया को फायदा पहुंचाने के लिए ही दूध राज्य से बाहर जाने पर पाबन्दी लगाई गई ?

उत्तर

दूध उत्पादन कम होने व ठेकेदारों द्वारा दूध राज्य से बाहर भेजने से उत्पादकों का शोषण रोका जाए व उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर दूध उपलब्ध हो, इन बातों को ध्यान में रख कर यह पाबन्दी लगाई गई, इससे उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को लाभ हुआ डालमिया डेयरी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह पाबन्दी नहीं लगाई गई।

केमिस्ट का रजिस्ट्रेशन

475. श्री रघुनन्दन व्यास (सीरोही): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कुल कितने केमिस्टों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ? दि. 31-8·78 तक तीस रुपये फीस लेकर लगभग दस हजार केमिस्टों के प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त किए थे और जो आज भी गांवों में कार्यरत हैं ?

(2) फार्मेसी एक्ट के तहत परमिशन एवं रजिस्ट्रेशन क्या बेकारी पैदा नहीं करता है ? यदि हां, तो क्या अनुभव के आधार पर राज्य सरकार केमिस्टों को लाइसेंस देने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 30 के अन्तर्गत राजस्थान फारमेलिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 23-2-1975 तक रजिस्ट्रेशन हेतु 2194 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 4876 का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। और शेष 4248 प्रार्थना पत्र रद्द कर दिये गये।

धारा 32 बी-1 के अन्तर्गत 31-8-78 तक 1652 प्रार्थना पत्र राजस्थान फार्मेसी कोंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त हुए जिनमें से 215 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। शेष विचाराधीन है।

जी नहीं।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ जोधपुर में हुई हड़ताल

476. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर में इस वर्ष कर्मचारियों ने हड़ताल किन कारणों से की व हड़ताल कितने दिनों तक रही ? हड़ताल के दिनों में संघ को प्रति दिन कितना आर्थिक नुकसान हुआ और इन दिनों में पशु मालिकों को जो नुकसान हुआ उसके लिए राज्य सरकार उसे पूरा करने के लिए क्या विचार कर रही है ?

(2) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर में कार्य प्रारम्भ करने के समय

(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रति किलो फेट क्या दर थी व आज क्या दर है ? इस दर के मुकाबले दूसरे राज्यों–हरियाणा व पंजाब में प्रति किलो फेट क्या दर है ? यदि इनकी दर अधिक है तो राज्य सरकार इन राज्यों के मुकाबले दर बढ़ाने हेतु क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ जोधपुर में माडल स्टेण्डीग आर्डस लागू करने 17 दिन तक हड़ताल रही, उस अवधि में संघ को लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है व पशु पालकों को कोई हानि नहीं हुई है ?

(2) कार्य प्रारम्भ करते समय गाय व भैंस के दूध के भाव क्रमश: 80 पैसे व एक रुपये प्रति किलो का था । व वर्तमान में 4-5 प्रतिशत बसा पर 2 रु. 5 से 6.5 प्रतिशत बसा पर 27 रु. प्रति किलो है उसके मुकाबले में हरियाणा व पंजाब में क्रमश: रु0 28-70 व 27-50 रु0 प्रति किलो वसा है । इस प्रकार से जोधपुर संघ जहां अधिकांश दूध गाय का होता है दरे पजाब व हरियाणा के मुकाबले कुछ अधिक है ।

जनाना अस्पताल की लिफ्ट पर हुआ खर्च

477. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल, जयपुर में लिफ्ट लगी हुई थी ? यदि हां, तो यह लिफ्ट कब लगी और इस पर कितना खर्चा आया एवं अब तक कितना-कितना रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च किया गया है ? कृपया वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त लिफ्ट इस समय कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो कब से कार्य नही कर रही है ?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल जयपुर में 1931 में एक लिफ्ट लगी थी जिसको 1971 में बाद जांच उम्र पूरी हो जाने के कारण खारिज कर दी गई है । इसे मौके पर से हटवाना अभी बाकी है । वर्ष 1971 में एक नई लिफ्ट एवं खुर्रा 1,19,000 रुपये में सरकार ने स्वीकृत किया गया तथा कार्य पूर्ण किये गये । नई लिफ्ट पर 48.000/- रुपये एवं खुर्रे पर 71,000/- रुपये खर्च हुए हैं।

1971 में लगी इस नई लिफ्ट पर मरम्मत का अब तक निम्न खर्चा आया है ।

1 1977-78–414.49

2 1978-79–289 10

(2) वर्तमान में यह नई लिफ्ट संतोष प्रद कार्य कर रही ।

सूरतगढ़ तहसील में सैनिक छावनी के लिये अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा

47?. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)

(श्री गुरुशरण छाबडा)

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) सूरतगढ़ तहसील की कितनी भूमि सैनिक छावनी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवाप्त की गई।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा इसका मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है? यदि नहीं तो देरी का क्या कारण है? यह मुआवजा शीघ्र देने के लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर ही?

उत्तर

(1) सैनिक छावनी के लिए तहसील सूरतगढ़ में 3685.25 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है।

(2) जी नहीं। अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। उक्त भूमि का एस्टीमेट मिट्टी अथारिटी गंगानगर को भेजा हुआ है। अभी तक वहां से मुआवजा की राशि प्राप्त नहीं हुई है इस कारण से मुआवजा नहीं दिया गया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को दिये गये खनन पट्टे

479. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की निति के अनुसार निश्चित प्रतिशत में खनन पट्टे अनुसूचित जाति एवं जन जाति (हरिजनों) को देना अनिवार्य है? यदि हां, तो अब तक कुल कितने खनन पट्टे सम्पूर्ण राज्य में स्वीकृत किये गये हैं।

(2) क्या सभी स्वीकृत खनन पट्टेधिकारियों से संविदा सम्पादित करवाली गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या कारण है?

(3) क्या झुन्झुनू के मोड़िया पहाड़ के खनन पट्टाधारी हरिजनों से संविदा सम्पादित करवाली गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसके क्या कारण है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की निति के अनुसार खनन पट्टे देने में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता में अधिकार है जैसा कि राजस्थान माइनर मिनरल कन्सेशन नियम 1977 के नियम 7 (3) (2) एवं नियम 29 (I) (II) में प्रावधान है वर्ष 77-78 एवं वर्ष 78-79 में फरवरी समाप्ति तक 1917, 2114 क्रमशः पटटे आर सी आर एस के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के आवंटित किये गये हैं।

(2) खनन पट्टों की स्वीकृतियां समय समय पर निकलती रहती है और संविदा निष्पादन करने के लिये निश्चित अवधि दी जाती है।

(खनिज मन्त्री)

(3) मोड़िया पहाड़ में निम्न व्यक्तियों के जो जाति से चमार है संविदा निष्पादन नहीं किया गया है।

1. श्री राधेश्याम चमार पुत्र श्री श्रीराम चमार द्वारा रमेशचन्द्र सुरेशचन्द्र बालटेक्स ऐजेन्ट स्टेशन रोड़ झुन्झुनूं जिनको मोड़िया पहाड़ में 150×75 वर्ग मीटर का एक प्लाट स्वीकृत है।

2. श्री श्रीराम चमार पुत्र हनुमानाराम द्वारा फूलचन्द्र मदनलाल खेतान खेतानों का मोहल्ला झुन्झुनूं जिनको मोड़िया पहाड़ में 100×90 वर्ग मीटर का एक प्लाट स्वीकृत किया गया है। क्योंकि इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर मामला विचाराधीन है।

जयपुर व कोटा जिले में गंगानगर शुगर मिल को दिये गये शराब के ठेके

480 श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) — क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने जयपुर व कोटा जिलों में शराब के ठेके गंगानगर शुगर मिल को दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकों से गंगानगर शुगर मिल को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

(3) जयपुर व कोटा शराब के ठेके गंगानगर शुगर मिल को देने से पूर्व ठेकेदारों को कितनी किमत में दिया गया था ?

(4) क्या सरकार नुकसान के कारणों की जांच कर दोषी अधिकारियों को दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस वर्ष में पूर्ण नशाबदी कर देगी।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) वर्ष 1977-78 में जयपुर शहर व कोटा शहर की देशी मदिरा की दुकानें क्रमशः 2,05,81,881-99 व 86,51 526/- रुपयों में अनुज्ञाधारियों को ठेके पर दी गई थी।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य में पन्ने की खानें

481. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(1) राजस्थान में पन्ने की कितनी खाने हैं तथा उनमें से प्रत्येक में 1975-76 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 में कितना उत्पादन हुआ और उससे राज्य सरकार को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार का पन्ने की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार ने पन्ने का उत्खनन बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उस पर कब से अमल शुरू होगा ? उस योजना को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) श्री के. डी. शुक्ला के नेतृत्व में नियुक्त, बहुमूल्य रत्नों सम्बन्धी केंद्रीय टेकनिकल प्रोग्राम बोर्ड की रिपोर्ट की जानकारी क्या राज्य सरकार को है ? यदि हां, तो पन्ने का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी उसकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में पन्ने के 12 चालू खनन पट्टे हैं जिनकी सूची संलग्न है। प्रत्येक पट्टे में वर्ष 75-76 से 78-79 तक जो उत्पादन हुआ वह भी इस सूची में अंकित है। उत्पादित पन्ने की निलामी नहीं होने से रायल्टी की आय नहीं हुई है।

(2) राज्य सरकार का पन्ने की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का ईरादा नहीं है।

(3) पन्ने का उत्खनन बढ़ाने की कोई योजना राज्य सरकार ने तैयार नहीं की हैं।

(4) यह रिपोर्ट केवल पन्ने के जाने हुये डिपोजिट की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के विषय में है और उस पर जियोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया स्वयं कार्य करेगा। उसमें सम्य का खनिज विभाग भी सहयोग देगा।

राजस्थान की पन्ने की खानों का विवरण

क्र. सं.	नाम पट्टाधारी	पट्टे की स्थिति निकट ग्राम	जिला	क्षेत्र	अवधि	उत्पादन (कि.ग्राम) 1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	रोयल्टी का वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री कन्हैयालाल छंगाणी	तीखी	उदयपुर	60·70 हे.	8-5-72 से 20 वर्ष	0-193	—	—	—	अभी तक कोई
2.	मैं. राज मिनरल्स	रत्ना का गुढा	,,	129·50 हे.	27-11-73 से ,,	—	—	—	—	निलामी इस
3.	सेठ पुसा लाल मानसिहका	तीखी	,,	830 एकड	25-10-70 से ,,	—	—	—	—	उत्पादित पन्ने
4.	मैं. एस. गुप्ता एण्ड कम्पनी	काला गुमान	,,	378 ,,	1-10-57 से ,,	3·937	0·155	0·535	3·381	की नहीं होने
5.	मैं. लिये मिनरल्स	डाबकुरिया	,,	37·37 हे.	12-7-67 से ,,	—	—	—	—	से रायल्टी की
6.	श्री घासीलाल जैन	कालागुमान	,,	170·98 हे.	20-5-71 से ,,	—	—	0·200	—	प्राय नहीं हुई
7.	श्री मथुरालाल टोंक	,,	,,	146·42 हे.	5-4-76 से ,,	—	—	—	—	है।
8.	श्री पुखराज बोहरा	अलादरी	,,	32·37 हे.	16-11-76 से ,,	—	—	—	—	
9.	श्री अम्बिका अरावली मिनरल्स	गांव गुडा	,,	154·51 हे.	6-8-77 से ,,	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	श्री मै. आर. वी. सेठ मूलचन्द नेमीचन्द	राजगढ	अजमेर	362 बीघा 3 बीस्वा	28-2-75 से ,,	0·65	—	—	—	
11.	श्री मन्नालाल सुराना	बुवानी	,,	5·63 हे.	2-11-74 से 20 वर्ष	0·370	—	—	5·081	
12.	श्री हुक्मीचन्द जैन	राजगढ घाट	,,	71·23 हे. (अध्यापर्ण किया 27-24 हे.) एमल्ड का समावेश 29-12-77 से किया गया है।	30-12-74 20 वर्ष	—	—	—	—	
						4·565	0·155	0·735	6·462	

117

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से राज्य के विकास हेतु वित्तीय सहायता

482. श्री नूरा (मसूदा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राज्य सरकार को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से राज्य के विकास के लिए किन्ही अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई वित्तीय सहायता राजस्थान के निर्माण के बाबत मिली है ? यदि हां, तो यह वित्तीय सहायता किन-किन संस्थानों से कब कब कितनी कितनी और किन किन योजनाओं के लिए मिली है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वित्तीय सहायता अलग अलग कितनी कितनी राशि कर्जे के रूप में मिली है और किन ग्रान्ट के रूप में ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार को कोई वित्तीय सहायता परोक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुई है। विश्व बैंक तथा कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत सरकार को राजस्थान राज्य के कुछ कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त होती हैं और तत्पश्चात भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होती है। विभाग एवं योजनावार सूचना संलग्न है। राजस्थान नहर परियोजना पर कार्यरत श्रमिकों में वितरण हेतु खाद्यान्न (घी, बटर, आयल, दुग्ध, चूर्ण, बीन्स आदि) निशुल्क सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं जो श्रमिकों को बाजार भाव से आधी दर पर बेचा जाता है। इस योजना के तहत जो सहायता प्राप्त हुई उसकी सूचना संलग्न हैं।

(2) यह सूचना संलग्न सूची दर्शाई हुई है।

1. 'यूनिसेफ' द्वारा हस्तचलित नल कूपों के नवीनीकरण हेतु 6 लाख रुपये की राशि इस वर्ष अपरोक्ष रूप से भूजल विभाग को प्राप्त हुई है।

2. 'ब्रिटिश ऐड स्कीम' के अन्तर्गत भारत सरकार को मिली सहायता में से भारत सरकार ने ग्रामीण को तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नसबदी सुविधाओं का विस्तार करने हेतु स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में तालुका स्तर पर 11 अस्पतालों तथा ब्लाक स्तर पर 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चयन कर 18,20,000 रुपये के प्रावधान की स्वीकृति दी है। वर्ष 1977-78 में 17 तालुका स्तर के अस्पतालों व 35 ब्लाक स्तर के प्रा.स्वा. केन्द्रों के लिये 25,95,500 रुपये स्वीकृत किया गया।

3. वर्ष 78-79 में ब्लाक स्तर पर 14 प्रा. स्वा. केन्द्रों का चयन किया गया जिसके लि भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के आधार पर 2,80,000 रुपये की राशि की स्वीकृति वांछनीय है। यह राशि भारत सरकार से ग्रान्ट के रूप में प्राप्त होती है।

(118)

वित्तीय सहायता की विभाग एवं योजनावार सूची

विभाग एवं योजना का नाम	सूचना
1. सूखा सम्भावित क्षेत्र परियोजना विभाग	राज्य में सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर एवं नागौर जिलों हेतु माह जनवरी 75 से जून 1980 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक से सहायता मिल रही है। यह सहायता राजस्थान सरकार को सीधे प्राप्त नहीं होती है। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कुल 6.30 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है। माह दिसम्बर 78 तक 217 46 लाख रुपये तथा 594216.30 अमेरिकन डालर के दावे भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।
2. राजस्थान नहर एवं चम्बल क्षेत्रीय विकास परियोजना	राजस्थान नहर परियोजना तथा चम्बल परियोजना के सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु विश्व बैंक से भारत सरकार को क्रमशः 830.00 लाख डालर तथा 520.00 लाख डालर की राशि स्वीकृत हुई है। यह राशि वर्ष 1974-75 से 1980 तक उपयोग करने हेतु भारत सरकार को ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। माह दिसम्बर, 78 तक राजस्थान नहर परियोजना एवं चम्बल परियोजना के अन्तर्गत क्रमशः 1495.58 लाख रुपये के एवं 1127.31 लाख रुपये के पुनर्भरण दावे भारत सरकार को भिजवाये जा चुके हैं।
3. राजस्थान नहर परियोजना विभाग	विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों की सहायता अक्टूबर 1968 में प्रारम्भ की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य स्थिति विषम होने के कारण अक्टूबर 73 से नवम्बर 75 तक उक्त सहायता बन्द रही। दिसम्बर 75 से इस परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ हुआ जिसकी अवधि 31 मई 1979 तक है। उपरोक्त सहायता निःशुल्क प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों की बिक्री से राज्य सरकार को दिसम्बर 78 तक 280.35 लाख रुपये की आमदनी हुई है।

4. राजस्थान कोपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड — राजस्थान डेयरी विकास परियोजना के अन्तर्गत 22.16 करोड़ रुपये का ऋण विश्व बैंक से भारत सरकार को प्राप्त होना है। भारत सरकार से राजस्थान के निम्न कार्यों के लिये लिखी राशि प्राप्त हुई हैं :—

परियोजना	माह सितम्बर 1978 तक (अंश रुपये)
1. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त डेयरी विकास योजना	339.01 लाख
2. डेनिश सरकार से सहायता प्राप्त योजना	3.50 लाख

गजनेर वाइल्ड सैन्च्यूरी के सुरक्षित जंगली जानवरों से क्षति

483. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को गजेनेर वाइल्ड लाईफ सैन्च्यूरी के सुरक्षित जंगली जानवरों से आस-पास के ग्रामीणों को शारीरिक खतरा व कृषि नुकसान होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो बचाव व सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं और क्या वे कारगर साबित हुए हैं?

(2) क्या राज्य सरकार इस सेन्च्यूरी का विकास घाना सेन्च्यूरी के तरीके पर करना चाहती है? यदि हां तो इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को जंगली सूअरों द्वारा कृषि भूमि को क्षति पहुंचाने की शिकायतें प्राप्त हुई है। खेती के बचाव के लिए नुकसान पहुंचाने वाले सूअरों को मारने के आदेश दिये गये थे।

(2) इस क्षेत्र का विकास घना के तरीके पर करना सम्भव नहीं है क्यों कि गजनेर एक मरुस्थलीय पारिस्थिति-तन्त्र है जिसके अनुरूप इसका विकास किया जा रहा है।

आयुक्त, वाणिज्य कर के कार्यालय में अधीक्षक पद

484. श्री सूरजपाल सिंह (भीननाल): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वाणिज्य कर विभाग में स्टेनोग्राफर, कार्यालय अधीक्षक एवं कार्यालय सहायक के रिक्त पदों के एवं स्थायीकरण के सम्बन्ध में डी.पी.सी. अब तक न बैठाये जाने का क्या कारण है जबकि वरिष्ठ अधी-

(वित्त मन्त्री)

क्षक 31-3-79 को राज्य सेवा से निवृत हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वाणिज्य आयुक्त महोदय के कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक का पद प्रथम श्रेणी का है जबकि उसके स्थान पर द्वितीय श्रेणी का कार्यालय अधीक्षक कार्य कर रहा है ?

(3) आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अगर प्रथम श्रेणी का कार्यालय अधीक्षक नहीं है तो द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठतम कार्यालय अधीक्षक को प्रथम श्रेणी के कार्यालय अधीक्षक के पद पर न लगाने का क्या कारण था ?

उत्तर

(1) वाणिज्यिक कर विभाग में स्टेनोग्राफर प्रथम श्रेणी का पद रिक्त नहीं है। इसके लिए डी.पी.सी. बैठाये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कार्यालय अधीक्षक द्वितीय श्रेणी एवं कार्यालय सहायक के रिक्त पदों के लिए डी. पी. सी. बैठाई जा चुकी है तथा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी के लिये डी.पी.सी. बैठाई जा चुकी है। कार्यवाहक कार्यालय अधीक्षक द्वितीय श्रेणी एवं कार्यालय सहायकों का स्थाईकरण किया जा चुका है।

(2) जी हां।

(3) वाणिज्यिक कर विभाग में कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी कोई भी नहीं होने के कारण, कार्यक्षमता के अनुसार योग्य व्यक्ति को लगाना आवश्यक था।

मनोहरथाना दुर्ग को वन विभाग को देना

485. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) मनोहर थाना दुर्ग को वन विभाग को दिये जाने के बाबत राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा आगे क्या करने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किला जो कि चारों ओर दोहरे कोट से बना हुआ है और जिसके दोनों किनारों पर दो नदियां बहती हैं तथा जिसमें सैकड़ों बीघा भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उस पर नर्सरी स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग रिक्त भूमि पर लाखों रुपया व्यय कर के पेड़ लगाने का कार्यक्रम चला रहा है ? यदि हां, तो इस सुरक्षित स्थान पर यह कार्य प्रारम्भ करने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) मनोहरथाना दुर्ग वन विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये जिलाधीश झालावाड़ से निवेदन किया गया है। अभी यह दुर्ग राजस्व विभाग के अधिनस्थ है।

(वन मन्त्री)

(2) जी हां, दुर्ग के 167 बीघा 7 बिस्वा क्षेत्र में केवल 8 बीघा क्षेत्र वृक्षारोपण के योग्य है जिसके वन विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त उसमें अस्थाइ पौधशाला बनाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां, इस क्षेत्र के वन विभाग में हस्तान्तरण होने के उपरान्त वृक्षारोपण कार्य कराया जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-79)

ग्राम पंचायत, रावतभाटा में नये बाजार की योजना

240. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत रावतभाटा, तहसील बेगू में नया बाजार बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन हैं? अगर हां, तो कब से?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बाजार हेतु कोई धनराशि इस वर्ष सड़कें नालियां एवं अन्य विकास हेतु रखने का विचार रखती है? अगर हां, तो कितना?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना 3 जनवरी सन् 1975 को राजस्थान राज-पत्र में घोषित की गई थी।

(2) जी नहीं। बाजार में प्लाटों के आगमन से प्राप्त धनराशि विकास हेतु लगाने की योजना है।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न सं. 510 की सूची 'अ'

देवस्थान विभाग के द्वारा प्रबन्धित बूंदी जिले में
राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्मनिर्भरों की सूची

राजकीयप्रत्यक्ष प्रभार

1 मंदिर श्री रंगनाथ जी, बूंदी
2 मंदिर श्री गोपाल लाल जी, बूंदी
3 मंदिर श्री चारभुजा जी, बूंदी
4 मंदिर श्री अखाड़ा हनुमानजी, बूंदी
5 मंदिर श्री हरिजन मंदिर, बूंदी
6 मंदिर श्री सतूर माता जी, सतूर
7 मंदिर श्री रंगनाथ जी, नैनवा
8 मंदिर श्री केशवराय जी, केशवराय पाटन

राजकीय आत्मनिर्भर

1 मंदिर श्री पिताम्बर राय जी, बूंदी
2 मंदिर श्री गोविन्दनाथ जी, बूंदी
3 मंदिर श्री हनुमान जी व धर्मशाला, बूंदी
4 मंदिर श्री अस्थल नौ लखा जी, बूंदी
5 मंदिर श्री राधा दामोदर जी बूंदी
6 मंदिर श्री गोकुलचन्द्रमा जी, बूंदी ।

सूची 'ब'

आत्मनिर्भर मंदिरों के बजट में मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत बजट राशि की सूची।

1	मंदिर श्री द्वारकाधीश जी एवं नवनीत प्रिया जी, झालावाड़।	1300-00
2	मंदिर श्री रुपाबाई जी, झालावाड़	800-00
3	मंदिर श्री बाला जी खेजड़ी, मंगलपुरा झालावाड़।	175-00
4	मंदिर श्री गिरिराज जी, झालरापाटन	40-00
5	मंदिर श्री मेड़तनी जी, झालावाड़	50-00
6	मंदिर श्री हनुमान जी, धर्मशाला बूंदी	10,500-00
7	मंदिर श्री गोविन्दा नाथ जी, बूंदी	—
8	मंदिर श्री कल्याण राय जी, बांरा	500-00
9	मंदिर श्री पदमनाथ जी, जालरापाटन	250-00

रूप. गौड़

कोटा जिले में राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की सूची वर्ष — 1978-79

1	मंदिर श्री गोपाल जी, बूंदी	25,000-00
2	मंदिर श्री रामचन्द्र जी, लाड़पुरा कोटा	20,000-00
3	मंदिर श्री डाडदेवी माताजी, कोटा	4,000-00
4	मंदिर श्री बाला जी, रंगवाड़ी	1,000-00
5	मंदिर श्री बाबा जी राज पृथ्वीसिंह जी मांगरोल।	10,000-00
		60,000-00
	इक्जाई राशि सहायक आयुक्त कोटा को छोटी 2 मरम्मत हेतु।	1,000-00
	योग :-	61,000-00

(24)

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न सं. 512 की सूची

पिड़ावा तहसील में 22 जून 77 से 10-2-79 तक निम्नलिखित तहसीलदार व नायब तहसीलदार जिलाधीश के आदेशों से कार्यरत रहे उनकी सूची:–

तहसीलदार

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद स्थापना	कब से	कब तक
1	श्री गुलाबचन्द विजय	पिड़ावा	22-6-77	23-7-77
2	श्री मदनलाल जोशी	,,	24-7-77	22-10-77
3	श्री वन्शीधर यादव	,,	22-10-77	11-6-78
4	श्री भवानीसिंह	,,	12-6-80	24-10-78
5	श्री रामनारायण पारेता	,,	25-10-78	27-11-78
6	श्री मीठूराम मीणा	,,	12-11-78	27-11-78
7	श्री मगनसिंह चौधरी	,,	1-12-78	निरन्तर

नायब तहसीलदार

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद स्थापना	कब से	कब तक
1	श्री मदनलाल जोशी	पिड़ावा	22-6-77	5-9-78
2	श्री किशनलाल त्रिवेदी (भू0अ0निरी0)	,,	10-5-78	14-5-78
3	श्री भवानीसिंह	,,	15-5-78	24-10-78
4	श्री रामनारायण पारेता	,,	25-10-78	11-11-78
5	श्री मीठूराम मीणा	,,	12-11-78	15-11-78
6	श्री शिराजुद्दीन (आफिस कानूनगो)	,, ,,	16.11.78	27.11.78
7	श्री मीठूराम मीणा	,,	21.11.75	10.2.79

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न सं. 513 की सूची

तहसील पिड़ावा में धारा 19 के तहत विचाराधीन मामले दिनांक 20-3-79 तक

क्र.		उनवान	ग्राम	म.नं.	रकबा	विशेष विवरण
1		2	3	4	5	6
1	सरकार बनाम	श्री प्रद्युम्न कुमार पुत्र विरदी चन्द्र जैन पिड़ावा	पिड़ावा	1312	।)2	पुराना
2	,,	जलदाय विभाग पिड़ावा	,,	200 202	।)2 ॥)3	
3	,,	प्रद्युम्न कुमार पुत्र विरदी चन्द जैन पिड़ावा	,,	1312	।)2	नया
4	,,	शिवमाल पुत्र पूरा लाल सुनार	मोलाई	1088	।।।)	
5	,,	करणसिंह पुत्र सूरसिंह राजपूत	घारपारदुई	427	)2	
		तहसील	उदयल्याखेड़ी	24	212	
7	,,	दुर्वेसिंह पुत्र राजपूत	,,	35	।।।)	
8	,,	भवर लाल पुत्र नन्दा धाकड़ निवासी गड़िया		78	2)।	
9	,,	किशनलाल पुत्र हिन्दू सिंह राजपूत निवासी फिरोजपुरा	फिरोजपुर	270/368	8।।)	स्थगन आदेश

(128)

1	2	3	4	5	6
10	सरकार बनाम	किशनलाल पुत्र हिन्दूसिंह राजपूत निवासी फिरोजपुरा	,, आसेथ 270/388	8॥4	स्थगन
11	,,	भेरू पुत्र चूला धाकड़ नि0 सलोतिया	सलोतिया 690	9॥।)	आदेश
12	,,	मथुरालाल पुत्र मोहनलाल धाकड	खलोतिया 621 622	8॥।)	
13	,,	भूरा पुत्र धन्ना चमार	दावलोशिओ 1947	2)3	
14	,,	बाघसिंह पुत्र चूल सिंह राजपूत	कानवाडा 64 156 103	10) 6) 4)	
15	,,	पृथ्वीसिंह पुत्र हीरालाल गूजर	बोरखेड़ी 40 खुर्द 42	10॥)	
16	,,	बालाराम पुत्र मोहनलाल धाकड	खलोतिया 690	14॥।)4	स्थगन आदेश
17	,,	शंकर पुत्र गोपाल धाकड़	,, 774 790	5॥।) 3 ॥।)	,,
18	,,	भगोलपुर	भगोलपुर 155 रायपुर	।)	
19	,,	आर. एस. ई. जी सब स्टेशन	1968	।4	
20	सरकार बनाम	राज. उ.प. माध्य. विद्यालय रायपुर	रायपुर 2085	2॥)	,,
21	,,	शुजाअत अली खां करोडिया	करोडिया 1702 1630	10) 7)	

(127)

1	2	3	4	5	6	7
22	सरकार बनाम मायनियां	नन्दा पुत्र किराना तेली	मायनियां	2)	3।।2	स्थगन आदेश
23	,,	प्यारा पुत्र भवाना लुहार सौराव	निवानियां	।09 ।29	।।)। 3।।)	
24	,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र शंकर सुनार	हिम्मतगढ़	538	)3	
25	,,	लक्ष्मनसिंह पुत्र तहत सिंह राजपूत	वोडियाबुजुर्ग	372 728 183	3।।) 5।।।)। 2।।।)4	
26	,,	तुलसी रामपुत्र जगदीश रामचन्द्र पुत्र धूला कुलागी	घरोनियां	।7।5 ।734	4) 1)	
27	,,	जगन्नाथ पुत्र भेरुम कुलगी	,,	।7।3	5।।।)	
28	,,	भगवान सिंह पुत्र भेरोंसिंह सोध्या	ओसाव	।05।	5।।)।	
29	,,	बापू पुत्र कवरलाल गूजर	बानोर	83	5।।।)।	
30	,,	रामसिंह पुत्र धूला गूजर	पालया	242	।।)	
31	,,	प्रभूलाल पुत्र धूला कुलगी	दोदलखेड़ा	246	)।	
32	,,	धूला पुत्र भेरू गूजर	चबन्डियां	।	)3	
33	,,	गोकुल पुत्र दोगो	आगमपुर	49 52	।) ।2।।।)4	
34	,,	गोकुल पुत्र छीतर दोगो	,,	194	4)2	
35	,,	गोकुल पुत्र छीतर दोगो	,,	236 239	।2।।) 3)	

1	2	3	4	5	6
36	सरकार बनाम	गोपी पुत्र नारायण	रोशन बाडी	43	4)
37	,,	गिरधारी लाल पुत्र बिरधी चन्द सुनार	उन्हेल	1076	2)3
38	,,	बाबूलाल पुत्र गिरवरसिह वगैरह	सेमली घोहान	1104	20111)4
39	,,	बाबूलाल पुत्र देवजी वगैरह 14 किला	,,	122बीड	62)2
40	,,	नानूराम पुत्र देवी लाल गूजर	दुबडिया	875	101)4

कुल तहसील पिडावा में 40 केस बिचाराधीन है ।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 519 की सूची

जोधपुर जिले में रासायनिक उर्वरक विक्रेताओं की सूची जिनके द्वारा नत्रजन, फासफोरस एवं पोटाश उर्वरक तत्व के रूप में वर्ष 78-79 में विक्रय किया गया

विक्रेताओं के नाम	नत्रजन	फास्फोरस	पोटाश
1- जोधपुर कोपरेटिव कार्केटिंग सोसाइटी	670-56	115-4	38-8
2- बिलाड़ा कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी	288-24	24-59	12-29
3- पीपाड़ सिटी कोपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी	199-74	5-68	2-48
4- भोपालगढ़ कोपरेटिव मार्केटिक सोसाइटी	33-40	3-20	1-60
5- गेहलोत एग्रो सर्विस जोधपुर	68-32	8-76	,,
6- लक्ष्मी नारायण सतीशचन्द्र जोधपुर	27-60	,,	,,
7- अमृत भण्डार जोधपुर	39-10	,,	,,
8- बन्शीलाल महेन्द्र सिंह जोधपुर	9-20	1-87	,,
9- भूपतराम रामचन्द्र जोधपुर	34-50	,,	,,
10- सेवाराम हरीराम तिवारी	57-96	1-87	6-00
11- महेश्वरी खाद मथानियां	9-20	,,	,,
12- ज्योती ट्रेडर्स मथानियां	36-80	,,	,,
13- धोंकल चन्द भोपाल गढ़	9-20	,,	,,
14- जगदम्बा पीपाड़	18-40	,,	,,
15- जगदम्बा बोरुन्दा	23-00	,,	,,
16- विक्रम केमिकल बिलाड़ा	13-80	,,	,,
17- सीताराम रामचन्द्र तिवारी	9-20	,,	,,
18- राजेश एग्रो मथानियां	1-72	,,	,,

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं० 522 की सूची)

सिकराय क्षेत्र में गबन/घोटालों की सूची

क्र.सं.	नाम समिति		दोषी व्यक्ति	गबन की राशि	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1	सुरेर ग्राम सेवा सह. स. लि.		गंगासहाय, मन्त्री	110-00	धारा 74 के तहत कार्यवाही जारी है।
2	हिंगवा	,,	रामनाथ, मंत्री रामसहाय, कोषा.	12788-98	,, ,,
3	धूमना	,,	गिर्राजप्रसाद भू. पू. मन्त्री	240-00	,,
4	गीजगढ़	,,	रामचरण तिवाड़ी भू. पू. अध्यक्ष	3907-56	,,
5	गीजगढ़	,,	—	1170-64	,,
6	ठीकरिया	,,	रामस्वरूप व्यव.	6118-73	,,
7	ठीकरिया	,,	छगनलाल सुनार भूतपूर्व कोषा.	209-62	,,
8	धूमना	,,	बाबूलाल जैन,	80-00	,,
9	कुडेर डूंगर	,,	शैतान सिंह	225-19	,,
10	दुब्बी	,,	भगवतीप्रसाद व्यवस्थापक	330-80	,,
11	दुब्बी	,,	जगदीशनारायण कोषाध्यक्ष	624-20	
12	हिंगवा	,,	रामसहाय मीना	520-00	,,
13	बैरावड़ा	,,	मोतीसिंह अध्यक्ष गंगासहाय मन्त्री	3325-96	,,
14	गण्डरावा	,,	चिरंजीलाल भू.पू. कोषाध्यक्ष	385-00	,,
			हरसहाय, भू.कोषा.	69-99	,,
			बृजमोहन स.प्र.म.	520-46	,,

1	2		3	4	5
15.	मारवाड़ा सेवा सहस. लि.		—	1453-18	धारा 74 के तहत
16	मानपुर	"	—	1367-67	कार्यवाही जारी है।
17	चांदेरा	"	मथुरालाल, अध्यक्ष) रामजीलाल, मंत्री) रामसहाय) भूतपूर्व व्यवस्थापक)	135436-65	"
	12 समितियां			170018-36	

नोट :— मरुण्डला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. में धारा 74 के तहत वर्तमान में कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

चान्देरा एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति में गठन व अनियमितताओं की सूची

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति	तिथि जांच रिपोर्ट प्राप्त	गबन की राशि	दोषी व्यक्तियों के नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	चांदेरा ग्राम सेवा सहू. स. लि.	19-3-79	1,35,436=65	श्री मथुरालाल अध्यक्ष श्री रामजीलाल मन्त्री श्री गंगासहाय भू. पू. व्यवस्थापक	राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 74 के तहत मामला रजिस्टर्ड कर लिया गया है।

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न सं0 525 की सूची)

BUDGET OF S. S. M. HOSPITAL FOR 1977-78

1.	Salaries	5104182
2.	Trevelling Ex-P.	14562
3.	Medical Charges.	55026
4.	Office Exp.	208730
5.	Mech. & Bquip. Tools, & Plants.	1343310
6.	Motor Vehicles.	29080
7.	Mointenance	237166
8.	Material & Supplies.	80170
9.	Payment for Prof. & Spl. Services.	281648
10.	Lidveries.	104811
11.	Electricity & Water charges.	450016
12.	Clothing & Bedding.	218177
13.	Diet.	509750
14.	Drugs & Medicines.	1982485
15.	Study on the administration of the Hospital.	—
		10628107

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न सं. 538 की सूची)

पंचायत समिति जैतारण के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम		क्र. सं	ग्राम का नाम	
1	खारचिया		24	देवरिया	
2	कांवलिया		25	चावन्डिया	
3	आनन्दपुरा कालू		26	ओगवा	
4	बलून्दा		27	जोधावास	
5	कानेच		28	जैतारण मय चक्र	
6	लितरिया		29	जुजन्डा	
7	निम्बोल		30	सागावास	
8	लोटोती		31	भांकरवास	
9	रामावास खुर्द		32	खीनावडी	
10	रामावास कलां		33	लाम्बिया	
11	मालपुरिया		34	केकिन्दड़ा	
12	बीकरलाई		35	कुडकी	
13	बांजाकुंडी		36	रास	
14	तालकिया		37	खेडा महाराजपुरा	
15	ठाकरवास	विद्युतिकृत	38	निमाज	
16	कोरालिया	ग्राम	39	विरामपुरी	
17	धीरोल		40	बोगासनी	मण्डल के सामान्य
18	रानीवाल		41	हुनावास कलां	कार्यक्रम वर्ष
19	गरनिया		42	खराड़ी	1978-79में
20	बेडकली		43	फुलमल	स्वीकृत
21	पृथ्वीपुरा		44	राजादण्ड	
22	जाजनवास		45	आकोदिया	
23	पाटवा		46	अमरपुरा	

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
47	आसरलाई	71	कोटढिवा
48	बलाड़ा	72	लाखसनी
49	नलूपुरा	73	लासनी
50	बांकास	74	लिखमणियां
51	बासी चैनपुरा	75	लूम्बडावास
52	भाखर वासनी	76	टंकड़ा
53	भूंभलिया	77	भोइराई
54	दागला	78	मुन्डावा
55	देवरिया राजपूताना	79	निम्बेडा खुर्द
56	घनेरिया	80	ओडवास
57	डिगरणा	81	पालियास
58	पालका	82	पाटस मय चक
59	गांगलिया	83	पीपलिया
60	थोडावड	84	पीपाडा
61	ग्यास	85	प्रतापपुरा
62	हिंगोनिया	86	रावडियास
63	हुनावास खुर्द	87	रतनपुरा
64	जनासनी	88	संगावास
65	कानावास	89	समोखी
66	कटमोर दयालपुरा	90	सेवरिया
67	खाती खेड़ा	91	सिनला
68	खोर्दावास	92	सोमावास
69	खेड़ा भीलावास	93	डीवडी
70	खेडा नैनपुरा	94	तिगरा

शेष अविद्युतिकृत ग्राम

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न सं. 539 की सूची)

सूची नं. 1

नाम गांव

(1) वडगांव

(2) ओगाडिया

(3) थनिया

(4) जालमपुरा

(5) हरिपुरा

(6) छीरपुरा

(7) कल्याणपुरा

सूची नं. 2

तहसील	नाम रेंज	अतिक्रमण के केलेज	अतिधारी व्यक्ति संख्या	वर्ष जब अतिक्रमण किया गया	क्षेत्रफल वन वि0वि0 भूमि जिस पर अतिक्रमण किया गया।
बेगूं	बेगूं	145	174	1972 से 1977 तक	11331)2
	भैंसरोड़गढ़	1	1	1977-78	2॥)
	कुम्राबेड़ा	7	7	77-78 से	5॥)
	योग—	153	182		1141 ॥/2

(136)

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न सं. 541 की सूची)

समस्त उन खातेदारान की जिनको उनकी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर ईंट भट्टा लगाने की स्वीकृति बाजार भाव के 50 प्रतिशत जमा करवा कर दी गई है

क. सं.	नाम खातेदार	नाम चक	रकबा	बाजार भाव प्रति बीघा	50 प्रतिशत कीमत जो जमा कराई गई
1	2	3	4	5	6
1	मै. शंकर ईंट उद्योग गंगानगर	48 एल एल डब्लू	8–11	4000)	17100)
2	,, चौधरी इन्टर प्राईज केसरीसिंहपुर	2 एम	5–10	2000)	5500)
3	कुलदीपसिंह, जदपिसिंह पि. गुरुचरणसिंह सा. 4 टी	4 टी	6–10	4000)	13000)
4	रामरतन सुरेन्द्रकुमार पि. हेतराम जट सिख सा. 9 पी बी एन	9 पी बी एन	7–00	5000)	17500)
5	कबीरसिंह पुत्र श्यामसिंह जगननाथ पुत्र कुन्दनलाल व सुरेशकुमार पुत्र वेदप्रकाश सा. 25 जे आर के	25 जे आर के	6–00	2500)	7500)
6	श्रीमति बलवीरकौर आदि सा. 23 एस टी जी	27 एस टी जी	7–14	4000)	15400)
7	दीवानचन्द पुत्र गोपीराम अरोडा अनूपगढ़	81 जी बी	4–10	4000)	9000)

1	2	3	4	5	6
8	आत्माराम, राजकुमार पि. हनुमानदास 87 जी बी	87 जी बी	5–12	1850)	5180)
9	श्रीमति जीतकौर पत्नि जोगेंद्रसिंह 7 जी बी	5 जी बी	4–16	4500)	10800)
10	सुभाषचन्द्र पुत्र जगनाथ अग्रवाल सगरिया	18 एम के एस	5–00	4000)	10000)
11	रामसिंह पुत्र डूंगरराम सालीबाला	8 एम के एस	6–00	2000)	6000)
12	विजयकुमार पुत्र कौरचंद सा. करनपुर	13 मो	3–00	4000)	6000)
13	पवनकुमार पुत्र भंवरलाल भादरा	8 वी एच डी	6–00	5000)	15000)
14	नेशनल ब्रिक मैन्यू. क. भादरा	9 वी एच डी	4–00	2000)	4000)
15	मैं. ब्रिक्स मैन्यू. क. एवं लीलाधर पुत्र हजारी मल भादरा	8 बी एच डी	7–10	2000)	7500)
16	सूरजभान पुत्र रामभक्त चानान नोहर	जोगीआसन 1	6–16	—	3750)
17	शफीमोहम्मद पुत्र हजारी सा. नोहर	राजासर	6–00	800)	2400)
18	महालक्ष्मी ईंट उद्योग कासारनाथ	11 जे डी डब्लू	8–00	3100)	12400)
19	जसपालसिंह, कृपालसिंह वि. रामसिंह हनुमानगढ़	4 एस एन एम	4–00	2500)	5000)
20	रावताराम पुत्र किशनाराम हनुमानगढ़	7 एच एम एच	4–10	1000)	2250)
21	सरस्वतीदेवी पत्नि चानणमल हनुमानगढ़	17 एच एम एच	6–00	6000)	18000)

1	2	3	4	5	6
22	श्रीमति जंगीरकौर पत्नि दलसिंह हनुमानगढ़	28 एफ टी पी	4–00	7000)	14000)
23	महेन्द्रसिंह पुत्र दलसिंह हनुमानगढ	,,	6–00	7000)	21000)
24	गुरनामचन्द्र आदि पदमपुर	50 एल एन पी	5–00	7000) न. 3000) ब.	13500)
25	करनेलसिंह पुत्र जंगीरसिंह 14 पीएसबी	5 आर बी	5–00	100)	2500)
26	बहादरराम किलन क. फतुई	1 एफ बड़ा	5–10	3500)	9625)
27	सोम प्रकाश एण्ड क. गंगानगर	8 ए छोटी	6–00	6000)	18000)
28	विक्रम गुप्ता पुत्र गुलाबचन्द गंगानगर	3 ए छोटी	7–00	6000)	21000)
29	राजेन्द्रनाथ पुत्र देवनाथ 2 एम. एल.	2 एम एल	4–00	6000)	12000)
30	गणेश ईंट उद्योग गंगानगर	28 एल एन पी (II)	8–13		6487–50
31	मैं. सीटर किलन कं. गंगानगर	4 वाई	7–09	7000)	26075)
32	मैं. बंसल किलन कंट्रैक्टर गंगानगर	7 एमएल	6–00	3500)	10500)
33	लछमनराम पुत्र भूराराम 1 वाई	1 वाई	2–18	7000)	10150)
34	कर्मसिंह पुत्र बहादरसिंह सूरतगढ	33 एस टी जी	5–00	5000)	12500)
35	हरचन्द आदि पि. लूनाराम 7 पी बी एन	7 पी बी एन	7–09	2500)	18655)
36	मनजीतसिंह आदि सा. 9 एन एफ बी	9 एफ एफ बी	3–00	2500)	3750)

6

37	ज्ञाचन्द एण्ड ब्रादर्स पीटंनर विजयकुमार	21 ही एस	4–00	8000)	16000)
38	ओमप्रकाश, महेन्द्रसिंह-परमेश्वरीदेवी सा. सादुलशहर	20 एस डी एस	8–00	2600)	104 00)
39	दलीपकुमार पुत्र ठाकरराम सादुलशहर	11 के आर डब्लू	7–13	3500)	13337-50
40	ओमप्रकाश, देवेन्द्रकुमार पि. किशोरीलाल	,,	6–00	6000)	18000)

फहरिस्त उन खातेदारान की जिनको उनकी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर ईंट भट्टा लगाने की स्वीकृति बाजार भाव के 100 प्रतिशत जमा करवा कर दी गई है।

1	हाकमसिंह आदि पि. मेवासिंह सा. 5 एल एन पी	12 बी जी एस	6–00	3500)	21000)
2	सदू खां पुत्र इसमाईल व मुमताज पुत्र आजम सा. भादरा	8 बारानी	6–00	2000)	12000)
3	बाबूलाल व ओम प्रकाश सा. पीलीबंगा	27 एस टी जी	3–14	6000)	28200)
4	गुरदीपसिंह पुत्र भजनसिंह 36 जी बी	36 जी बी	5–00	5000)	25000)
5	रामप्रताप पुत्र श्योलाल जंडावाली	3 आर के	4–00	3000)	12000)
6	बनवारीलाल पुत्र बजरंगलाल भादरा	8 बी एच डी	5–00	3300)	17325)
7	दुनीराम आदि भादरा	कलाना	6–00	1000)	6000)
8	नत्थूराम पुत्र नन्दराम किराड़ावडा	किराडावडा	5–00	1000)	5000)
9	अलीशेर पुत्र रुकनदीन नोहर	15 बारानी	6–00	1200)	7200)
10	श्रीमती जगदंबा देवी पत्नी दुर्गादत्त मोदी नोहर	जोगी आसन 1	5–12	1500)	8400)
11	गोविन्दराम पुत्र नागरमल नोहर	,,	7–13	1162)	8889–30